GOVERNMENT BILLS

The Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021; Dr. Virendra Kumar to move a motion for consideration of the Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. वीरेंद्र कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदय, प्रस्तावित संविधान (एक सौ सत्ताइसवां संशोधन) विधेयक, 2021 के स्थान पर 105वां संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा जाए।

महोदय, मैं अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले सदन के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का, सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ओबीसी के हितों से जुड़े हुए इस बिल पर चर्चा करने के लिए जो सर्वानुमति बनी है, इस सर्वानुमति के द्वारा हम आने वाले समय में एक इतिहास की रचना करने की दिशा में बढ़ रहे हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, संविधान (एक सौ पाँचवां संशोधन) विधेयक, 2021 का जो आशय है, वह ओबीसी की राज्य सूचियों का रख-रखाव करने के लिए और राज्य सरकार की शक्तियां बहाल करने के लिए है। ओबीसी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता बिल्कुल स्पष्ट है। देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे, ओबीसी की केन्द्रीय सूची का दर्जा बढ़ाकर उस सूची को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, उससे ओबीसी की केन्द्रीय सूची में परिवर्तन करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है। संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को जो संवैधानिक दर्जा दिया है, इसके साथ ही, एनसीबीसी को ओबीसी के लिए बनाई गई विविध कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में उन शिकायतों की जाँच करने की शक्ति भी प्रदान की है।

माननीय उपसभापति महोदय, इसके साथ-ही-साथ, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज के अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के लिए जो 27 परसेंट आरक्षण प्रदान किया गया है, इससे प्रत्येक वर्ष मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों में ओबीसी के छात्रों को लगभग 4,000 अतिरिक्त सीटें प्राप्त होंगी। इससे हमारे ओबीसी के छात्रों में काफी विश्वास का भाव जाग्रत हुआ है।

माननीय उपसभापति महोदय, संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) विधेयक, 2021 को प्रस्तुत कर उनको जो 27 परसेंट आरक्षण प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी दलों के माननीय नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इसको पास करने में सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 को प्रस्तुत करने के लिए आज का जो अनुमोदन है, वह इन्हीं प्रयासों के क्रम में है।

राज्यों को ओबीसी की अपनी सूची को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की शक्तियों को बहाल करने के लिए यह संशोधन आवश्यक है, जिसे संविधान (102 वां संशोधन) अधिनियम की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हटा दिया गया था। उसी की स्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। यदि राज्य की सूची को समाप्त कर दिया जाता, तो लगभग 671 ओबीसी समुदाय, जो राज्य सूची में शामिल हैं, उनको शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इससे कुल ओबीसी समुदाय के लगभग पाँच में से एक, यानी 1/5 भाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। इससे सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण का प्रावधान करने के लिए, राज्य के अधिकार का सम्मान करने वाले संघीय ढाँचे को बहाल किया जा सकेगा। संविधान (एक सौ दो संशोधन) अधिनियम पारित करते समय सरकार ने सदन के पटल पर स्पष्ट किया था कि यह संशोधन राज्य सूचियों को बनाए रखने की राज्य की शक्तियों को समाप्त नहीं करेगा, बल्कि यह संशोधन सुनिश्चित करेगा कि विधायी मंशा की व्याख्या में कोई स्पष्टता नहीं है। यह संशोधन राज्यों को उनकी सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं, जो राज्य अथवा क्षेत्र के संबंध में विशेष रूप से हैं, पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए अवसर प्रदान करेगा।

माननीय उपसभापति महोदय, संविधान एक सौ पांचवां संशोधन विधेयक के अनुच्छेद 342ए के खंड (1) और (2) को संशोधित करेगा और राज्यों को अपनी राज्य सूची बनाए रखने के लिए विशेष रूप से अधिकृत करने वाला एक नया खंड 342ए (3) प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 366 के खंड (26सी) और अनुच्छेद 338बी के खंड (9) में एक परिणामी संशोधन होगा।

माननीय उपसभापति महोदय, अनुच्छेद 342ए के खंड (1) में "केन्द्रीय सूची" शब्द को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा जाएगा कि प्रावधान केवल ओबीसी की केन्द्रीय सूची के लिए है। अनुच्छेद 342ए के खंड (2) में एक स्पष्टीकरण पैरा जोड़ा जाएगा, जिसमें उल्लेख होगा कि केन्द्रीय सूची का अर्थ केन्द्र सरकार के द्वारा और उसके लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की तैयार की गई और रखी गई सूची है। इससे स्पष्टता से बचा जा सकेगा।

अनुच्छेद 342ए में एक नया खंड (3) जोड़ा जाएगा, जिसमें यह प्रावधान होगा कि प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, कानून के द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकता है और बनाए रख सकता है, जिसमें प्रविष्टियाँ केन्द्रीय सूची से भिन्न हो सकती हैं। इससे राज्यों को राज्य संस्थानों में प्रवेश और राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्तियों के लिए ओबीसी की अपनी राज्य सूची बनाए रखने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 366 के खंड (26सी) में संशोधन करके कहा जाएगा कि ओबीसी की केन्द्रीय और राज्य सूचियाँ केन्द्र सरकार अथवा राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों, जैसा भी मामला हो, के उद्देश्यों के लिए हैं। राज्य की ओबीसी की सूचियों पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों को सशक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ अनिवार्य परामर्श की शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

माननीय उपसभापति महोदय, यह संशोधन विधेयक देश के संघीय ढाँचे की रक्षा करने में एक लम्बा सफर तय करेगा। यह राज्यों को ओबीसी की राज्य सूची पर अपने निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा। इसके अलावा यह पूरे देश में ओबीसी आबादी के लिए शिक्षा और नीतियों में दी गई रियायतों के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं इसके साथ ही यह अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्यगण इस पर अपने विचार रखें और इस बिल को पारित कराने में अपना सहयोग दें।

The question was proposed.

श्री उपसभापति : प्रो. मनोज कुमार झा।

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, we all are...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

प्रो. मनोज कुमार झा : मैं दो-तीन वाक्यों में अपनी बात कहूंगा। महोदय, हम सब इस बिल पर एक साथ है और यह एक ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन यह दुख की बात है कि smaller parties who have equal stake, Sir, with allotment of only three hours with a kind of Amendment we are bringing; the scale, the extent and the implications, we would urge the House and everybody, through you, that the time-allocation should be enhanced.

Secondly, Sir, the Supplementary Agenda was introduced, but, we have got the Bill just two minutes back I think that kind of anomalies should be taken care of.

श्री उपसभापति : माननीय प्रो. मनोज कुमार झा जी, यह बीएसी का फैसला है।

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : महोदय, यह Business Advisory Committee का फैसला है, तो भी उसको change करने का आपको अधिकार है। ...**(व्यवधान)**... Ultimately वे जो कहेंगे, वह हाउस भी मानेगा। मेरी विनती है कि यह महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल के लिए सर्वसम्मति बन गई है, इसमें कोई dissent या कोई और बोलने वाला नहीं है। जो माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे, वह Backward Class के हित में ही रखेंगे और इस एक्ट को किस ढंग से मज़बूत बनाया जाए, उस पर बात करेंगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर इस बिल पर चर्चा के लिए एक घंटे या दो घंटे का समय बढ़ाया जाएगा तो न देश का कोई नुकसान होगा और न ही सरकार का कोई नुकसान होगा।

सभा के नेता (श्री पीयूष गोयल) : माननीय उपसभापति महोदय, मुझे लगता है कि Business Advisory Committee में पहले दो घंटे की बात हुई थी, फिर चर्चा के बाद उसको तीन घंटे किया गया था। एक बार इसकी शुरुआत कर लेते हैं, फिर समय का आकलन लेते हुए आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसको ...**(व्यवधान)**... इसके लिए एक घंटे का समय बढ़ाकर चार घंटे का समय कर देते हैं, उसके बाद within four hours इसको खत्म किया जाए।

श्री उपसभापति : यह बहस चार घंटे की होगी, फिर इसके अनुसार आप तय करेंगे। डा. अभिषेक मनु सिंघवी।

श्री पीयूष गोयल : सर, हमने इसमें एक घंटे का समय बढ़ाया है तो साथ-ही-साथ सदन की यह भी सहमति बन जाए कि सदन की कार्यवाही शाम को 6 बजे के बाद आगे भी बढ़े। सब लोगों की सहमति बिज़नेस खत्म होने तक हो, जब तक हाउस का बिज़नेस खत्म नहीं होता, तब तक सबकी सहमति हो। ...**(व्यवधान)**... फिर तीन घंटे का समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ...**(व्यवधान)**... एक तरफ आप बोल रहे हैं कि समय बढ़ाया जाए और दूसरी तरफ बिज़नेस के लिए हाउस नहीं बैठेगा, तो यह कैसे चलेगा? ...**(व्यवधान)**... I would like to be doubly sure and I would urge the Chair to announce that हाउस का पूरा बिज़नेस खत्म होने तक हाउस चलेगा।

श्री उपसभापति : हाउस का जो भी बिज़नेस है, वह खत्म होने तक हम शाम 6 बजे के बाद भी बैठेंगे, यह सदन की सहमति है।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : सर, agreed, देरेक ओब्राईन भी सहमत हो गए। ...**(व्यवधान)**...

श्री पीयूष गोयल : सर, अगर इस बात पर सहमति नहीं है तो फिर three hours का समय ही रखा जाएगा।

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, he has already said that the discussion will be for four hours, thereafter, there should be no bargaining. ...*(Interruptions)*...

श्री पीयूष गोयल : सर, फिर तीन घंटे का समय ही रहने दिया जाए। ...**(व्यवधान)**... ऐसे ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : यह हमने आम सहमति पर कहा है।

श्री पीयूष गोयल : सर, हम सबने ऑलरेडी चेयर की पीड़ा सुनी है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, there has to be some sanctity. The Leader of the Opposition has requested, and the Leader of the House has responded. Now, the agreement, or, I would say the understanding, and that is unanimous, has been between the Government and the Opposition that we support this Bill and we will allow not only discussion but passage and voting in

order*...(Interruptions)...* Please allow me to complete. Now, there should not be any condition attached to this. The Opposition has said it. *...(Interruptions)...* We cannot be dictated that we should allow the passage of the General Insurance Bill. *...(Interruptions)...* We have requested the Government to refer it to a Select Committee. *...(Interruptions)...* We will not accept if it is not referred to a Select Committee. *...(Interruptions)...* That is my suggestion*...(Interruptions)...*

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, condition is not attached to the passing of the Bill. *...(Interruptions)...* The condition is for extension of time. *...(Interruptions)...* The Business Advisory Committee has given it three hours. We are agreeable to do the discussion and do the passing. On the request of the hon. LoP and several sections of the House, we are ready to extend it to four hours. *...(Interruptions)...* But, obviously, there will be a spillover of time. *...(Interruptions)...* Therefore, I have made a request that the House unanimously also agree that the House will be extended till the Business of the House is concluded. *...(Interruptions)...* I think it is a very fair proposition and I urge all sections to accept it. *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापतिः आप यह डिबेट चलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... It will be decided later. *...(Interruptions)...*

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : उपसभापति महोदय, यह बिल पास करने में जितना भी वक्त लगेगा, यदि रात के 12 भी बज जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग इसको पास करने के लिए यहां बैठेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : माननीय एलओपी ...**(व्यवधान)**... प्लीज़ ...**(व्यवधान)**... प्लीज़ ...**(व्यवधान)**... जो समय दिया गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मुझे मालूम है कि वोटिंग होती है, ...**(व्यवधान)**... हर क्लॉज़ पर वोटिंग होती है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः हाउस तय समय के अनुसार ही बैठेगा। ...**(व्यवधान)**...Unlimited time तक हाउस नहीं चल सकता। ...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः इस बिल को पास करने में छह-सात घंटे लग जाएंगे। ...**(व्यवधान)**... हम लोग इस बिल को पास करके ही जाएंगे।...**(व्यवधान)**...

श्री पीयूष गोयलः उपसभापति महोदय, हाउस का बिज़नेस तो खत्म करना पड़ेगा। अगर यह extension करने से समय खत्म हो जाता है, फिर वे बार-बार दरख्वास्त नहीं मानते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि आपकी आम सहमति ...**(व्यवधान)**...

श्री पीयूष गोयल : लगभग सभी की unanimity है, केवल एक पक्ष को छोड़कर ...**(व्यवधान)**... आप उस पर अपनी रूलिंग दीजिए। ...**(व्यवधान)**... लगभग सभी की unanimity है, केवल एक पक्ष को छोड़कर, except one party, everybody is agreeable. *...(Interruptions)...*

SHRI PRALHAD JOSHI: Except one party, everybody is agreeable. *...(Interruptions)...*

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, the leader of the House has said four hours, I welcome that. *...(Interruptions)...* लेकिन मेरी एक गुज़ारिश यह है कि छोटी पार्टीज़ को कम-से-कम बिल पर बोलने के लिए पांच-छह मिनट का समय जरूर मिलना चाहिए। आप उनको दो मिनट देते हैं, वह गलत है।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are not deciding time here. *...(Interruptions)...* टाइम की परंपरा जो 70 वर्षों से चली आ रही है, वैसे ही चलेगी। यहां हम लोग टाइम decide नहीं कर रहे हैं।

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, the Leader of the House has made it very clear, and except one party, everybody is agreeable to the proposal. *...(Interruptions)...* What LoP has said, you please go through the record. *...(Interruptions)...* What LoP has initially has said, you please go through that. *...(Interruptions)...* We are ready for discussion even for four hours, whatever the Leader of the House has said, but, at the same time, till the completion of the Business, everybody should cooperate. *...(Interruptions)...* That is what we are requesting. *...(Interruptions)...* हमें रिक्वेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है! ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seats. *...(Interruptions)...* I will request all of you. *...(Interruptions)...* All of you are standing. ...(Interruptions). Sukhendu Sekhar Ray ji, all of you are standing. *...(Interruptions)...* We are not deciding time here. *...(Interruptions)...* We are not deciding time here. *...(Interruptions)...* Please take your seats. *...(Interruptions)...* It has been decided four hours.

...(Interruptions)... Earlier we have committed four hours, it will be four hours. *...(Interruptions)...* Strictly four hours. *...(Interruptions)...*

SHRI SHAKTISINH GOHIL (Gujarat): Sir, I am on a point of order*...(Interruptions)...* It is under Rule 109. *...(Interruptions)...* A copy of the Bill has been given to us. *...(Interruptions)...* The Statement of Objects and Reasons shall be given with the copy of the Bill. This is a very important Bill. The role of the Supreme Court is also behind this. *...(Interruptions)...* Now, as per the Rule 109, when the copy of the Bill is supplied to the Members, the Statement of Objects and Reasons shall be given with the Bill, but here simple one page is there and there is no Statement of Objects and Reasons. *...(Interruptions)...*

SHRI PRALHAD JOSHI: The copy is given to the Members, Sir. *...(Interruptions)...* It is there, but it is not circulated, Sir. *...(Interruptions)...* It was circulated more than five-six days back. *...(Interruptions)...* Sir, it is as passed by Lok Sabha. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Bill was circulated on Friday night. *...(Interruptions)...* Dr. Abhishek Manu Singhvi. *...(Interruptions)...* Four hours. *...(Interruptions)...* अगर आप सब आपस में बात करेंगे, तो बहस कैसे शुरू होगी।...**(व्यवधान)**... प्लीज़... प्लीज़ सीट पर बैठकर ...**(व्यवधान)**... प्लीज़... प्लीज़ सीट पर बैठकर discussion न करें। यह Friday को circulate हुआ था और लोक सभा में इस पर कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, इसलिए fresh circulate नहीं हुआ है। डा. अभिषेक मनु सिंघवी।

डा. अभिषेक मनु सिंघवी (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सांसदगण, इस चर्चा के अगर दो प्रमुख बिंदु हैं, तो उनका दो वाक्यों में सारांश किया जा सकता है। एक तो है - 'देर आए दुरुस्त आए' और दूसरा है, अंग्रेजी वाला - "Path to hell is paved with good intentions." मैं आपके सामने अभी इसके बारे में जिक्र करने वाला हूं। दोस्तो, यह एक बड़ी भयानक प्रस्तावना है, अचम्भा करने वाली चीज़ है। अगर 2017-18 में किसी ने बताया होता कि जो 2018 का 102वां संविधान संशोधन है, उसके जरिए यह सदन या दूसरा सदन भारत के हर प्रदेश से यह अधिकार क्षेत्र हटाने वाला है कि वह पिछड़ों की कोई सूची बनाए - अगर ऐसा बड़ा भयानक प्रस्ताव किसी सदन में आता और यहां आता, तो मैं नहीं समझता कि थावरचन्द गहलोत जी, जो उस वक्त उसको पायलट कर रहे थे, एक वाक्य भी बोल पाते। यह इतना अजीबोगरीब प्रस्ताव है कि 2018 में देश के हर प्रदेश का अधिकार क्षेत्र खत्म हो गया। अचम्भा मानिए, ज़िद मानिए, लापरवाही मानिए, गलती मानिए, लेकिन सच्चाई यह है कि उस शब्दावली के आधार पर 5 मई, 2021 को, यानी तीन वर्ष बाद उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया कि 2018 का संशोधन इस सूची को जारी करने के लिए किसी भी प्रदेश के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ता। इसलिए हम

आज इस गलत फैसले को इस संविधान संशोधन द्वारा ठीक करने के लिए यहां बैठे हैं। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप यह बिल लाए। यह पहले आना चाहिए था ...(**व्यवधान**)... इसके लिए मैं बधाई जरूर देता हूं, लेकिन साथ-साथ दोस्तो, मैं रेखांकित करना चाहता हूं, जो मेरा पहला बिंदु है कि 2018 में कितनी घोर गलती हुई, कितनी बड़ी गलती हुई। यह बड़ी अजीबोगरीब बात है कि गलती भी आप करो और बधाई भी आप अपने आपको दो। ...(**व्यवधान**)... आप कम से कम मुझे इससे वंचित नहीं करिए कि मैं आपको गलती तो बता दूं और बधाई फिर आप लेते रहिए। आपका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, आपका मंतव्य कुछ भी रहा हो, आपकी सोच या मायने कुछ भी रहे हों, इसीलिए अंग्रेजी में कहा गया है "Path to hell is paved with good intentions." हम उस गरक में पहुंच गए होते। जो गलती आपने की, आज आप उसको सिर्फ सुधार रहे हैं। मैं संक्षेप में यह पहला बिंदु समझाऊं और अगर आप 342 (ए) को उठाएं, जो आपने exactly तीन वर्ष पहले 11 अगस्त, 2018 को पारित किया था, उस वाले प्रावधान में आपने दो लाइन्स डाली थीं, "The President may with respect to any State or union territory, specify the backward classes..." और उसके दूसरे अनुच्छेद में लिखा था, "The Parliament may by law include or exclude from the Central list socially and educationally backward classes in so and so manner." मैं इसे पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, आप इससे वाकिफ हैं। यह लापरवाही थी, यह गलती थी और इसको सही करने के आपको कई मौके मिले। शायद अहंकार और ज़िद के कारण आपने सही नहीं किया, इसीलिए हम भुगत रहे हैं। यह तो अच्छी बात है कि 2021 में ...(**व्यवधान**)... बहुत दिनों बात डिस्कशन हो रहा है। यह बहुत अच्छी बात है कि यह निर्णय सिर्फ कुछ महीने पहले आया और तीन साल तक यह निर्णय नहीं चला, नहीं तो आपको यह 2018 से भुगतना पड़ता। अब जो रोचक बात है, वह यह है कि जब यह मामला सेलेक्ट कमेटी को गया, वैसे आजकल सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने की प्रथा कम हो गई है, लेकिन आपने उस वक्त किया था और बड़ी सम्माननीय सेलेक्ट कमेटी थी, तो 17 अप्रैल, 2017 को लोगों ने, उस सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरान ने बार-बार कहा कि इस पर स्पष्टीकरण चाहिए कि कहीं प्रदेशों का अधिकार क्षेत्र गायब न हो जाए। यह सही रूप से सही किया और मंत्रालय ने जवाब दिया कि अधिकार क्षेत्र मिटाने का, खत्म करने का कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है और दो लिस्ट्स बरकरार रहेंगी। इसके बावजूद 22 मई और 3 जून, 2017 को मेम्बरान ने कहा, उसमें आपके मिनट्स हैं। उन्होंने कहा कि, "साहब, आप फिर भी इसमें दो लाइन का संशोधन डाल दीजिए।" वह दो लाइन का संशोधन सामने आ गया। मैं आपके समक्ष वह दो लाइन का संशोधन पढ़ता हूं, जो बड़ा रोचक है। 'Notwithstanding anything provided in clause 9, the State Government shall continue to have powers to identify Socially and Educationally Backward Classes'. यह तो अविवादित है, सरल है, दो लाइन का है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया! यह अचरज की बात है या जिद की बात है या लापरवाही की बात है कि माननीय मंत्री महोदय के मंत्रालय ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह कानून एकदम स्पष्ट है। हम आपके साथ यह मानते हैं कि एक सूची नहीं, दो सूचियां होंगी, लेकिन स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कहना है - आपका कहना और संविधान में लिखना दो अलग चीज़ें होती हैं, यदि दो लाइनें डाल देते तो क्या तकलीफ थी? उसके बाद एक और चौंकाने की बात है कि सेलेक्ट कमेटी में एक बार

और यही प्रस्तावित हुआ। वे नहीं माने। आपने कहा कि यह तो सरल है, हम मान रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको स्पष्टीकरण में नहीं डालेंगे। उसके बाद फिर यह सदन में आया और यदि आप सदन की डिबेट्स को उठाएंगे तो पाएंगे कि कई लोगों ने इस पर बोला है। मैं किसी की ज्यादा quotations नहीं कहने वाला हूं, पर मैं एक quotation पढ़ूंगा। इस पर माननीय हरिप्रसाद जी ने बोला, दिलीप तिर्की जी ने बोला, इनके अलावा अन्य कई लोगों ने बोला। वहाँ दो बार मना करने के बाद भी सदन में बोला। I will just read four to six lines. हरिप्रसाद जी ने कहा "If they, -- 'they' यानी सरकार -- centralize all things like employment, identification of castes, etc., they would be doing gross injustice to the OBCs. They should think twice before scrapping the powers of the States because, as I have already mentioned, it is the States which identify various castes and communities. They know better than the people sitting here in Delhi. Hence, amending Article 342 and equating identification of OBC List to the SC/ST List should not be done." भूपेन्द्र यादव जी बोले, दिलीप तिर्की जी बोले, सभी ने कहा कि स्पष्टीकरण तो कर दो। फिर भी ताज्जुब की बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, लिस्टें तो दो ही हैं, कम नहीं हुई हैं। अब इस स्पष्टीकरण को नहीं करने के कारण, इस एक लाइन वाली ज़िद या लापरवाही को नहीं करने के कारण उच्चतम न्यायालय ने इसी ढीली भाषा को, जो मैंने अभी आपके समक्ष पढ़ी, उसके आधार पर यह कहा कि यह अधिकार क्षेत्र वंचित हो गया। अगर आप पढ़ें तो उच्चतम न्यायालय का वह बहुमत वाला निर्णय पूरा, अर्थात् totally 342A की भाषा पर आधारित है। आपने तो गलती की, लेकिन इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि उच्चतम न्यायालय ने भी बड़ी गंभीर गलती की। उन्होंने गंभीर गलती इसलिए की, क्योंकि उन्होंने इस पूरे सदन के मायने, नीयत और उद्देश्य को नज़रअंदाज़ किया। कानून में उच्चतम न्यायालय को इसकी अनुमति नहीं है। उच्चतम न्यायालय कुछ भूल गया - Number one, that parliamentary intent, as reflected in Select Committee Reports, in the debates of this House, must be given the greatest weight and be implemented in letter and spirit." This is much more so when the court is dealing with a Constitution Amendment as it was dealing with 102nd Amendment in 2018. The Supreme Court also wrongly ignored it. It is a very funny issue that State Backward Class Commissions were created largely under the direction of Indra Sawhney. Indra Sawhney has a whole passage which says, 'State shall, should, must..' and many States created it. So, there is no question of a single list. That is Indra Sawhney itself which the Supreme Court is swearing by in this judgment. So, I am not saying that the blame exclusively lies here. The blame very much lies there, but it lies in the Supreme Court also. Fourthly, such a humongously wide interpretation that the 2018 Amendment was to erase and efface the age-old right of States to have a list of their own required very specific and clear language which is not found in 342A. So, the courts could never have said, 'concluded'. Then again the Court asked the question, 'Why do they use the Central List?' 'Central' means only one list. यह लापरवाही आपकी शब्दावली में थी और उच्चतम न्यायलय ने उस पर

टिप्पणी की। But, the answer is very simple. If you have to apply the word 'Central List', the Supreme Court could have said that 2018 law applies and should be limited only to the Central services or Central entities or Central organizations and cannot possibly relating to entities under the direct control and management of the States. It did not do that either. It is the fifth mistake of the Supreme Court and that is why we are trying to undo it.

Lastly, the other question asked in the majority judgment is, 'Why did they have change of language in 342A?' And, we are giving effect to the language of 342A and, therefore, I am saying that the States will have the power. Sir, the answer is clear. The main object of the change seen in 342A (2) is that the idea was that once the President approves the Central List only Parliament can change. It was to insulate from frequent casual changes. It was not to erase the State List at all. That is why, I think, a historical blunder was committed by, at least, two entities. The dissent has been very clear and has set it right. But, unfortunately, a dissent is a dissent. It appeals to the brooding omnipresence of a future generation that future generation is going to speak through this Parliament today which is going to amend this law.

Sir, all the points I have said are in the dissenting judgment which rightly says that the intent of Parliament is crystal clear; it is clear in the Select Committee and is so clear in the House. But, unfortunately, the dissent was a 3-2 judgment, so that dissent was not operative.

दोस्तो, अब दूसरे बिंदु पर जाना जरूरी है। शायद दूसरा बिंदु पहले से भी ज्यादा जरूरी है। आपने इस संशोधन के द्वारा एक गलती तो ठीक कर दी या शायद शाम तक ठीक कर देंगे, क्योंकि सभी इससे सहमत हैं। लेकिन इस गलती को ठीक करने का क्या फायदा होगा, इसका प्रभाव क्या होगा? इस संविधान संशोधन में 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा के विषय में आपने एक शब्द भी नहीं बोला है। मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, जिसका actual case था उच्चतम न्यायालय में, उसकी तो यात्रा इसलिए खत्म हो गई कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के एक्ट को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि 50 प्रतिशत की सीमा का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। आज 50 प्रतिशत सीमा के बारे में अगर आप एक संशोधन करते, वह भी संविधान का, जो कहता है कि सभी प्रदेशों का अधिकार क्षेत्र है कि आप सूचियां बनाओ। सब प्रदेश सूचियां बनाते हैं, लेकिन उस सूची का वे क्या करेंगे? भविष्य में वे जो सूची बनाएंगे, वह सूची उस बर्तन जैसी है, जो आवाज निकाल सकती है, खाना नहीं दे सकती। मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के करीब-करीब 75 प्रतिशत प्रदेश और केन्द्रशासित क्षेत्र ऐसे हैं, हो सकता है 80 प्रतिशत हों, जहां यह 50 प्रतिशत की सीमा आगे निकल गई है, उसका उल्लंघन हो गया है। अब वे इसका क्या करेंगे? आप इन्हें एक कागजी दस्तावेज दे रहे हैं, आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और एक झूठा वादा निभा रहे हैं। दोस्तो, आप एक ऐसा सब्ज़बाग दिखा रहे हैं जो कानूनी और संवैधानिक रूप से कभी कार्यान्वित हो ही नहीं सकता। आप भी जानते

हैं...(**व्यवधान**)... हम यह जानते हैं कि आजादी भी आप लाए थे और जब जो हुआ वह नेहरू जी ने किया, लेकिन आज तो आप उसे ठीक कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : कृपया आपस में बात न करें।

डा. अभिषेक मनु सिंघवी : आज तो आप पिछले सात साल से सत्ता में हैं। मैं आज की सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। इस सच्चाई से मैं खुद भी चौंक गया जब मैंने ये आंकड़े देखे। 30 प्रदेश और केन्द्रशासित क्षेत्र ऐसे हैं- इस देश में शायद 28 प्रदेश और 8 केन्द्रशासित क्षेत्र हैं, 36-37 entities- 30 प्रदेश ऐसे हैं जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण है। That is more than 80 per cent, perhaps. नागालैंड में 80 प्रतिशत है, छत्तीसगढ़ में 82 प्रतिशत है। याद रखिए 72 प्रतिशत सामाजिक और 10 प्रतिशत आर्थिक जो अभी आपने EWS के बारे में संविधान संशोधन किया था, इस तरह से 72 प्लस 10 कुल 82 प्रतिशत बनता है। मिजोरम में 80 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में 63 प्लस 10, यानी 73 प्रतिशत है। तमिलनाडु इन सबमें पुराना है, वहां 69-70 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में 65 प्रतिशत, साथ में EWS कार्यान्वित होने का प्रस्ताव था, और है। तो इसको देने का मतलब क्या हुआ without constitutionally legitimising this! *...(Interruptions)...* Are you only giving an empty piece of furniture, an empty piece of utensil or an empty meaningless piece of paper? There should have been, there must have been an attempt, hon. Minister, -- everybody in the House would demand it, I would imagine -- to address this issue, at least. We are not saying, "You address it perfectly". But, you have not addressed it. And, 'Balaji' a rule of the 1950s, is not cast in stone; it is not inflexible. These issues are dynamic. They are ever changing. That is why we asked in the Supreme Court for a reconsideration of Indra Sawhney. The Court refused. But the very nature of the beast is such that it is ever changing; it is a timeline. So, you cannot stick to a 50 per cent figure as sacrosanct. Well, you know that the Courts have ruled it down. Indra Sawhney has been reiterated by many judgements and the most recent judgement is 50 per cent and no more. Interestingly, by the way, there are escape routes given. इसमें escape route क्या दिया है कि हाँ, इसका अपवाद हो सकता है। 50 प्रतिशत का अपवाद यह है कि एक ऐसी अजीबोगरीब स्थिति हो - सामाजिक, या अजीबोगरीब स्थिति हो - geographical, क्षेत्रीय। अब वह इतनी अजीबोगरीब स्थिति है कि किसी प्रदेश में उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए यद्यपि 50 प्रतिशत को माना है कि वह पत्थर की लकीर नहीं है, फिर भी उसको ऐसा बना दिया गया है कि वह कार्यान्वित होना असंभव है। इसलिए आज इस dynamic situation को देखते हुए यह अति आवश्यक है। आज अगर आपने यह पहला भाग, जो आपने किया है, नहीं किया होता, तो जैसा कि दूसरे सदन में कहा गया है, 671 ऐसे समुदाय थे, जिनसे आरक्षण हट जाता, जहाँ तक प्रदेशों का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि ओबीसी आरक्षण की वास्तविकता क्या है, जिसके लिए आपको इस 50 प्रतिशत के आँकड़े के बारे में वापस सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए था, क्योंकि इस बिल में एक दूसरी बहुत बड़ी त्रुटि है। विभिन्न प्रदेशों ने मेडिकल और

डेंटल इत्यादि में 81 हजार सीट्स अखिल भारतीय कोटा में दी हैं। क्या आपके मंत्रालय ने अवलोकन किया है कि इनमें से कितनी सीट्स OBCs को गई हैं? वहाँ तो ये surrender हो गईं, लेकिन OBCs को नहीं के बराबर गई हैं। ये आँकड़े भी आए हैं, पहले भी आए हैं, उस सदन में भी थोड़े कहे गए हैं, आज अगर सही आँकड़ा हो, तो सरकार के रोजगार में 22 प्रतिशत से कम वास्तविक ओबीसी आरक्षण है। आप 27 कहते हैं, वास्तविक 22 है और उसमें भी अधिकतर ग्रुप 'सी' कैटेगरी में है। यह ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' में नहीं है, बहुत कम है, नहीं के बराबर है।

यह मुझे एक और महत्वपूर्ण बिन्दु पर लाता है कि आप जाति संख्या, caste census से क्यों दूर भाग रहे हैं? आप caste census से क्यों दूर भाग रहे हैं, कतरा क्यों रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री, बिहार; एक अन्य मुख्यमंत्री, ओडिशा और कल आपकी माननीय महिला सांसद ने कहा कि यह तो आप करने वाले हैं, तो सरकार चुप क्यों बैठी है? मंत्री महोदय क्यों नहीं कहते, सरकार के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा! क्या आप इसको नहीं करना चाहते? यदि नहीं, तो आप यह भी कह दीजिए, या इसका सही कारण यह है कि आप जानते हैं कि अगर आप caste census करें, तो शायद असली आँकड़ा 42 प्रतिशत या 45 प्रतिशत हो सकता है। हम मानते हैं, ...(**व्यवधान**)... हमने एक census किया है। याद रहे, 2011 में हमारी सरकार ने किया था। उसमें त्रुटियाँ थीं, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रयत्न किया।

श्री उपसभापति : माननीय सिंघवी जी, आपका समय समाप्त हो गया है, आप conclude कीजिए।

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: Sir, just two, three minutes.

आज 2021 में जब आप यह संविधान संशोधन ला रहे हैं, तो इसका एक तीसरा पहलू पूरी तरह से वंचित है, यानी caste census और इसकी माँग सब जगह है। मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार से आप कतराते हैं कभी, बदलते हैं कभी, अपने आपको बधाई देते हैं।

"तुम्हारा क्या या तुम्हें क्या,
तुम्हें तो आसान है बहुत रास्ते बदलना,
हमें हर एक मौसम काफिले के साथ चलना है।"

आप ओबीसी काफ़िले को सिर्फ lip service दे रहे हैं, हमेशा उसके साथ चल नहीं रहे हैं।

महोदय, मेरा अंतिम बिन्दु, जो बहुत छोटा बिन्दु है, जिस पर मैं केवल दो-तीन मिनट और लूंगा, वह है - एक और सुझाव। मैंने कई सुझाव दिए हैं, एक और सुझाव दे दूं। आपने 2018 में जो गलत वाला कानून ड्राफ्ट किया था - 342ए, जिसको आप संशोधन से तीन वर्ष के बाद आज ठीक कर रहे हैं, उसी प्रकार से इस संशोधन में भी आप एक और गलती नहीं करिए। वह गलती है कि आज हम सबका, हर मेम्बर का, सरकार का, मंत्री का, माननीय सांसदों का उद्देश्य, मायने और मतलब यही है कि कानून ने 2018 से लेकर आज तक यह अधिकार क्षेत्र कभी लिया ही नहीं, यह हमेशा से वहीं था। यह तो उच्चतम न्यायालय का गलत interpretation है, लेकिन यह अधिकार क्षेत्र हमेशा से स्टेट के पास था। In English, it is said, it was always there in the law. It is

only a wrong interpretation, which is why you have put it in this Bill that it is a clarificatory amendment, which is fully understandable. Lawyers understand, clarificatory to mean that there is no amendment. It is only clarifying what has always been there, which is good. But you have not said anywhere, Sir, that this Amendment shall apply from 15th August, 2018 or 11th August. Now, I agree with you that your intention is clear but the last time, the path to hell was paved with good intentions. Now, today, if a court holds that this Amendment, which you call clarificatory, will apply from today, then for three years, in this country, no States' list would be valid, strictly speaking. So, you should kindly add one more line that it is clarified that this shall apply from a given date and clause one, two or any other clause can be put. It is one-line, half-a-line; and sometimes ऐसी ज़िदें महंगी पड़ती हैं। Sometimes, these make one, then a second mistake and then a triple mistake. So, use James Bond terminology.

श्री उपसभापति : माननीय सिंघवी जी, आपने चार मिनट ज्यादा समय ले लिया है।

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: He said, "One is happenstance. Twice is coincidence. Third is enemy action." Who will be the enemy in this mistake, I don't know; you will know very well, who will be considered the enemy. So, माननीय उपसभापति जी ,आपने मुझे अतिरिक्त समय दिया ,मैं एक मिनट में अपनी बात का अंत कर रहा हूं कि ये गलतियां वापस न करें ,नहीं तो सदन में यह इक़बाल हमेशा आता है - 'लम्हों ने ख़ता की थी ,सदियों ने सज़ा पाई' ,उस बात का ध्यान रहे ,and let us not tempt fate a third time. Thank you very much, Sir.

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं "संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021" के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य, श्री सिंघवी साहब कह रहे थे - "देर आए, दुरुस्त आए", लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा - "जल्दी आए, दुरुस्त आए"। मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि 5 मई, 2021 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था और केवल आठ दिन के भीतर, यानि 13 मई, 2021 को सरकार ने Review Petition फाइल कर दिया। 1 जुलाई, 2021 को Supreme Court ने Review Petition रद्द कर दिया और Review Petition रद्द करने के बाद मात्र 31 दिन के भीतर 11 अगस्त, 2021 को यह संविधान संशोधन विधेयक आ रहा है।

उपसभापति महोदय, इससे ज्यादा जल्दी और क्या हो सकती है? सदन का सत्र प्रारम्भ होते ही हम लोग संशोधन विधेयक लेकर आ गए हैं। सरकार की मंशा क्या थी? इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं - Legislative Intent. जैसा अभी सिंघवी साहब ने खुद बताया कि Select Committee की बैठक में, राज्य सभा में और लोक सभा में जब इस पर डिबेट हुई और यहां तक कि 102वें संविधान संशोधन की validity पर सुप्रीम कोर्ट में जब चर्चा हुई, तो Attorney General ने

क्या बयान दिया? जब Review Petition फाइल की, तो हमने क्या कहा? हर जगह सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि हम चाहते हैं कि राज्यों का अधिकार यथावत बना रहेगा। यह संविधान संशोधन केवल और केवल Central List के मद्देनज़र किया जा रहा है, इससे राज्यों के अधिकार में कोई कटौती नहीं होगी।

उपसभापति महोदय, मैं सुप्रीम कोर्ट के दो जजेज़, जिनका minority judgment को क्वोट करना चाहूंगा। I quote, "It is thus clear as sunlight that parliamentary intention discernible from the Select Committee Report and the statement of Minister of Social Justice and Empowerment is that the intention of Parliament for bringing a Constitutional amendment was not to take away the power of the State to identify the backward classes in the State." यह जस्टिस भूषण और जस्टिस नज़ीर, इन दोनों का माइनॉरिटी जजमेन्ट है, जिन्होंने यह कहा है कि पार्लियामेन्टरी डिबेट में, सेलेक्ट कमिटी में सरकार की मंशा कतई नहीं थी कि राज्यों के अधिकार में कटौती कर दी जाए, राज्यों के अधिकार को छीन लिया जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा ही विचित्र निर्णय है। On the one hand, the Supreme Court says, "States have been deprived of the power to prepare the SEBCs list, एक ओर कहते हैं कि आपको एसईबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार नहीं है, and on the other hand, the Supreme Court recognized the power of States to make reservation in favour of particular communities or castes, the quantum of reservation, the nature of benefits and the kind of reservation. एक ओर आप कह रहे हैं कि राज्यों को डिप्राइव किया जाता है, वे स्टेट लिस्ट नहीं बना सकते हैं और उसी जजमेन्ट में सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि आरक्षण का प्रतिशत कितना होगा, किस प्रकार का आरक्षण होगा, यह देने का अधिकार राज्यों को है। So, it is a very peculiar situation. On the one hand, you deprive and, on the other hand, you say that it is the State which would quantify the quantum of reservation for the OBC. इतना ही नहीं, जो पार्लियामेन्टरी स्टैंडिंग कमिटी थी, सेलेक्ट कमिटी, उसके अन्दर भी कहा गया "The Ministry clarified to the Committee that the proposed amendment does not interfere with the power of the State Government to identify the SEBCs and that the existing power of the Backward Classes Commission will continue to be there even after passage of the constitutional amendment. सेलेक्ट कमिटी में, लोक सभा में, राज्य सभा में रिव्यू पिटीशन के दौरान हर जगह सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की कि हमारा इन्टेन्ट राज्यों को वंचित करना नहीं है। क्या कोई सरकार राज्यों को अधिकारों से वंचित कर सकती है? मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इंदिरा साहनी का मामला 1992 में आया और तमिलनाडु में 1920 में बैकवर्ड क्लासेज़ को जो रिज़र्वेशन था, that started in the year 1920 and even prior to Independence. आजादी के पहले से देश के आधे दर्जन राज्यों के अंदर पिछड़े वर्गों को सूची बनाने का अधिकार था और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का अधिकार था।

महोदय, मैं जिस बिहार से आता हूं, वहां मुंगेरीलाल कमीशन बना, कर्पूरी जी ने 1978 में लागू किया और 1978 से लेकर आज तक इन पिछड़ों का आरक्षण लागू है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, कर्णाटक या तमिलनाडु हो, जो राज्यों को सूची बनाने और आरक्षण देने का

अधिकार था, इंदिरा साहनी के मामले में मंडल कमीशन के पहले से वह अधिकार राज्यों को था। सरकार की मंशा भी बड़ी साफ थी कि राज्यों का यह अधिकार हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का एक निर्णय दिया और इसलिए उस निर्णय को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन का बिल हम लाये हैं।

महोदय, यहां कांग्रेस के लोग बैठे हैं, जिन्होंने लम्बे समय तक इस देश में राज किया। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आर्टिकल 340 में जब बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन बनाने का अधिकार था और जब काका कालेलकर कमीशन 1953 में बना and the Report of the Kaka Kalelkar Commission was submitted to the Parliament in the year 1955, आपने उसको लागू क्यों नहीं किया, आपने क्यों उसे रिजेक्ट कर दिया? अगर आप यह कहते हैं कि काका कालेलकर कमीशन में त्रुटियां थीं तो आप कोई नया कमीशन बनाते - आपने कोई नया कमीशन क्यों नहीं बनाया? जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी मोरारजी की सरकार में शामिल थे, तो 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन बीपी मंडल के नाम पर बना - भारतीय जनसंघ के लोग उस सरकार में शामिल थे। आपने कालेलकर कमीशन को लागू नहीं किया, कोई नया कमीशन आपने नहीं बनाया और जब बीपी मंडल कमीशन बना, उसने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1980 को सबमिट कर दी, तो उस वक्त किसकी सरकार थी? 1980 से 1989 तक इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी और सारे लोग थे। मैं सदन से तथा कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने काका कालेलकर कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

1.00 P.M.

आपने बी.पी. मंडल की रिपोर्ट को 9 सालों तक लागू नहीं किया और जब वी.पी. सिंह की सरकार ...(**व्यवधान**)... जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, उस सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इस देश के अन्दर लागू करने का काम किया। ...(**व्यवधान**)... महोदय, अगर इस देश में ...(**व्यवधान**)... अगर इस देश में पिछड़ों को अधिकार मिला है, तो जिन-जिन सरकारों में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, उन्हीं सरकारों के द्वारा पिछड़ों को यह अधिकार मिला है। ...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं कांग्रेस के लोगों से यह भी जानना चाहता हूँ कि Scheduled Tribes Commission को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? आपने क्यों नहीं दिया?

[**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर**) *पीठासीन हुए*]

महोदय, इस देश के अन्दर इतनी बड़ी आबादी आदिवासियों की है, जनजातियों की है। ...(**व्यवधान**)... महोदय, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी ...(**व्यवधान**)... महोदय, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने 2003 में पहली बार अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। पिछड़े वर्गों के आयोग को संवैधानिक दर्जा आपने क्यों नहीं दिया? महोदय, श्री बी.के. हांडिक -- ये हमारी पार्टी के मेम्बर नहीं हैं, ये आपकी पार्टी के मेम्बर थे। वे Committee on Welfare of OBCs के अध्यक्ष थे। उन्होंने पहली रिपोर्ट 2012 में दी, दूसरी रिपोर्ट 2013 में दी और थर्ड रिपोर्ट भी दी। उन्होंने हर रिपोर्ट में

दोहराया कि पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आयोग बनना चाहिए और उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि श्री बी.के. हांडिक की रिपोर्ट को किसने ठंडे बस्ते में डाला? ...(**व्यवधान**)... आपने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? जब गरीब का बेटा नरेन्द्र मोदी देश का प्रधान मंत्री बना, तब उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। ...(**व्यवधान**)... उपसभाध्यक्ष महोदय, जो अधिकार शैड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन को है, जो अधिकार एस.टी. कमीशन को है, has all the powers of Civil Court to summon and enforce the attendance, production of documents, evidence on affidavit, यानी हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को एस.सी. आयोग और एस.टी. आयोग के समकक्ष सारे अधिकार दिये और उसको हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि 'देर आये, दुरुस्त आये।' 1991 में किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव जी प्रधान मंत्री थे, वे किस पार्टी के थे? वे कांग्रेस के नेता थे। आज मैं सदन को बताना चाहूँगा कि नरसिम्हा रावजी ने Economically Weaker Sections को 10 परसेंट का आरक्षण देने का एलान किया था। 25 सितम्बर, 1991 को Official Memorandum stated 10 per cent for other Economically Weaker Sections not covered under any other scheme of reservation, यह आपने देने का काम किया था। लेकिन महोदय, मैं खरगे साहब से जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के मामले में जब ऊँची जाति के गरीब लोगों के 10 परसेंट के आरक्षण को रद्द कर दिया, तब आपने क्यों नहीं संविधान संशोधन लाकर उनको आरक्षण देने का काम किया? ...(**व्यवधान**)... उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वह इसलिए रद्द कर दिया कि जहाँ एक ओर श्री नरेन्द्र मोदी जी ने संविधान में संशोधन करके EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, आपने एक official memorandum, 4 लाइन की एक चिट्ठी निकाल कर खानापूर्ति करने के लिए ऊँची जाति के गरीब लोगों के लिए, Economically Weaker Sections के लिए आरक्षण देने का एलान कर दिया और वह struck down हो गया। वह 1993 में struck down हुआ। 1993 के बाद आज कितने साल हो गये? आज तक आपने Economically Weaker Sections के लिए additional reservation देने का प्रावधान क्यों नहीं किया? ...(**व्यवधान**)... महोदय, यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने 103वाँ संविधान संशोधन 2019 में किया और आर्टिकल 15 तथा 16 में एक नया sub-section-6 जोड़ा गया, जिसमें इस बात का प्रावधान किया गया कि "Nothing in this Article shall prevent the States from making any special provision for the advancement of any Economically Weaker Sections of citizens other than....." इसमें एक और प्रावधान किया गया कि "in admission to educational institutions" और संविधान की धारा-16 में एक नयी धारा-6 जोड़ी गयी। कांग्रेस के समान नरेन्द्र मोदी जी ने कोई Official Memorandum निकाल कर Executive Order से आरक्षण लागू नहीं किया, बल्कि हमने संविधान में संशोधन करके, जिसका आपने भी समर्थन किया, इसमें आरक्षण लागू किया।

महोदय, चूँकि हमें मालूम है कि इसमें 50 प्रतिशत की सीमा है, इसलिए हम लोगों ने इसको 16(4) में लागू नहीं किया। इसलिए हमने इसको धारा 15(4), 16(4) में लागू नहीं किया, बल्कि संविधान में एक नई धारा जोड़कर हमने वीकर सेक्शन के लिए 10 प्रतिशत का अतिरिक्त आरक्षण दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि कल जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला आयेगा,

सरकार की जीत होगी। ऊंची जाति के लोगों को आरक्षण देने का जो काम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है, उसका लाभ इस देश के लोगों को मिलेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ये बार-बार कहते हैं कि 'देर आये, दुरुस्त आये।' SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की कुछ धाराओं को सुप्रीम कोर्ट ने शिथिल कर दिया, dilute कर दिया। यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने फिर से बिल लाकर उस पावर को restore किया और कहा कि हमारे दलित और आदिवासी भाइयों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार हम बरदाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, जो एस.सी./एस.टी. एक्ट को restore किया, उसमें 11 और नई धाराएं जोड़ दी गईं। Tonsuring of head, moustache, अगर कोई किसी का बाल मुंडाकर, मूंछ मुंड़ाकर उसको बाजार में घुमाता है, तो उस पर भी एस.सी./एस.टी. एक्ट लागू होगा। अगर कोई जूते की माला पहनाकर घुमाता है, तो उस पर एस.सी./ एस.टी. एक्ट लागू होगा। अगर मृत जानवर को ढोने के लिए बाध्य किया जाता है या उसको गाड़ने के लिए बाध्य किया जाता है तो यह उस पर भी लागू होगा। ...**(व्यवधान)**... अगर कोई नॉमिनेशन में बाधा पैदा करता है तो भी लागू होगा। उपसभाध्यक्ष जी, श्री राजीव गांधी जी के समय में एस.सी./एस.टी. एक्ट दोनों सदनों से पारित हुआ, लेकिन एस.सी./एस.टी. एक्ट को लागू करने का काम वी.पी. सिंह की सरकार ने किया, जिसमें जनसंघ के लोग भी शामिल थे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। Though it was passed during Shri Rajiv Gandhi's Government, but it was implemented when Shri V.P. Singh became the Prime Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Tamtaji, please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री सुशील कुमार मोदी : उपसभाध्यक्ष जी, जब श्री वी.पी.सिंह जी प्रधान मंत्री बने, तब वह लागू किया गया। उपसभाध्यक्ष जी, यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। एस.सी.,एस.टी. के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन में उसमें क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। ओ.बी.सी. में क्रीमी लेयर लागू होगा लेकिन एस.सी. और एस.टी. में हम क्रीमी लेयर लागू करने के पक्ष में नहीं हैं और सरकार ने कहा कि इसे सात सदस्यीय बेंच में रेफर किया जाए। कल लोक सभा में भूपेन्द्र जी बता रहे थे कि सेन्ट्रल स्कूल्स, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल्स में भी 27 प्रतिशत ओ.बी.सी. आरक्षण लागू किया गया। ये नवोदय विद्यालय किसने खोले? राजीव गांधी जी ने खोले लेकिन आपने ओ.बी.सी. को आरक्षण क्यों नहीं दिया? यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जिसने सेन्ट्रल स्कूल्स, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल्स में ओ.बी.सी. को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया और आज 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्रतिवर्ष उसका लाभ उठा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि हर डिपार्टमेंट को यूनिट मानना पड़ेगा, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने कहा कि हर डिपार्टमेंट को यूनिट नहीं मानेंगे, पूरा विश्वविद्यालय एक यूनिट होगा। यह

नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है जिसने प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने का काम किया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, संसद के सेन्ट्रल हॉल में अम्बेडकर जी का चित्र किसके कार्यकाल में लगा? आपने क्यों नहीं लगाया? जब वी.पी.सिंह जी प्रधान मंत्री थे, 12 अप्रैल, 1990 को संसद के सेन्ट्रल हॉल में अम्बेडकर जी का चित्र लगाया गया। अंम्बेडकर जी को "भारत रत्न" कब मिला? आप इतने साल तक सरकार में थे, आपने "भारत रत्न" नहीं दिया। उनके मरने के 34 साल के बाद श्री वी.पी.सिंह की सरकार ने उनको "भारत रत्न" देने का काम किया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Tamtaji, please sit down. ...*(Interruptions)*... Sushil Kumarji, please continue. ...*(Interruptions)*... माननीय मंत्री जी, आप बैठिए। माननीय सुशील मोदी जी जो बोल रहे हैं, वही रिकॉर्ड पर जायेगा। माननीय मंत्री जी, आप बैठिए। माननीय मंत्री जी, कृपया आप बैठिए।...(**व्यवधान**)... कृपया आप बैठिए।...(**व्यवधान**)... सुशील जी जो बोल रहे हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड पर जाएगा।...(**व्यवधान**)... मंत्री जी, कृपया आप बैठिए।...(**व्यवधान**)...

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, जब एन. नागराज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी के प्रमोशन पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिन्होंने 85वाँ अमेंडमेंट करके, in matter of promotion with consequential seniority, संविधान में संशोधन करके reservation in promotion देने का काम किया।...(**व्यवधान**)... इतना ही नहीं, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिन्होंने 81st amendment, 2000 के तहत जो unfilled vacancies थीं, ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : एलओपी, माननीय खरगे जी, मैं आपको मौका दूँगा।...(**व्यवधान**)... एलओपी, प्लीज़।...(**व्यवधान**)... आप complete कीजिए।...(**व्यवधान**)... इसके बाद मैं आपको मौका दूँगा।...(**व्यवधान**)... सुशील जी, एक मिनट। एलओपी जी, कृपया आप बोलिए।...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मैं किसी को hurt नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वे इस सदन में जो गलत बात बता रहे हैं, उसको...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : माननीय एलओपी, उसको examine करा लेंगे।...(**व्यवधान**)... माननीय चेयरमैन साहब से दिखवा लेंगे, अगर कुछ गलत होगा, तो उसको रिकॉर्ड से निकलवा देंगे।...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का जो statue सदन के बाहर है...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : सुशील जी, कृपया आप continue करें।...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : वे संविधान की Drafting Committee के चेयरमैन थे...**(व्यवधान)**... आपने किया? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : खरगे जी, उसको हम examine करा लेंगे।...**(व्यवधान)**... Kharge ji, please sit down. *...(Interruptions)...* सुशील जी, कृपया आप बोलिए।...**(व्यवधान)**... Nothing will go on record except what Sushil ji is saying. *...(Interruptions)...* सुशील जी जो बोल रहे हैं, केवल वही रिकॉर्ड पर जाएगा।...**(व्यवधान)**... Sushil ji, please continue. *...(Interruptions)...*

श्री सुशील कुमार मोदी : उपसभाध्यक्ष महोदय, नीट के माध्यम से medical education में UG और PG में एडमिशन में जो 15 परसेंट का ऑल इंडिया कोटा था, उसमें ओबीसी और EWS के लिए आरक्षण देने का काम किसने किया? यह काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया।...**(व्यवधान)**...

श्री प्रदीप टम्टा : सर...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Pradeep ji, please sit down. *...(Interruptions)...* जब आपकी पार्टी का समय आएगा, तब आप बोलिएगा।...**(व्यवधान)**... आप continue कीजिए।...**(व्यवधान)**... टम्टा जी, कृपया आप बैठिए।...**(व्यवधान)**... जब आपकी पार्टी का टर्न आएगा, तब आपके मेम्बर बोलेंगे।...**(व्यवधान)**... कृपया आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... Please sit down. *...(Interruptions)...* Nothing will go on record except what Sushil ji is saying. *...(Interruptions)...*

श्री प्रदीप टम्टा: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Nothing is going on record. *...(Interruptions)...* Only what Sushil ji is saying will go on record. *...(Interruptions)...* सुशील जी, कृपया आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : सर...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : माननीय मंत्री जी, आप मंत्री हैं, कृपया आप बैठिए।...**(व्यवधान)**...

---

* Not recorded.

श्री सुशील कुमार मोदी : उपसभाध्यक्ष महोदय, ओबीसी के वर्गीकरण के लिए रोहिणी कमिशन का गठन किसने किया? नरेन्द्र मोदी जी ने किया। इसके साथ ही नरेन्द्र मोदी जी ने जो नई मंत्रिपरिषद् का गठन किया, उसमें 27 परसेंट से ज्यादा ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया।...(**व्यवधान**)... यह काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया।...(**व्यवधान**)... इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में 81st amendment, 2000 करके unfilled vacancies of a year, यानी जो unfilled vacancies हैं, उनको carry over करने का प्रावधान किया और वह जो carry over होगा, वह 50 परसेंट की सीमा से बाहर होगा। यह संविधान संशोधन किसने किया? यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : कृपया आप बोलिए। सुशील जी, जो बोल रहे हैं, वही रिकॉर्ड पर जाएगा।...(**व्यवधान**)...

श्री सुशील कुमार मोदी : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में एक प्रधान मंत्री हुए, जिन्होंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा और उससे यह समझ में आता है कि आरक्षण के बारे में काँग्रेस की राय क्या है। वे पत्र में लिखते हैं - "My dear Chief Minister, they deserve help, but I dislike any kind of reservation, more particularly in Services." उपसभाध्यक्ष महोदय, यह मेरा बयान नहीं है, यह देश के प्रथम प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र है, जिन्होंने इसे राज्य के मुख्यमंत्रियों को लिखा था।...(**व्यवधान**)... वे कहते हैं - "I react strongly against anything which leads to inefficiency.." *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please, please. *...(Interruptions)...*

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I have a point of order. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Under which rule? *...(Interruptions)...*

SHRI RIPUN BORA: Under Rule 110. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Just one minute, please. *...(Interruptions)...*

SHRI RIPUN BORA: Sir, my point of order is under Rule 110 - Scope of Debate. "The discussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the Bill further than is

necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character." *...(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : माननीय सदस्य, यह motion for consideration है, motion for passing नहीं है। **...(व्यवधान)...** प्लीज़, प्लीज़। **...(व्यवधान)...** This motion is not for passing, but for consideration.

श्री सुशील कुमार मोदी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उस लाइन को फिर से पढ़ना चाहूँगा। "They deserve help, but, even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in Services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second rate standards. But if we go in for reservation on caste basis, we swamp the bright and able people and remain second rate or third rate." अंत में, वे कहते हैं - " It has amazed me to learn that even promotions are based sometimes on caste consideration." इसका मतलब है कि आप यह कहते हैं कि रिज़र्वेशन देने से अयोग्य लोग आते हैं, inefficient लोग आते हैं। **...(व्यवधान)...** क्या आप यह कहना चाहते हैं? **...(व्यवधान)...** उपसभाध्यक्ष महोदय, यह 27 जून, 1961 का लैटर है। **...(व्यवधान)...** उपसभाध्यक्ष महोदय, जब लोक सभा में मंडल कमीशन पर बहस हो रही थी, **...(व्यवधान)...** 6 सितम्बर, 1990 को लोक सभा में बहस हुई, under Section 193, Discussion on Mandal Commission. मैं इनके एक नेता का बयान पढ़ना चाहता हूँ - "To me, it is breaking up of my country." यानी, मंडल कमीशन लागू होने पर, "To me it is breaking up of my country", तो मेरा देश टूट जाएगा। **...(व्यवधान)...** " Break up of my country may not be important to you. और, वे कहते हैं - "Who is trying to divide our country on caste and religion?" वे कहते हैं - "Congress cannot stand by and watch this nation being divided for the political convenience of one individual." उपसभाध्यक्ष महोदय, राजीव गाँधी जी, जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, यह उनका लोक सभा का भाषण है। **...(व्यवधान)...** आप भी निकालकर देख सकते हैं। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष महोदय, बीजेपी में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' से प्रेरणा लेकर आते हैं। **...(व्यवधान)...** आज आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, दत्तात्रेय होसबले, उनका 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में एक बयान आया है। **...(व्यवधान)...** वे कहते हैं - "Reservation should continue as long as there is inequality." यानी, आरक्षण तब तक लागू रहेगा, जब तक समाज के अंदर विषमता है। **...(व्यवधान)...** दत्तात्रेय होसबले जी ने कहा कि सामाजिक न्याय और social harmony, यह राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं हैं, हमारे लिए commitment का सवाल है। **...(व्यवधान)...** It is an article of faith. और, दत्तात्रेय जी ने कहा - "History of India is not different from the history of dalits. Without the history of dalits, India's history is incomplete.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र कुमार नागर) : प्लीज़, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... आपकी बारी आएगी, तब बोलिएगा। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... आप चेयर को एड्रेस करिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुशील कुमार मोदी : उपसभाध्यक्ष महोदय, ये वे लोग हैं, जिन्होंने सीताराम केसरी को बेइज्जत करने का काम किया। ...**(व्यवधान)**...* सीताराम केसरी जी को हटाकर अध्यक्ष बन गईं, उनको 24-अकबर रोड से बेइज्जत होकर भागने पर बाध्य होना पड़ा। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष महोदय, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए काम कोई और दूसरा नहीं करेगा, बल्कि केवल नरेन्द्र मोदी करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : सुशील जी, अब आप समाप्त कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुशील कुमार मोदी : सर, एक मिनट। ...**(व्यवधान)**...उपसभाध्यक्ष महोदय, ये वे नरेन्द्र मोदी हैं, जिनकी माँ बगल के घर में बर्तन माँजने का काम करती थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रदीप टम्टा : सर, ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : टम्टा जी, प्लीज़ आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुशील कुमार मोदी : ये वे नरेन्द्र मोदी हैं, जिन्होंने अपने बचपन में चाय बेचने का काम किया। ...**(व्यवधान)**...ये वे नरेन्द्र मोदी हैं, जिन्होंने लैम्प पोस्ट की रोशनी में पढ़ाई की है, इसलिए आगे आने वाले दिनों में अगला चुनाव भी हम जीतेंगे और वर्ष 2024 में भी नरेन्द्र मोदी देश के प्रधान मंत्री बनेंगे। ...**(व्यवधान)**...इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी के लिए "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" हम ही करेंगे और कोई दूसरा नहीं करेगा, धन्यवाद।...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I stand here on behalf of the All India Trinamool Congress to gladly support the Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021. With full support, I make an appeal to you. I am feeling a little sad, but I am sure the appeal will work. Yesterday, there was a seven-hour discussion or an eight-hour discussion in the Lok Sabha. Today, we have had two hours and about six more hours to go. Sir, we are missing somebody in the Parliament. We are really missing our hon. Prime Minister. So, through you, Sir, I make a humble appeal. We still have five or six hours to go. This is an important

---

* Expunged as ordered by the Chair.

Constitutional Amendment Bill. I am sure my appeal will not fall on deaf ears and he will come here to listen to us. ...*(Interruptions)*... Or else, in the Olympic spirit, we can have a cutout too. But that would not be very parliamentary. There is no doubt our hon. Prime Minister is a great believer in the Olympic Games. There is an Olympic God. The Olympic God was Poseidon. Poseidon is linked today to army, media, ministers, activists, judiciary, opposition members, Abhishek Banerjee. How is it, Sir? Because Poseidon's son is called Pegasus. So maybe tomorrow or day after tomorrow, if you want to extend this discussion, we would like to come and discuss this on the floor of the House.

Sir, I am also very happy today because I am the second speaker from the Opposition. Now it may be a coincidence that the first speaker from the Opposition was my friend and colleague who is a Member of Parliament from West Bengal. My friend and colleague, Abhishek Manu Singhvi is a Member of Parliament sent here by the MLAs of the Congress Party and the Trinamool Congress Party. It is not a coincidence. I was not going to talk about elections. I was going to talk straight into the OBC Bill. But the previous speaker told me that he is going to win some election in 2022 or 2023. So I mildly want to remind him that with nine per cent OBCs in Bengal, with thirty per cent Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Bengal, and with fifty per cent women in Bengal, we actually don't want to talk about elections, because we don't talk, we do. But it seems that the nightmare is continuing and our friends here can't get away from Bengal because first Singhvi and now O'Brien and Bengal election was not.. We are discussing a Constitution Amendment Bill today. It was not just an election against my party or my party's manifesto versus another party's manifesto. Our interpretation is that it was an election where a manifesto was against the Constitution and the Constitution won.

Sir, I am not a trained lawyer. I won't always use pretty words.

*"Neither can I bear the pain nor can I express myself." Sir, I will translate it for you. This basically means that neither can I bear the pain nor can I express myself. And I am actually referring to the legislation. What is this Government's track record on poor legislation? Mistakes, oversights, callousness, etc. were the words of my fellow MP from Bengal. I am a bit more blunt. I would use the word 'incompetence'. Let me give you examples. The first one is this. Like every other party, Trinamool Party's dissent note had stated that the amendment to the Constitution through this Bill undermines the role of State Governments,

---

* English translation of the original speech delivered in Bangla.

State Commissions, etc. It is all there in the dissent note much before you went to the Supreme Court. But, Sir, through you, I want to present today as to how deep this incompetence of legislation is because we are talking on a Constitution Amendment Bill. Sir, 2016 is a fantastic example. They passed the GST Bill. We all supported. We warned them on implementation. This is our real record. Sir, 376 changes were made to GST in ten months. Through you, my request to the Government is, take our advice. ...*(Interruptions)*... आप सुनिए। am giving suggestions. ...*(Interruptions)*... Sir, this is the problem. ...*(Interruptions)*... The only point I am trying to make is, they have to understand that हड़बड़ी मत कीजिए, हमारे सजेशंस लीजिए और गीयर चेंज कीजिए, नहीं तो बंगाल में जो हुआ, वह बाकी देश में भी हो जाएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Mr. Derek, please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, my hypothesis is that...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : आप चेयर को ऐसे नहीं बोल सकते। मैं उनसे जो कहना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, what is GST? ...*(Interruptions)*... चलो, चलो। ...*(Interruptions)*... I gave you one example of GST. ...*(Interruptions)*... The hon. Home Minister was here a few months ago or one year ago. On the floor of the House, the hon. Home Minister, not some ordinary person, talked about the Citizenship Amendment Act. ...*(Interruptions)*... वह दिखावा था, कुछ नहीं हुआ। Again, you come here. ...*(Interruptions)*... This is Parliament. ...*(Interruptions)*... Sir, I will give you one more example which all of us know of. I will only use two words, 'Farm Bills'. Again, what did you do? You did not listen. So, you have a history. ...*(Interruptions)*... Sir, the problem is, when they speak ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please. ...*(Interruptions)*... You continue. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, this is the fourth interruption. ...*(Interruptions)*... Basic hypothesis is that there is fault one, fault two, etc. Lovely! You correct the fault and

then you congratulate yourselves. That is the basic thing which my fellow MP from Bengal and I are trying to say.

Now, I come to the core issues of federalism. It is good that in this Bill, you have done the correction. I have done a study. I shouldn't be saying 'I', it is our whole team in Trinamool who have done a study. We studied the last 98 Bills passed in Parliament. Out of the 98 passed, 29 are core anti-federal Bills. *...(Interruptions)...* An amount of Rs.6,90,000 crore promised to the States is not released. *...(Interruptions)...* Now, you are making all these promises quoting federalism. But, you have not given the States that amount of Rs. 6,90,000 crore. It is an assault on federalism. *...(Interruptions)...* Sir, let me explain to them. *...(Interruptions)...* The basic hypothesis of the Supreme Court on OBCs has been made by the opening batsman. *...(Interruptions)...* We discussed our speeches yesterday. *...(Interruptions)...* That is the coordination we have in the Opposition. What is the problem if we do that? *...(Interruptions)...*

Sir, I come to one interesting point. It is again about States. In 2014, the States were spending 46 per cent; now, the States are spending 65 per cent on programmes they undertake. Sir, why is there no caste-based census? It is an obvious question; it is a rhetoric question. *...(Interruptions)...* You see the BJP has one answer to all the problems and it is that the real reason for all this, even given in 2018, is Pandit Nehru did this, Pandit Nehru approved a wrong draft, etc. Have some humility and say, sometimes you made a mistake. *...(Interruptions)...* You said you were *....(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please. *...(Interruptions)...* Mr. Derek, you please continue. *...(Interruptions)...*

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, you protect me. *...(Interruptions)...* You see, we allowed them to do the*.....(Interruptions)...* They are MPs. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): You continue. *...(Interruptions)...*

SHRI DEREK O'BRIEN: We allowed the top two to do the talking for three months. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Mr. Derek. *...(Interruptions)...*

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, what to do? *...(Interruptions)...* You protect me. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please. *...(Interruptions)...* One minute. *...(Interruptions)...* Mr. Derek. *...(Interruptions)...*

SHRI DEREK O'BRIEN: On this, because of this, caste-based census is not done and I want to take you back because, again, it is a small group of people. It does not matter OBC, SC or ST, they are small-small groups. Look at the 126th Amendment, which Parliament passed. The point I am trying to make here is that the smaller you become, the more the majoritarianism attacks you. The 126th Amendment, we all welcomed it. We all welcomed it. Why? It is because you took the SC, ST reservation up by ten years. We said: 'Not 10 years, take it by 30 years.' But what did you do? Cheap stunt! A small community of 4,00,000, the Anglo Indian community, you took away their reservation in the ten Assemblies and of the two MPs. What did you tell them? You told them that the census said: '200 people'. Right, Sir? Now,*.....(Interruptions)...* आप बोलने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : देरेक जी, आप बोलिए। You please continue. *...(Interruptions)...*

SHRI DEREK O'BRIEN: You see, Sir,*.....(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): You continue please. *...(Interruptions)...* No, no. *...(Interruptions)...* Please be quiet. *...(Interruptions)...* You continue. *...(Interruptions)...*

SHRI DEREK O'BRIEN: So, now, you know why this Government does not want to discuss the son of Poseidon because if we start discussing it, then, lots of skeletons would come out of the cupboard.

In conclusion, Sir, I can give*.....(Interruptions)...* How many minutes do I have?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): You have one minute only.

SHRI DEREK O'BRIEN: One minute left. They took two minutes. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): In one minute. *...(Interruptions)...*

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please listen. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Yes. *...(Interruptions)...*

SHRI DEREK O'BRIEN: You tell me to sit down, I would sit down. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): No, no. *...(Interruptions)...* You please continue. *...(Interruptions)...*

श्री देरेक ओब्राईन: वहां तो 220 सीट्स हो गई हैं और आगे पार्लियामेंट में क्या बोलेंगे! I want to make two points. One is on the ground implementation. Nine OBC professors' posts out of 313 quota empty. Look carefully at some of your States, especially, Uttar Pradesh. Sir, 48 per cent of OBC students are dropping out of IITs, IIMs. These are the big issues we have to give; just do not give them the numbers. Make sure they are implemented.

My last point is this. In the last 22 days, 35 Bills, and everyone is patting themselves on their back! This was written for me yesterday by a very famous Indian lady, internationally famous. Not Mamata Di, okay! So, we were talking about how do we summarize what is happening in the last two years in India? It is beautiful. I want to leave this with you. This is not some international quote and I reiterate that we fully support this Constitution Amendment. This is what is written. Please hear this and, maybe, afterwards you can give me your Hindi translation which would make it even better. "We must not forget the dead; summer of dying, monsoon of spying, year round lying." Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thank you Mr. Derek. The next speaker is Shri Prasanna Acharya.

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Thank you, Vice-Chairman, Sir. Give me permission to speak today in my mother tongue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): There are two speakers from your Party.

SHRI PRASANNA ACHARYA: I will be speaking in my mother tongue, Odiya, today. *"Sir today is a historic day and my party BJD is fully supporting the Constitution (Amendment) Bill that has come up.

Sir, I don't know whether due to the flaws involved in the 102nd Constitutional (Amendment) Bill that was brought earlier, to which Shri Manu Singhvi ji was referring or due to the misunderstanding and misinterpretation of Supreme Court, the Bill was nullified and the power of the State Government was taken away. We are very happy that the hon. Minister in his Statement of Objects and Reasons has stated that this Amendment has been brought with a view to strengthen the federal structure of this country.

Sir, as Shri Derek ji was saying that in most of the Bills, either directly or indirectly, the powers of the States are being taken away by the Central Government. We are happy that through this Bill, the States are getting back their power and authority which was once taken away. Likewise, there have been legislations where the powers of the States were taken away and if those could also be restored and assigned back to the State Government by the Centre, it would make BJD happy. We will be the happiest party if all those powers taken away by the Centre from the States are restored.

Sir, Mahatma Gandhi in his deliberations on Swaraj had been saying and his main focus was always aimed at economic equality. Gandhi ji used to say that when we are born equal, we have the right to equal opportunity and based on that the framers of our Constitution had made the provision of reservation in the Constitution of India.

Sir, I would refer to two issues only as I am left with limited time. Moreover, another member from my party Shri Amar Patnaik will also analyze and deliberate on the given subject from a legal perspective. Many State Governments have devised their own reservation policies on various occasions for the people belonging to the OBC and SEBC castes. But all these policies have come under controversies and all have been referred to High Courts and Supreme Court and in most of the cases

---

* English translation of the original speech made in Odia.

(there are verdicts of five courts), the respective courts have rejected them. The main reason for rejecting them was the non-availability of any statistics or census data pertaining to SEBC and OBC in India.

The first caste-based census was carried out during the British rule in 1932 and since then it has never been done again. And, the issues which the Congress party MP Shri Abhishek Manu Singhvi has been highlighting in his speech never got implemented. Therefore, our party BJD proposes that in the forthcoming census there should be at least a provision of caste-based census. If the caste-based census is carried out, then the reasons based on which the courts have been nullifying the cases earlier would be at least taken care of and we will get rid of that. This is my first point. Secondly, in Odisha there are 22.5 per cent STs, 16.25 per cent SCs and majority proportion of rest of the population is largely from the OBCs. Therefore, the Government of Odisha increased the reservation for OBC and SEBC which was earlier 11.25 per cent but the proposal was rejected by Odisha High Court as it crossed the 50 per cent ceiling. We, therefore, urge you, Sir, that necessary provision be made in the law and if need be let the Government come up with Constitution Amendments and at least power be vested with the State Government so that they could make provision to provide reservation beyond the 50 per cent ceiling.

I wish to put forward two suggestions. First, the ceiling may be increased beyond 50 per cent and secondly, the forthcoming census should be conducted based on caste consideration so that in future any such legislation will be based on a correct data and courts cannot reject them. With these two proposals, I conclude my speech.Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): The next speaker is Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I stand here on behalf of the DMK Party. I stand with my head held high belonging to a party which was the pioneer of social justice, a self-respect party to support this Bill, the 127th Amendment to the Constitution. Sir, why I stand with my head held high because in the year 1927 itself, that our parent party, the Justice Party, was ruling the Madras Presidency, the first communal G.O. was introduced providing reservations to all sections of the people. In 1951, the first Amendment to the Constitution was made. Thanks to the struggle and agitation that happened in Tamil Nadu spearheaded by Thanthai Periyar, Arignar Anna, Dr. Kaliagnar and Kamaraj. It was Pandit Jawaharlal Nehru who made the first Amendment to the Constitution providing reservation. And this Government

has brought in this Amendment only out of compulsion. What you had done, you are undoing now. The Supreme Court on 5th May, 2021 in the Maratha case held very clearly that the President, on the recommendations of the National Commission for Backward Classes, would designate the communities to be included in the OBC list. It also observed that the States' power to make reservations, in favour of particular communities or castes, the quantum of reservations, the nature of benefits and the kind of reservations, and all other matters falling within the ambit of Articles 15 and 16 remains undisturbed except with respect to identification of SEBCs. As a result of which, 671 OBC communities, their reservations in educational and employment institutions, were affected. So it is a compulsion and I should mention here, at least, my colleagues in the opposition parties would have noted that and would have been happier, in all these years of this Government's rule, this is the first ever time they have mentioned, 'with a view to maintain the federal structure of this country.' All these days, all their Bills that were enacted as laws here and their activities were unfederal. This is the first ever time which is with a view to and in the consideration of the federal nature of this country, that too under the pressure or rather the situation has warranted that it has to be done that this Bill provides, empowers the States and Union Territories to select on their own and notify the OBC list in their respective States and Union Territories. Secondly, the Minister of Social Justice in his introductory speech very proudly said that 4,000 medical college seats have been given to the OBCs because of their intervention. Sir, I should say again that only because our party President and Tamil Nadu Chief Minister, Shri M.K. Stalin sought in the High Court of Madras through a writ petition that 27 per cent reservation should be allotted in the medical colleges which the States have shared with the Central pool, the Government was compelled because it would lead up to contempt of court. These things have to be considered because we stand here; you do everything out of compulsion and not with the intention of upholding the rights of the States or Union Territories because federalism is not a suitable word to you. You always concentrate on one language, one nation, one religion, everything one-one-one. But we are not for that. It is a composite culture nation with features of multi-lingual, multi-regional and everything which has to be upheld, and that is the fundamental and unique feature of our Constitution. Here I have to say again and very importantly in the same judgment the court has said that 50 per cent ceiling could be breached in case of exceptional circumstances. But in this case, it is said that exceeding of ceiling limit without their being any exceptional circumstance, clearly violates Articles 14 and 16. Sir, whether to decide which is exceptional circumstance, lies with the court. Any law that is legislated must be unambiguous. So it is very imperative that we have

to address this ambiguity in such things. What is this 'exceptional circumstances'? So we have to concentrate on all those things. If a State or even the Centre legislates or includes something, the court may not accept that it is an exceptional circumstance. So we insist two things very much. Kindly look into the lifting of the 50 per cent cap in providing reservations. That is very, very important. So also in Tamil Nadu, there are 80-90 per cent of Backward Classes communities. The reservation is only 50 per cent. So if the States have to be duly provided with the share of the respective OBC communities in their States, the caste-wise census has to be conducted, which the Union Government has to take into consideration. This is very important. Otherwise, the allocation of the reservation percentage to the respective communities in the States will not be proportionate. So, the State-wise census should be immediately conducted. We have to concentrate on lifting the 50 per cent cap which prevents us as, but for the reservation, the socially and educationally suppressed classes would not have come up. We have come across centuries of suppression. Thanks to the great fighting of, again to say, Periyar Anna, Kalaignar, Jyotirao Phule, Narayana Guru, Kamarajar and so many leaders and, on this path, our present leader, Mr. M.K. Stalin is leading and we will always fight for social justice causes, and we support this Bill only on this ground. And, kindly hereafter whenever you attempt to do something, do that in the interest of the people, not out of the compulsion of the court. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thank you. The next speaker is Dr. Banda Prakash.

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Sir, on behalf of our party, Telangana Rashtra Samithi, we support the 127th Amendment intended to restore the powers of the State Governments to maintain their list of the OBCs which was taken away by the earlier amendment. Earlier, as all the speakers said, even in the Parliamentary Standing Committee, at the time of discussions on that amendment, several political parties stated the problem, that the amendment will take away the powers of the State. But, at that time, the Floor Leader also had given an assurance that that will not be taken away. But, unfortunately, it happened. Now, we will appreciate the Government of India for rectifying their mistakes and giving back the powers of the State Governments. Sir, before we go into the implementation, there is always a problem. The State has to maintain their lists. But, the demand of the reservations is more in the States. In several States, there are so many demands. In Maharastra, the Marathas; in Rajasthan, the Gujjars and in other States, the other communities are

demanding for the more reservations. With the 50 per cent cap on the reservations, we will not get particular reservation. If you see the Central Government's directions also, in particular recruitments, sometimes when SCs population is increased, the BCs reservation is decreasing. That is, only up to 50 per cent reservation we have to do. You kindly go through the DoPT statements on the open competitions, civil services posts; the reservation implementation is around 25 per cent and odd points and not 27 per cent. Sometimes it gets reduced more because of the 50 per cent cap. The Telangana Government has given 34 per cent reservations to the local bodies. We are compelled to go down to 24 per cent. Always it is happening in the case of 50 per cent cap. For 50 per cent, from which data, or what data is available for the Supreme Court? On what basis, have they gone for only the 50 per cent? What is the scientific evaluation they got? Since 1931, there is no census in India. Every time we are demanding. In 2011, they did but after that it is not revealed so far. We had demanded number of times for the Backward Classes Census in the country. In 2018, on the floor of the House, former Home Minister and the present Defence Minister, Shri Raj Nath Singh assured the House that the Census will be conducted in 2021 with OBC quota. Even in August, 2018, his Ministry has given a statement that a roadmap will be decided and we will go for the OBC data collection in the census. But, as on today, nothing has been done. We once again request the Government of India to please take care of implementing the OBC census. Sir, without any data, how are they formulating any programmes? Even regarding implementation of the reservations also, I wanted to bring it to the kind notice of the House that on a number of times reservation implementation is violated in higher educational institutions like IITs, IIMS, Central Universities. Even in PhD admissions also, the implementation of this policy is violated. Last time, we had a review of the financial institutions. In the big banks like State Bank of India, the pride of India; the reservation percentage is only 19 per cent. Even the organization, which has to regulate the banks, the Reserve Bank of India, there also the reservation is very less. I request you to kindly see that the reservation should be implemented in a proper way. Sir, another point is we are demanding the reservation, but, it is only for the sake of equality. We even want political reservation also in the legislature. Our Telangana Government, under the leadership of our Chief Minister, K. Chandrashekar Rao, made a Resolution for reservation of 33 per cent for the Backward Classes in the legislature. Sir, almost eight years back, we had sent it to Delhi, and now we have to search as to where it is, what is the process, where is it going? Are you bringing it to the Parliament? What is your commitment on reservation of Backward Classes in the Parliament? How many Members belonging to Backward Classes are there in Lok Sabha, how many

Members belonging to Backward Classes are there in Rajya Sabha, kindly examine all these things, and you should go in for political reservation in State legislatures and Parliament.

Sir, another point is that the judiciary is giving so many judgements against the Backward Classes. When it is coming to the Backward Classes, they will think of putting a cap. When it is EWS, why are they not thinking of putting a cap? The Central Government itself has violated the 50 per cent ceiling by giving 10 per cent reservation to EWS category. Why is the Supreme Court silent? They have increased it by 10 per cent, and now it is 60 per cent. Why are they silent? In the case of Backward Classes, they will think of creamy layer; they will think of putting a cap of 50 per cent. Why not in other cases? यह creamy layer कहां से invent हुई? Who has invented this creamy layer? Creamy layer की बात हमारी Backward Class को मालूम ही नहीं है। इसमें cream क्या है, layer क्या है, वे खाते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। Who has invented this creamy layer? Is it placed in the Constitution, where is it placed, who is asking for the creamy layer?...(Time Bell rings)... आप ही creamy layer लाते हैं और आप ही creamy layer लगाते हैं। आप वीकर सेक्शन के ऊपर यह लगाते हैं, तो जनरल केटेगरी में भी creamy layer लाइए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : अब आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डा. बांडा प्रकाश : महोदय, मैं बैकवर्ड क्लास के बारे में बात कर रहा हूं and we belong to Backward Classes.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

DR. BANDA PRAKASH: We wanted to express our views. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Six minutes. *...(Interruptions)...*

DR. BANDA PRAKASH: Sir, in four hours' time, we will get eight minutes, not six minutes. हमारे भाई लोग बोल रहे थे कि मोदी सरकार में बैकवर्ड क्लासेज को ज्यादा फायदा हुआ है। हमारी उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है at least you create a Ministry for Backward Classes. सब लोग मिनिस्ट्री में रहते हैं, माइनॉरिटीज़ वाले भी रहते हैं, विमेन को भी मिनिस्ट्री मिलती है, बैकवर्ड क्लासेज को क्यों नहीं, why are you neglecting the Backward Classes? Kindly create a Ministry for OBC also; this is our demand.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please conclude, समाप्त कीजिए।

DR. BANDA PRAKASH: Sir, one last point. Please bring out a document on the policies or the implementation of policies or whatever your Government is doing. Kindly come out with a policy for the OBCs which constitute...(Time Bell rings)... 60 crores of the Indian population. Without development of the Backward Classes, there is no development of the country.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, in our system of judicial governance, view of the Judge or the court alone prevails rather than the view of the people. So, view of the judge or the court alone prevails, whatever is the written law, whatever is the evidence on record. It is only the view of the judge or the court. Now, rightly, our hon. Prime Minister has taken timely intervention, very quick intervention, by bringing this 127th Constitutional Amendment to set right the error as rightly pointed out by our senior lawyer Shri Abhishek also. Now, the States are empowered by our Prime Minister to identify the communities or the castes for the reservation. Then this Bill is to assert the primacy and supremacy of our Parliament in public policy matters. Our hon. Prime Minister has upheld the federal structure of our Constitution by bringing this Bill. We thank our hon. Prime Minister. With regard to reservation, there cannot be any speech without mentioning Madam hon. Amma. She alone brought 69 per cent. Even the Ninth Schedule of our Constitution was amended and the law providing 69 per cent reservation was included in it. Then with regard to 27 per cent, the notification should be by the Central Government subject to correction. Regarding the Madras High Court judgment, no appeal has been preferred by the Central Government magnanimously accepting the judicial verdict. So, it shows the real intention of our hon. Prime Minister. Our senior leader, Dr. Thambidurai will elaborate regarding the reservation and the contribution made by hon. Dr. Amma. Thank you, Sir.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): Hon. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak in Telugu language, which is my mother tongue.

*"Sir, Yuvajana Sramika Rythu Congress Party fully supports the Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021 brought by the Central Government. I would like to thank the Hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi for his efforts in bringing this Bill and also the Hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy for giving his Party Members full liberty to express their ideas in this august House.

We welcome this Bill as it seeks to restore the power vested by the Constitution in the States and Union Territories to make their own lists of socially and educationally Backward Classes under Article 342A of the Indian Constitution.

In the One Hundred and Second Constitution (Amendment) Act, 2018, three new articles, that is 342A, 366, and 338B were inserted to the Indian Constitution. Article 338B was in regard to the establishment of National Commission for Backward Classes. Article 342A pertained to the Central List of OBCs. Article 366 defined the socially and educationally backward classes. All the three Articles were inserted in the Constitution then.

After the One Hundred and Second Constitution (Amendment) Act, confusion arose whether to consider the list prepared by the Centre or by the State for the socially and educationally backward classes. Hon. Supreme Court Judge delivered a ruling in May 2018 that the list prepared by the Centre should be considered for awarding OBC Status. There is a huge variation between the lists prepared by the Centre and the States. Sir, the intention of the Central Government in bringing this Constitution (Amendment) Bill is that there will be no injustice done in identifying the Other Backward Classes if the States are given the power in preparing their own lists. There are certain complications attached to this. As many people who are ineligible are also trying for this status, smaller Sates might witness immense pressure. By eligibility, I meant social backwardness and educational backwardness. Both should be the criteria. What is the objective of Indian Reservation System? That is the objective.

This objective should never be diluted. Only those who are both socially and educationally backward should be eligible for this reservation. Sir, nowhere in the Bill it is mentioned that the lists prepared by the States of the socially and educationally backward classes should be approved by the National Commission for Backward Classes. There might have been a mention of policies of the National Commission for Backward Classes in the Bill, but when a doubt has arisen, it is the responsibility of the Central Government to clarify the doubt. Hence, I request the Central Government

---

* English translation of the original speech made in Telugu.

to insert this point in the Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021.

All the States and Union Territories should compulsorily take the permission of the National Commission for Backward Classes before preparing their own lists of socially and educationally backward classes. This point should be inserted in the Bill.

Sir, please allow me three more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thank you.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: I request the Hon. Minister to consider my request and to insert the point in this Bill as many people are trying to take advantage of this Bill to get benefit illegally. But the rights of the people who are truly eligible for the reservation should be protected. Thank you, Sir.

2.00 P.M.

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am supporting this Bill. We all know that the Government has come up with this Amendment out of a compulsion and as a way to rectify the mistake committed by it. It is a welcome step and we are all welcoming this decision. But, using this action to glorify the attitude of the Government towards the backward classes is actually mocking those sections which got hurt by the supporters of this Government. It is known by everyone as to what the past record of the Government is in this matter. Here, the Government was forced to act as the apex court intervened. It is also clear that the attitude of the BJP and its allies towards the weaker and marginalised sections of the society will never change. The religious minorities, Dalits and OBCs in the country know very well and they have learnt from their past experiences that this Government is against them, and they actually fear to live in this regime.

Sir, the partisan attitude of the Central Government on the issues of the OBC reservation was displayed when the Government had got an Amendment passed in Parliament in 2018, to provide the constitutional status for the National Backward Commission. It introduced a clause by which the power to notify a class 'Socially and Educationally Backward Class' was vested with the President, that is, the Union Government. At that time, in Parliament, the Opposition Members had pointed out that this may adversely affect the right of the States to identify OBCs. But, the Government brushed aside these objections. Till then, the Central Government through the National Backward Classes Commission was identifying OBCs for the

Central list while the State Governments through the State Backward Classes Commissions were undertaking that job for the State List. The Supreme Court hearing a case regarding this amendment has, in May this year, interpreted the 102nd amendment as vesting sole powers with the President, i.e. the Union Government, to notify who the OBCs are. The Supreme Court verdict decrees that the States by this Amendment have been deprived of this power. They can only give suggestion to the President or to the National Backward Classes Commission. This constituted a serious attack on the right of States to determine who OBCs are within their States. Though the Union Government has maintained that the Constitution Amendment was not meant to deprive the States of their rights, it did not take any steps to undo the damage till the recent days. This required amending the Constitution to rectify the earlier mis-step. Instead of doing so, the Union Government went for a review petition to the Supreme Court which was rejected. The Union Government should have straightaway brought a Constitution Amendment to restore the rights of the States on identifying OBCs in the beginning of this monsoon Session. Anyway, after wasting time, the Government has now decided to introduce a Constitution Amendment. There are other issues also. The reservation available to economically weaker sections is not applicable to the State of Kerala because the criteria which you have fixed is not suited to the State of Kerala. Most of the deserving, eligible families in the State of Kerala are not getting the reservation meant for economically weaker sections because of the socio-economic conditions of the particular State. So, I urge upon the hon. Minister to review the norms for getting reservation under the economically weaker sections of the society. Another point is regarding the Christian community, especially the *Dalit* Christians in the country. In the State of Kerala also, now the Nadar Christian community has been provided the reservation. The High Court has struck it off because 50 per cent norm is not there. Also, nobody is listening to the issues of *Dalit* Christians. They are also entitled for reservation. Sir, the federal system of the country should be well protected. The State's obligation is to undertake the emancipation of deprived sections of the community and eradicate inequalities. When reservations create inequalities within the reserved caste itself, it requires to be taken care of by the State, making sub-classification and adopting a distributive justice method so that States' largesse does not concentrate in a few hands and equal justice to all is provided. It involves redistribution and reallocation of the resource and opportunities and equitable access to all public and social good to fulfil the very purpose of the constitutional mandate and equal justice for all. We should have discussed the Constitution Amendment in the very beginning of the Session. The valuable 20 days have been lost only because of the Government.

Nothing about the personal rights of the citizens of this country, which was attacked by snooping by external agencies like Pegasus, was allowed to be mentioned here. It is this unconstitutional attitude that created all the problems in the House. It should not be repeated. With this, I conclude. Thank you, Sir.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई संशय या दुविधा नहीं है। मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं, चूंकि समय बहुत कम है। पहली बात यह है कि इसके बाद राज्यों को सूची को बनाने और संशोधित करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन इसका तब तक कोई लाभ नहीं है, जब तक 50 परसेन्ट रिज़र्वेशन की जो कैप है, सीमा है, उसे बढ़ाया नहीं जाता। क्योंकि अभी जो जातियाँ OBC की सूची में हैं, अगर उनके अलावा कुछ नयी जातियाँ आयेंगी, मान लीजिए 7 परसेंट आ गयीं और उत्तर प्रदेश में 27 परसेंट रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन 27 परसेंट ही रहेगा, लेकिन ये 7 परसेंट आ जायेंगी, तो जो existing OBC communities हैं, उनका नुकसान होगा। OBC को लाभ तभी हो सकता है, जब इसकी सीमा को, 50 परसेंट की सीमा को बढ़ाया जाए। अन्यथा अगर फिर कोई मामला करेंगे, तो मराठा रिजर्वेशन की तरह सुप्रीम कोर्ट उसको struck down कर देगा। दूसरा यह है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सही तरीका हो। यह तब तक सही तरीके से नहीं हो सकता, जब तक इस देश में caste census न हो, जातीय जनगणना न हो। हर कम्युनिटी की कितनी संख्या है, उसका एजुकेशन का परसेंटेज क्या है, कितने नौकरियों में हैं, क्लास वन में कितने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने हैं, स्टेट गवर्नमेंट में कितने हैं, कितनी जमीन है, पक्का घर है, कच्चा घर है, बिना घर वाले हैं - जब तक यह तय नहीं होगा, तब तक राज्य सही तरीके से यह डिसाइड नहीं कर पायेंगे कि कौन सी ऐसी और जातियाँ हैं, जिनको इस वर्ग में लाया जाए। यह भी बहुत आवश्यक है।

अभी मैं मोदी जी को सुन रहा था, माननीय सुशील मोदी जी को। उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। ...(**व्यवधान**)... इसीलिए मैंने सुशील मोदी जी कहा, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। He may be technically correct, लेकिन factually यह बात सही नहीं है, वह मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। इससे पहले मुझे आशंका इस बात की है कि चर्चा चलती रहती है और जो चर्चा चलती है, कई बार वह सही हो जाती है। वह यह है कि जब नयी सूची बनेगी तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, जो मौजूदा ओबीसी की जातियाँ हैं, उनमें से तीन जातियों को, यादव, कुर्मी और गूजर को - मान्यवर, आप भी गूजर ही हैं - उससे बाहर कर देगी। यह चर्चा है और आप आगे चल कर देखिएगा कि यह होगा ही। कोई न कोई बहाना ढूँढ़ कर इन जातियों को, कि इनमें पढ़े-लिखे हो गये -- हालाँकि अगर caste census के हिसाब से सारी चीजें सेंसस में आ जायें, तो ये कभी नहीं आउट की जा सकती हैं, लेकिन ये की जायेंगी।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ कई मंत्रीगण बैठे हैं। डीओपीटी से पता कर लीजिए कि जब से ओबीसी के लिए आरक्षण लागू हुआ है, कितने लोग, जो फाइनली क्लास वन सर्विस में, खास तौर से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस में सेलेक्ट हुए थे, वे ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजे गये और उनकी जगह unreserved category के दूसरे लोग भेज दिये गये। आप पता कर लीजिएगा, मेरे पास सूची है। अगर आप ओबीसी के हमदर्द हैं, तो यह पता कीजिए कि ये

लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। सेलेक्ट होने के बाद उनके घरों पर मिठाई बँट जाती है, लोगों की शादियाँ तय हो जाती हैं, लेकिन पता चला कि वे ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजे गये। किसी से कह दिया कि आपका क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट सही नहीं है, किसी को कुछ बहाना बना कर या किसी को न भेजने के लिए किसी जनरल कैटेगरी वाले को प्रॉपर आईएएस में आना है, तो उसको ऊपर लाने के लिए दो लोगों को रोक दीजिए, ऐसा भी होता है। मैं उधर जाता हूँ, तो लोक सभा में भी बीजेपी में ओबीसी के इतने मेम्बर्स हैं कि अगर वे चाहें तो सब पूरा हो सकता है, क्योंकि वे अगर थोड़ा सा इधर-उधर हो जाएँ तो यह सरकार भी नहीं रह सकती, चाहे जितनी बहुमत में है, क्योंकि ओबीसी ही बहुमत में है। इसके बावजूद ओबीसीज़ नेग्लेक्टेड हैं।

आपने इतना कहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। माननीय मोदी जी, यूजीसी की सूचना के हिसाब से हिन्दुस्तान के 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 1 अगस्त, 2020 को प्रोफेसर्स की 313 पोस्ट्स में केवल 9 पोस्ट्स भरी हुई हैं, 304 खाली हैं। ...**(व्यवधान)**... एसोसिएट प्रोफेसर्स की 735 पोस्ट्स में से 38 भरी हैं, 697 खाली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 2,232 पोस्ट्स में से 1,327 भरी हैं, 905 इसमें भी खाली हैं। इसके अलावा मैं ज्यादा आंकड़े नहीं दूँगा। इग्नू में 346 पोस्ट्स हैं, जिनमें से 66 परसेंट खाली हैं, 115 भरी हैं, 231 खाली हैं। IISER (Indian Institute of Science, Education and Research) में 153 पोस्ट्स हैं, 86 भरी हुई हैं और 67 खाली हैं, यानी 44 परसेंट इसमें भी खाली हैं। IISc में 303 पोस्ट्स में से केवल 31 भरी हैं, 272 खाली हैं, यानी आज भी 90 फीसदी वैकेंसी है। ...**(व्यवधान)**... तो अगर आप लोग कहते हैं कि हमने इतना किया, इतना किया, अगर किया है, तो कागज पर करते रहिए और जमीन पर न उतारें, तो लाभ किसको हो रहा है - किसी को लाभ नहीं हो रहा है। किसी को लाभ नहीं हो रहा है। उपसभाध्यक्ष जी, आप मत कहिएगा, मैं खत्म कर दूंगा। मैं लगातार सुन रहा था, यह सही है कि मंडल आयोग को भी, आपने कहा कि आपकी वजह से, आप थे या नहीं थे, आपने withdraw किया इसलिए Shri V.P. Singh was compelled to bring this. यह रियेलिटी है। आपने वापस किया, तब श्री वी.पी. सिंह साहब ने मंडल आयोग को लागू किया। उसके बाद ही चुनाव करा दिये गये थे। जैसे ही आडवाणी जी ने कहा था कि हमें अगर गिरफ्तार कर लिया जायेगा, उसी वक्त मैं विदड्रॉ कर लूंगा, बिहार में गिरफ्तार कर लिये गये, विदड्रॉ कर लिया, तब श्री वी.पी.सिंह जी ने यह मंडल आयोग लागू कर दिया। खैर, मैं यह मानता हूं कि आप जब-जब रहे, तब इन बैकवर्ड्स की बात हुई, लेकिन अब जब आप ऐसी स्थिति में हैं, तब यह सब स्थिति क्यों चल रही है? माननीय सुशील मोदी जी यहाँ मौजूद हैं या नहीं हैं? नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सुशील मोदी जी, आपकी बात सुनकर मुझे याद आता है कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तब संस्कृत में एक कहावत आती थी और बच्चों से एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता था कि "अहम् ढपोरशंखनम्, वदामि च ददामि न।" मैं तो ढपोरशंख हूं, बोलता हूं, देता नहीं हूं। ये ढपोरशंख की बातें मत कीजिए। देना है तो ओ.बी.सी. को दीजिए, इन्हें मूर्ख बनाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, मैं संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। डॉ. राममनोहर लोहिया ने 1966 में नारा दिया था-

'संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावें सौ में साठ,
अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा,
राष्ट्रपति का बेटा हूँ या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एकसमान,
जो जमीन को जोते-बोये, वो जमीन का मालिक होवे।"

सन् 1966-67 में उन्होंने नारा दिया था और उनका कहना था कि जीवट लाओ, जीवट और खाद बनने का काम सवर्ण लोगों ने किया था, राजनारायण जी ने किया था, चन्द्रशेखर जी ने किया था, एस.एम. जोशी जी ने किया था, मधु लिमये जी ने किया था, मधु दंडवते ने किया था, मृगार पाण्डे ने किया था। इन लोगों ने खाद बनने का काम किया था। सन् 1977 में जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में साफ तौर पर था कि आरक्षण लागू होगा। मोरारजी देसाई जी, चन्द्रशेखर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी जैसे बहुत सारे नेता थे, जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र बना था, उसमें स्पष्ट था कि आरक्षण लागू होगा, लेकिन दिनांक 11-11-1978 को जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने लागू किया, तो उस समय की समस्याओं और उस समय की स्थितियों के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी और जानकारी है। उस समय आरक्षण लागू करना कोई मामूली चीज नहीं थी, लेकिन दिवाली के दिन दिनांक 11-11-1978 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू किया और 8 प्रतिशत पिछड़े वर्ग को, 12 प्रतिशत अत्यंत पिछड़े वर्ग को, 3 प्रतिशत महिलाओं.. 3 प्रतिशत आरक्षण पढ़ी-लिखी महिलाओं को उन्होंने दिया। इतना ही नहीं नीतीश कुमार जी जब आये तो महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रमुख में दिया, मुखिया में दिया, वार्ड परिषद् में दिया और अन्य मामलों में दिया और आरक्षण लागू किया। हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि प्रो. राम गोपाल बाबू ने जैसा कहा उस हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में institutions में जितनी भी जगहें खाली हैं, उन जगहों को भरा जाए, निश्चित रूप से भरा जाए। हम आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहते हैं कि आरक्षण को वर्तमान भारत सरकार ने जिस दिल से लाने का काम किया है, उसी दिल से उस पर अमल करने का काम करे। शुरुआत में सिंघवी साहब और सुशील कुमार मोदी जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का काम किया। वे तो महान वकील हैं, उन्होंने अपने तर्कों से इसको बताने का काम किया, इसलिए हमारी यह माँग है कि जाति जनगणना को शुरू किया जाए और जो अत्यंत पिछड़े वर्ग में हैं, जो समाज के अति में हैं, उनकी समस्याओं के निदान के लिए एकमात्र उपाय जनगणना करना ही है। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं सिंघवी साहब को बताना चाहता हूँ :

"चमन को सींचने में पत्तियाँ कुछ झड़ गई होंगी,
यही इल्ज़ाम है मुझ पे चमन से बेवफाई का।
मसल डाला जिसने चमन की कलियों को खुद अपने हाथों से,
वे दावा कर रहे हैं अब चमन की रहनुमाई का।"

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

प्रो. मनोज कुमार झा : शुक्रिया, उपसभाध्यक्ष महोदय। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। इस सत्र में संभवतः दूसरी बार पूरा सदन एक मत से इकट्ठा है, लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण की विडंबना

देखिए कि इतिहास मिटा करके इतिहास रचते हैं टेंट, शामियाना लगा करके, यह उचित नहीं लगता है।

मान्यवर, मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत में आपका प्रोटेक्शन चाहते हुए एक छोटी सी चीज़ अपने सारे साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे सीनियर हैं स्वर्गीय डा. तुलसी राम, जिनकी दो आत्म कथाएँ - मुर्दहिया और मणिकर्णिका हैं। मैं समझता हूँ कि ये सदन में ही नहीं, बल्कि नीति-निर्माता सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुजन चिंता के लिए बहुजन चिंतन आवश्यक है। सर, उसमें ऐसा है कि वे बच्चे हैं, वे बहुत तेज विद्यार्थी थे। स्कूल के हेडमास्टर साहब कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन हरिजन, दलित है। इसके बाद डिप्टी साहब बोले कि और कितने हरिजन, दलित बच्चे पढ़ते हैं। खुद डिप्टी साहब उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। उस बच्चे यानी तुलसी राम को कहा गया था कि अपने घर से एक लोटा तथा एक थाली लाए और यह बात किसी को नहीं बताए, क्योंकि वह दलित है और डिप्टी साहब भी दलित हैं। संवैधानिक आदेशों और जातीय संभाव के दिखावे की आड़ में जाति व्यवस्था बदस्तूर जारी थी, जिससे जूझता हुआ तुलसी राम जी का व्यक्तित्व विकसित हुआ।

सर, करोड़ों की संख्या में तुलसी राम आज भी हैं और करोड़ों की संख्या में वे संस्थाएँ आज भी हैं, जो.... चूँकि मैं यहाँ एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी बात कई लोगों की बात होगी। जो संस्थाएँ इस तरह के निर्णय देती हैं, जिन निर्णयों में विसंगतियाँ होती हैं, उनके अपने पूर्वाग्रह होते हैं। वे खुद अपने पूर्वाग्रहों को निर्णय का चश्मा पहना करके हमारे समक्ष रखते हैं।

सर, जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस बिल के पक्ष में हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब इस बिल की चर्चा करें, तो संभवतः मैं इस पर माननीय मंत्री जी की तवज्जो चाहूँगा और उनसे आग्रह करूँगा कि Clause 1, sub-clause 2 को फौरी तौर पर अमेंड किया जाए। आप इसमें कहते हैं कि it shall be in operation from 15th August, 2018, तो मैं समझता हूँ कि बीच की सारी विसंगतियाँ, anomalies खत्म हो जाएँगी और Statement of Objects and Reasons का जो चौथा पैरा है, उसकी कोई जरूरत आपको नहीं होगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहूँ कि 2011 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी और कई साथी, कर्णाटक, तमिलनाडु के साथियों के द्वारा जातीय जनगणना की बात हुई, उसको incorporate किया गया। इसी सदन में मैंने कई दफा सवाल पूछे कि उन आँकड़ों का क्या हुआ, तो कहा गया कि आँकड़ा corrupt हो गया। सर, corruption ढूंढ़ना पड़ेगा कि यह आँकड़े में है या मानस में है, क्योंकि मानस का corruption आँकड़ों के corruption में तब्दील हो जाता है। अब कहीं बात नहीं बनेगी। मैं आपको जातीय जनगणना सुनिश्चित करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? कल लोक सभा में भाजपा की जो लीड स्पीकर थीं, उन्होंने आंकड़े माँग लिए। उसे मैं Freudian slip नहीं मानता हूँ। वह Freudian slip नहीं था, वह अंदर की आवाज़ थी, जिसे हर बहुजन चिंता का व्यक्ति जमीन से महसूस कर रहा है, अतः उस चिंता को दरकिनार मत करिए। आंकड़े चाहिए। आंकड़े क्यों चाहिए, यह मैं आखिरी में कहूँगा। मैं आपको अभी हाल के दिनों की बात बताता हूँ। मैं जिस राज्य से आता हूँ, वहाँ एक माँग बलवती हो उठी। वह माँग है कि साहब, पता चलना चाहिए कि मिट्टी कौन ढो रहा है, गिट्टी कौन ढो रहा है, ठेला कौन चला रहा है, शहरों में आकर छोटे-छोटे काम कौन कर रहा है?

बिहार में जातिगत जनगणना की बात हुई। इतना दबाव कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी साथ आए और हम सबने, पूरे विधान मंडल ने प्रधान मंत्री जी से वक्त माँगा है। हमें उम्मीद है कि प्रधान मंत्री जी इतने महत्वपूर्ण सवाल पर वक्त देंगे, ताकि लोगों की चिंता से रूबरू हो सकें और मैं समझता हूँ कि यह बेहद आवश्यक है। Sir, many things were said by Dr. Abhishek Manu Singhviji. सर, हम कतार बढ़ाने को स्वतंत्र होंगे। आपने इसे राज्यों को देकर federalism का सम्मान किया है। बड़ी खुशी हुई कि सहकारी संघवाद बोलते थे, कम से कम कभी याद तो आया। सर, यह जो एक बात है कि कतार बढ़ेगी, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, 50 की टोपी पहनाई हुई है। सर, इस टोपी को हटाना होगा। यह टोपी अधिकार के प्रस्फुटन की राह में बाधा है। यह टोपी सर्वांगीण प्रतिनिधित्व की राह में बाधा है। मंत्रालय, सचिवालय, विश्वविद्यालय से लेकर कहीं भी देख लीजिए, अभी भी प्रतिनिधित्व अत्यंत आंशिक है। महोदय, यह सिर्फ मेरे दल और मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरा मानना है कि नीति आयोग में एक नीयत प्रकोष्ठ भी होना चाहिए। नीति आयोग में नीयत प्रकोष्ठ की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की कल्पना न्याय और खास तौर पर सामाजिक न्याय के बगैर नहीं हो सकती है। और, यह सांकेतिकता नहीं हो सकती है कि इतने मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, फलाना, फलाना! It has to be translated into reality. इसे ज़मीन पर उतरना होगा, जिसमें मैं बहुत कमी देख रहा हूँ। सर, 2011 में जब जातिगत जनगणना की बात हुई, तो कहा गया - दुनिया के हमारे सबसे बड़े दल को जिस एक संगठन से बहुत प्रेरणा मिलती है, उन्होंने कहा - We are ready for categories, but we are not ready for caste enumeration. सर, इस माइंडसैट को बदलना होगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अगर हमारे मुल्क से जाति नहीं जा रही है, तो इसलिए, क्योंकि हमारी रगों में, नसों में जातिगत सोच है और वह सोच बदलनी होगी। सर, सिर्फ तीस सेकंड और दे दीजिए, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं क्यों जातिगत जनगणना की बात कर रहा हूँ। आखिरी बात, सिद्धलिंगय्या कन्नड़ poet हैं, उनकी हिन्दी में अनूदित एक कविता को मैं एक मिनट में पढ़ दूँगा।

"भूख से बिलबिलाते, गिट्टी-मिट्टी ढोने वाले,
मार खाकर बैठे हुए, ऐसे मेरे लोग,
खेतों में बीज बोने वाले, सूरज की आँच में तपने वाले,
फसलों की कटनी में पसीने में तरबतर, ऐसे मेरे लोग,
पेट पर कपड़ा बाँधे, थक-हारकर बैठे,
खाली हाथ लौटने वाले, ऐसे मेरे लोग।"

सर, इन लोगों की गणना चाहिए। इनकी गणना होगी, तो देश विकसित होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : धन्यवाद, मनोज कुमार झा जी।

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, तीस सेकंड और दे दीजिए। सर, चार दिन बाद 15 अगस्त आ रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : प्लीज़ समाप्त कीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, मेरा आग्रह है कि आप सुन लीजिए। सर, तीन-चार दिन बाद 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त को झंडा फहरेगा। 'जन गण मन अधिनायक जय हे।' सर, सिर्फ झंडोत्तोलन 15 अगस्त नहीं है। मूल्यांकन हो कि यह जन गण मन कौन है, इसकी पड़ताल नहीं होगी, तो सब बेमानी है, जय हिन्द!

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : मनोज कुमार झा जी, धन्यवाद। जय हिन्द!

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Mr. Vice-Chairman Sir, I rise to wholeheartedly support this Constitution Amendment Bill. This Constitution Amendment Bill amends the Constitution to restore the powers of States and Union Territories to prepare their own list of Socially and Educationally Backward Classes. This Amendment seeks to undo the Supreme Court's ruling in the case of *Maratha* reservation. In that ruling, the Supreme Court had upheld the 102nd Constitution (Amendment) Act which gave constitutional status to the National Commission for Backward Classes. The Supreme Court, however, had empowered the hon. President of India to determine the communities to be included in the State OBC List on the recommendations of the National Commission for Backward Classes. Had the State List of OBCs were abolished, nearly one-fifth of the total OBC communities would have lost access to affirmative action and affirmative action policies thereby irreparably and adversely impacting them. This is precisely what this constitutional amendment is being corrected by the present Constitution Amendment. The State List of OBCs will now be completely taken out of the ambit of the hon. President and will be notified by the State Assembly when the proposed Bill gets passed. I commend the Government for ensuring social justice to Socially and Educationally Backward Classes by bringing out this Constitution (Amendment) Bill and standing up to the motto *Sabka Sath, Sabka Vikas*.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Shri Abdul Wahab; not present. Shri Sanjay Raut.

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र) : सर, कल तक इस सदन में डेडलॉक था, आज लॉक खुल गया है। सरकार the Constitution (127th Amendment) Bill, 2021 लेकर आई है, जिस पर सबकी सहमति बनी, हम चर्चा भी कर रहे हैं और पेगासस के बारे में हम शाम को बात करेंगे। यह बिल ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। अगर यह बिल क्रांतिकारी है, तो इस क्रांति का श्रेय महाराष्ट्र में चल रहे मराठा क्रांति आंदोलन को देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको यह बिल लाना पड़ा। अपने हक़ के लिए लाखों मराठा युवक एवं बच्चे सड़क पर उतरे और उन्होंने बहुत ही disciplined

तरीके से आंदोलन किया। उस आंदोलन के दौरान न तो कहीं law and order की कोई समस्या खड़ी हुई, न किसी के ऊपर पत्थर पड़ा और न कहीं एक शीशा टूटा। इसके लिए सरकार को आज यह बिल लाना पड़ा है।

इस विधेयक के तहत राज्य सरकार को ओबीसी के लिए आरक्षण की सूची तैयार करने और अपने हिसाब से उन्हें आरक्षण देने का अधिकार मिल जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे जी, डिप्टी सीएम अजित पवार जी तथा अशोक चव्हाण जी, ये सब दिल्ली आए, प्रधान मंत्री जी से मिले और उनसे आग्रह किया कि जब तक आप यह अमेंडमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। महाराष्ट्र ने, मराठा समाज ने इसके लिए एक लम्बी लड़ाई लड़ी है, लेकिन क्या इस संशोधन के बाद मराठा आरक्षण का मार्ग साफ हो जाएगा? मुझे लगता है यह नहीं होगा, बल्कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और महाराष्ट्र की असेम्बली ने जो मराठा आरक्षण का कानून बनाया था, उसे खत्म कर दिया। जब कोर्ट ने यह कहा कि किसी समाज को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित करने का अधिकार राज्यों को नहीं, बल्कि केन्द्र को है, तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा हंगामा हो गया और वहाँ फिर से आंदोलन शुरू हो गया। कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी versus केन्द्र सरकार मामले का जो फैसला है, उसे कायम रखा। वह फैसला यह था कि किसी भी आधार पर रिज़र्वेशन का कोटा 50 परसेंट से ज्यादा होने पर जो रोक लगाई गई थी, वह कायम रहेगी। राज्य अपनी तरफ से रिज़र्वेशन की लिस्ट में किसी और कम्युनिटी का नाम नहीं जोड़ सकते और यह फैसला National Commission for Backward Classes करेगा। जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, उसे वर्ष 2018 में मोदी सरकार ने बनाया। वर्ष 2018 में जो 102वां अमेंडमेंट किया, क्लॉज़ 342A पेश किया और इस अमेंडमेंड की तरह उस कमीशन को जो अधिकार दिया है, उससे यह हो गया कि पूरे राज्य के अधिकार केन्द्र के पास आ गए। सबने उसी वक्त चेतावनी दी थी कि आप इतने ज्यादा अधिकार एक कमीशन को, केन्द्र को मत दीजिएगा, राज्य के अधिकार मत छीनिएगा, लेकिन सरकार ने उस वक्त गलती की थी और गलती के बावजूद सरकार अपनी ही पीठ थपथपाने लगी। सर, बात ऐसी है कि यह उनकी आदत है। उनसे सीखना चाहिए कि गलती का भी event कैसे करें!

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): संजय जी, आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए।

श्री संजय राउत : फिर गलती दुरुस्त करने के बाद उसका उत्सव मनाने का event, यह सरकार से सीखना चाहिए। उनके पास इतना confidence कहां से आता है, यह मुझे नहीं मालूम। अगर इतना confidence है, तो थोड़ा हमें भी उधार दे दीजिए। यहां भी थोड़े confidence की ज़रूरत है।

आज आप यह बिल लेकर आए हैं, लेकिन यह बिल आधा-अधूरा है। इस बिल में अमेंडमेंट के बावजूद भी आपने आरक्षण पर जो 50 परसेंट की सीलिंग रखी है, वह 30 साल पुरानी है। ...**(व्यवधान)**... 30 साल बाद अगर आप उसे ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, तो आपने आज जो यह अमेंडमेंट किया है, आप उसमें कुछ और बदलाव करेंगे। इस सदन में हमारे संभाजी छत्रपती जी बैठे हैं, ये आंदोलन के नेता थे। जो आंदोलन चला, उसमें कोल्हापुर के हमारे सबसे बड़े नेता छत्रपती जी थे। आज उनके मन में भी यही भावना है कि 50 परसेंट आरक्षण की मर्यादा बढ़नी चाहिए। आज

महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि देश भर के ओबीसी-बीसी के लाखों युवा हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। हमारे हाथों में हमेशा राष्ट्र के संरक्षण के लिए तलवार रही है या बंदूक रही है। यह आपको मालूम है और यह हमारा धंधा रहा है। हमारे हाथों में कभी तागड़ी-तराजू नहीं आया है। ...(**व्यवधान**)... न चोपड़ी आयी है। ...(**व्यवधान**)... हम तो लड़ते रहे हैं, इसीलिए सामाजिक न्याय की आस लेकर हम आज यहां खड़े हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : प्लीज़ समाप्त कीजिए।

श्री संजय राउत : यह सोशल जस्टिस का मामला है। यह political and social engineering का मामला नहीं है। ...(**व्यवधान**)... सर, दो सेकंड दे दीजिए। सर, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपने राज्य कोल्हापुर में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए देश में सबसे पहले कदम उठाए थे। 26 जुलाई, 1902 यानी 119 साल पहले छत्रपति शाहूजी महाराज ने यह एलान कर दिया था कि उनके राज मे सभी सरकारी नौकरियां और स्कूल कॉलेजेज़ में अब से दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए 50 परसेंट आरक्षण दिया जाएगा। एससी-एसटी, ओबीसी को 50 परसेंट आरक्षण देने वाला वह राजा महाराष्ट्र का था। ...(**व्यवधान**)... वह राजा मराठा था। ...(**व्यवधान**)... आज वही मराठा समाज महाराष्ट्र में अपने हक के लिए सड़क पर उतरा है और न्याय मांग रहा है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thank you, Sanjayji. The next speaker is Shri Binoy Viswam.

श्री संजय राउत : उसे भीख नहीं चाहिए, उसे अधिकार चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार 50 परसेंट की मर्यादा को बढ़ाएगी और पूरे देश के ओबीसी को, पिछड़े लोगों को न्याय देगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Shri Binoy Viswam, not present. Shrimati Vandana Chavan.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, on behalf of the Nationalist Congress Party, I stand to support the Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021. As per para 4 of the Statement of Objects and Reasons, the Government has brought in this Constitution Amendment to adequately clarify that the State Governments and Union Territories are empowered to prepare and maintain their own State List/Union territory List of SEBCs. This has come after the Supreme Court judgment which held that the powers of the States and the Union Territories had been denuded after the passage of the 102nd Constitution Amendment.

There are two questions which come to my mind and I would like to put forward here with the limited time that I have. Question one is, which many of the hon. Members have also asked: could we, or should we, not have incorporated this so called 'adequate clarification' in the 102nd Constitution Amendment itself? The adamant stand of the Government at that time in the Committees and in the House has shown us this result.

Sir, unfortunately, in Maharashtra, this blatant adamant attitude of the Government cost us a lot. We saw disharmony, unrest, state of confusion, protest, rallies, spate of litigation and blame games, and, then, lakhs of youngsters who became part of this protest, have been, unfortunately, affected with long-term implications. Sir, we belong to the highest law-making body. Our role, Sir, here is to legislate and enact laws; not just enact laws but good laws, sound laws; and, to have a sound law, it is necessary that it is easy to understand, it is clear in its content and intent, it is unequivocal and it is unambiguous. Let us ask ourselves whether the 102nd Constitution Amendment passed this test. Unfortunately, when the 102nd Constitution Amendment was passed, we saw members of the community running helter-skelter, from pillar to post to find out the interpretation of this law. Not only the common people, people like us also went to legal experts to find out its interpretation. Not just this, this is again endorsed by two judgements of the Supreme Court which show divided house.

Sir, who is responsible for this? The question which comes to my mind is: was it incompetent drafting of the Government, by the Government rather, or, was this insensitivity to the issue or was it a deliberate step to seed unrest so as to wean away a large chunk of the population from the real issues that emanate from false promises given by this Government, employment, price rise and several other issues?

Sir, the second question which I want to put forth is: by passing this amendment Bill, will we be able to do justice to the people who are anxiously waiting for it and the answer is a clear 'no'. Sir, we are all aware, and, Abhishek Manu Singhvi ji also mentioned, that almost all the States have already got a quota of more than 50 per cent. In effect, this Bill is giving us the power to make the list but unfortunately, without any action. So, what is the use of this kind of a Bill? If the Government is really keen on doing justice, it will have to iron out the hurdle created by Indira Sawhney judgement, and, the Government will have to compile an empirical data of people seeking reservation, that too, without disturbing the present reservation and will have to work out a formula with consensus of the States. Thirdly, the concepts of the geographical test for far-flung and remote areas and the social

test for deprivation of the mainstream as a criterion to fall under the exceptional category in the Indira Sawhney case will have to be revisited.

We have to be mindful of the fact that India is a fast urbanizing country. People from remote and far-flung areas are migrating to cities in search of livelihood. They settle in illegal and vulnerable settlements and still, they are identified as a deprived lot. Is this lot not going to be taken into account by the Indira Sawhney's case? Lastly, Sir, the fourth point is that we will also have to consider that the minorities, the Muslims and others are also taken care of while developing this formula so as to maintain a judicious balance.

While concluding, I would say that I support the Bill but I condemn that is it not in the form which would assure justice to the people or the class of citizens that it is meant for. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : संजय सिंह जी, इस बिल पर आपको बोलना था, लेकिन वासन जी ने request की है कि उनका तीन बजे डॉक्टर के पास appointment है। आप उनके बाद बोलिएगा।

SHRI G. K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, I rise to support the Constitution (127th Amendment) Bill to give back the powers to the States to maintain their own OBC list. Sir, I feel that this Bill has been brought with a good intention to protect the rights of the OBCs and improve their economic conditions. This Bill will also ensure employment and admission in the educational institutions for the OBCs. Sir, we had a practice of separate OBC lists drawn by the Centre and each State concerned. It is understood that if the State List were to be abolished, then, 671 OBC communities could lose their OBC status and access to reservation in the educational institutions and one-fifth of the community could have been impacted in appointment of jobs in various sectors.

Now, the Central Government, I would say, has taken the first opportunity to rectify the situation by bringing the law to give powers to the States to make changes in the OBC list. I think, Sir, this is a timely intervention by the Central Government. To conclude, I would like to tell the Minister that the State of Tamil Nadu has a reservation of 69 per cent which includes 50 per cent of Backward Classes, 18 per cent of Schedules Castes and 1 per cent of less populated Scheduled Tribes. Whenever there is a demand for providing more reservation, for including more communities under reserved categories, we will be facing the problem of 50 per cent ceiling on reservation. I would like the Central Government to find a way to solve this problem. With this, I support the Bill on behalf of my party. Thank you very much.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं। यह सरकार जब पिछड़ों के हित में कोई बात कहती है, इनके मंत्री और तमाम सांसद पिछड़ों और दलितों के हित में तमाम योजनाएं लागू करने की बात जब कह रहे थे, तो मुझे हंसी आ रही थी। मुझे हंसी आ रही थी इनकी कार्यप्रणाली को याद करके। ...**(व्यवधान)**... यह वही भारतीय जनता पार्टी है, जिसके राज में उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी की सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। ...**(व्यवधान)**... यह क्या हो रहा है? फिर मैं बैठ जाता हूं, आप इन्हीं को बोलने दीजिए। ये लोग क्या कर रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): प्लीज़, आप बोलिए।

श्री संजय सिंह: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यह रिपोर्ट है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में 22 हज़ार नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलनी थीं। उनको मात्र 3.8 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, उनकी 18 हज़ार नौकरियां खा लीं। सर, यह हकीकत है। यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है।

सर, यहां पर बात हो रही थी कि मंडल कमीशन का सपोर्ट किया। सदन के अंदर तो कम से कम झूठ मत बोलो। आपका इतिहास है, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने जब मंडल कमीशन लागू किया था, तो आप कमंडल लेकर पूरे देश में निकल गए थे। उस कमंडल में भी आप क्या कर रहे हैं - प्रभु श्रीराम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के नाम पर जो मंदिर बन रहा है, *और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

मान्यवर, जिस उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, वहां पर बहराइच के अंदर दलित का बच्चा घोड़ी पर चढ़ता है, तो उसको पीटकर लहू-लुहान कर दिया जाता है। उस उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड होता है। रात को दो बजे एक दलित की बेटी को जला दिया जाता है। उसी उत्तर प्रदेश में बलिया के अंदर जयप्रकाश पाल, जो पिछड़े वर्ग का है, सारी सरकार के सामने, सीओ के सामने, एसडीएम के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। आज यह हालत है, इनके राज्यों में क्या हो रहा है, यह मैं दिखाना चाहता हूं। गुजरात के अंदर मूंछ रखने पर दलित की हत्या हो जाती है। ...**(व्यवधान)**... जहां-जहां आपकी सरकारें हैं, जहां-जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को आपने दबाने का काम किया है।

सर, मैं आपके माध्यम से इनसे मांग करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यह जो 50 प्रतिशत की सीमा है, इस सीमा को बढ़ाने के लिए भी आप संसद के अंदर बिल लेकर आइए, वरना यह दिखावा मात्र होगा। आप एक छोटे से घर में पांच सौ लोगों को तो रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे

---

*Expunged as ordered by the Chair.

हैं, यानी आरक्षण में जब तक आप इसकी सीमा नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपका यह दिखावा मात्र है। यह ओबीसी संशोधन बिल, जो आप लेकर आए हैं, यह उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव और बाकी राज्यों के चुनाव को देखकर लेकर आए हैं। आपकी मंशा कोई पिछड़ों और दलितों को उनका हक देने की नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसी सदन में एक माननीय सदस्य ने प्राइवेट मेम्बर्स बिल प्रस्तुत किया था। श्री वि. विजयसाई रेड्डी जी ने प्राइवेट मेम्बर्स बिल प्रस्तुत किया था और उन्होंने कहा था कि पिछड़ों को आरक्षण संसद और विधान सभाओं के अंदर भी होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने उसका खुलेआम विरोध किया, इसी सदन में किया, वह कार्यवाही में दर्ज है - श्री वि. विजयसाई रेड्डी जी के बिल पर। आप पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं, आप पिछड़ों और दलितों के हित की बात करते हैं! मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश के संबंध में, यह ऐसा राज्य है - मैं आज सुबह आ रहा था, मुझे पता चला कि मेरे ऊपर 15वां मुकदमा लिख दिया। सर, *...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): आप बिल पर बोलिए। ...**(व्यवधान)**... आप बिल पर बोलिए।

श्री संजय सिंह: सर, मेरे खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। ...**(व्यवधान)**... मेरा जुर्म क्या है? अपराध क्या है? मैंने * का मुद्दा उठाया! आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं! ...**(व्यवधान)**... जो किसान आठ महीने से आंदोलन पर बैठे हैं, वे भी पिछड़े वर्ग से हैं। सर, उनको हक दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): धन्यवाद संजय सिंह जी।

श्री संजय सिंह: सर, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): आप खत्म कीजिए।

श्री संजय सिंह: जो इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वे महंगाई से परेशान हैं। उनकी नौकरियां चली गई हैं। सर, उनको उनका हक दीजिए। ...(समय की घंटी)... कोविड की महामारी से उनकी कमर टूट गई। पिछड़े वर्ग के लोग बहुत परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, अगर उनकी पीड़ा को आप समझना चाहते हैं, तो उनको हक दीजिए। ...(समय की घंटी)... उत्तर प्रदेश में 'जल-जीवन मिशन' में हजारों का...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): धन्यवाद संजय सिंह जी। आप समाप्त करिए, धन्यवाद।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री संजय सिंहः पिछड़ों का जो हक था, उसको ...**(व्यवधान)**... वह पानी चोरी करने का काम आपने किया।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): श्री बिनोय विस्वम जी। ...**(व्यवधान)**... धन्यवाद संजय सिंह जी। बिनोय विस्वम जी, आप बोलना शुरू कीजिए।

श्री संजय सिंहः जब आप पिछड़ों के लिए बिल लाए हैं, तो आप आरक्षण की सीमा भी बढ़ाइए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): श्री बिनोय विस्वम जी। Next speaker is Shri Binoy Viswam.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): सर, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): जी, माननीय मंत्री जी।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: उपसभाध्यक्ष महोदय, संजय सिंह जी ने कई बातें कही हैं। मैं बहुत अदब के साथ उनकी बातों को सुन रहा था। उन्होंने कई बिल्कुल गैर-जिम्मेदारी के आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी पर लगाये हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंहः सर, ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): प्लीज़, मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... उन्होंने आपको interrupt नहीं किया। ...**(व्यवधान)**... Please don't interrupt.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भी उन्होंने आरोप लगाये हैं, ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): नहीं, यह बहस नहीं हो रही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: पहली बात तो यह है कि वे उन्हें authenticate करें। ...**(व्यवधान)**... उन्हें authenticate करके सदन में रखें। अगर वे उनको authenticate नहीं करते हैं, तो उसको जो प्रोसिडिंग्स हैं, उनसे बाहर किया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): बिल्कुल सही बात है। हम इसको देख लेंगे और जो भी इसमें ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंहः उपसभाध्यक्ष जी, ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): प्लीज़, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, आप ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं। आप बैठ जाइए। श्री बिनोय विस्वम जी। ...(**व्यवधान**)... श्री बिनोय विस्वम जी। ...(**व्यवधान**)... केवल श्री बिनोय विस्वम जी का रिकॉर्ड में जाएगा।

श्री संजय सिंहः *

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): श्री बिनोय विस्वम जी।...(**व्यवधान**)... Shri Binoy Viswam, you start. संजय सिंह जी, प्लीज़ आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए। प्लीज़, संजय सिंह जी बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं। प्लीज़, आप बैठ जाइए। उन्होंने जो कहा है ...(**व्यवधान**)... श्री संजय सिंह जी, प्लीज़ । ...(**व्यवधान**)... श्री बिनोय विस्वम जी। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः सर, यह उनका अधिकार है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): माननीय जयराम जी। ...(**व्यवधान**)... Please sit down.

श्री शक्तिसिंह गोहिलः सर, इनका नाम लिया है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): अगर संजय सिंह जी ने कोई बात कही है, उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा है...(**व्यवधान**)... आप मुझे अपनी बात कम्पलीट करने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप मुझे कम्पलीट करने दीजिए। आप पहले मुझे बोलने दीजिए। आप पहले चेयर को बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः सर, उन्होंने इनका नाम लिया है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): प्लीज़, आप बैठ जाइए। प्लीज़, जयराम जी, आप बैठ जाइए। आप सीनियर मेम्बर हैं। प्लीज़, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, आपने जो भी बातें कही हैं, उनका रिकॉर्ड हम देख लेंगे। हम उसको देख लेंगे। अगर कुछ भी गलत होगा, तो उसको रिकॉर्ड से निकलवा दिया जाएगा। ...(**व्यवधान**)... धन्यवाद। श्री बिनोय विस्वम जी। ...(**व्यवधान**)... संजय सिंह जी, प्लीज़, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, मैं जवाब देना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

---

* Not recorded.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): जवाब नहीं देते। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़। श्री बिनोय विस्वम जी की बात ही रिकॉर्ड में जाएगी। ...**(व्यवधान)**...प्लीज़, जया जी, आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... श्री बिनोय विस्वम जी। ...**(व्यवधान)**... केवल बिनोय विस्वम जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, संजय जी, आपकी बात हो गई। आपका बात आ गई। प्लीज, आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir*...*(Interruptions)*...*

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): सॉरी आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ..**(व्यवधान)**..

श्री संजय सिंह : *

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): आपकी बात आ गई है। ..**(व्यवधान)**..मैं check करा लूंगा। ..**(व्यवधान)**..श्री बिनोय विस्वम, आप बोलिए। ..**(व्यवधान)**..

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, thank you very much. I support this Bill. While I support this Bill, I feel very much that this Bill should be called as an election urgent Bill. *...(Interruptions)...* BJP has nothing but only a thought of votes; nothing more and nothing less.

Sir, just a few minutes back, I was in the Central Hall. I saw the portrait of Mr. Ambedkar. Believe me, he is weeping there. Why? My best friend in BJP, learned and respected Sushil Modiji, was telling here that it was they who made a place for portrait of Mr. Ambedkar in the Central Hall. *...(Interruptions)...* Is it true, Sir? *...(Interruptions)...* It is true. *...(Interruptions)...*

It is the VP Singh Government which made it. I may ask this House. Who pulled that Government down? *...(Interruptions)...* And why did they pull the Government down? *...(Interruptions)...* Who raised the slogan, "*Mandal versus Kamandal*"? *...(Interruptions)...* Who raised that slogan? Who said, "Cover *Mandal* with *Mandir*"? Who applied this strategy here? Sir, it is that party which is ruling the country now. *...(Interruptions)...* Sir, that party has no regard for truth. They have only one consideration -- to be in power. For that, they preach lies, lies and lies. Sir, I may request them to go through the book "Bunch of Thoughts" of the second *Sarsanghchalak*. Guruji Golwalkar wrote that book; there was a subtitle "Affirm Basic Truths". I may repeat and quote the same. It says, "We must cry a complete halt to forming groups based on caste, creed, etc., and demanding

* Not recorded.

exclusive rights and privileges in services, financial aids, admission in educational institutions and all such other fields. To talk and think in terms of "minorities" and "communities" should be totally put an end to." Please understand the meaning. They don't want any kind of consideration on the grounds of religion, caste and communities. Sir, it is a matter for consideration based on castes. You are not for that; basically, you are not for that. You believe that reservation is a crime. You believe that it is a hook to divide the Hindu *samaj*. And now, that BJP, only with one thought of votes, is coming here that they are for reservation saying that they increased it. Sir, everybody knows the history of it. So, please don't try to cheat the country.

Sir, I have only limited time. I may ask the Government to consider this. What is the sanctity of fifty per cent ceiling? The reality in many States is different. So, let the States have a right to decide how much cap should be there on reservation. Sir, I have one more point. You are talking that you are giving consideration to people in appointments to posts in public sector. That sector is dying. The Modi Government is killing the public sector.

3.00 P.M.

I do not want to narrate the whole story. So, I ask the Government to please think about matter of applying reservation in private sector also. Let the Government, I challenge the Government, to declare here that reservation can be extended to private sector also. If you can do it, please do it now and here but you will not do it.

Sir, I would say that the Modi Government, is killing dalits everywhere. The Modi Government denies the right of their children to live in this country. The Modi Government always sides with * at the age of nine or even six and that Government is crying in the House with crocodile tears and telling that we are for the poor, for dalits and for reservation. Sir, the country cannot believe it. With these words, I support the Bill but I oppose the Government's politics. Thank you, Sir.

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में पेश 127वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इस बिल में ऐसा कुछ खास नहीं है। किसी ने कहा था कि :

"पक्षी समझते हैं कि चमन बदला है,

---

* Expunged as ordered by the Chair.

हंसते सितारे समझते हैं कि गगन बदला है,
लेकिन श्मशान की खामोशी कह रही है
कि लाशें वही हैं केवल कफ़न बदला है।"

उपसभाध्यक्ष जी, इस बिल को अगर सरकार की गलती सुधार विधेयक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में 2018 तक 102वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सरकारों को ही सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग की सूची बनाने का और उनकी पहचान करने का अधिकार था। लेकिन 2018 में एक संशोधन के बाद और इस संशोधन के कारण ही महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य किया गया। उसमें यह कहा गया कि अब केवल केन्द्र सरकार ही ओबीसी को अधिसूचित कर सकती है, जिसके कारण उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। इसी संशोधन में राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसका गाना सरकार ने बहुत गाया कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमने पिछड़े वर्ग के साथ न्याय किया है। इसी के तहत राज्य सरकारों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण पिछले तीन सालों तक पिछड़े वर्ग के लोगों का हक मारा गया। अब 127वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा राज्यों को पुनः सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर सूची बनाने का अधिकार प्रदान किया जा रहा है, जो पहले भी था। इसमें केवल 342 (1) (ए) नामक नया खंड जुड़ गया है।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा)** *पीठासीन हुए*]

पहले केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के अधिकार को छीना, उन पर पाबंदी लगाई, जिसके कारण तीन वर्ष तक ओबीसी को पी.जी., यू.जी. और मेडिकल तथा डेंटल सेवा में प्रवेश नहीं मिला। इससे लाखों लोगों का हक और अधिकार मारा गया। इसे सरकार द्वारा क्रांतिकारी कदम बताकर करोड़ों रुपए अपनी छवि बनाने में खर्च किए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा और हमारे सभी विपक्षी दलों द्वारा, विशेषकर डीएमके द्वारा तथा विल्सन एवं सामाजिक संगठनों द्वारा दबाव बनाया गया और इसका विरोध किया गया, इसकी मांग की गई, इसके बाद सरकार को दबाव में आकर इस संशोधन विधेयक को लाना पड़ा। मैं यह बताना चाहता हूं कि अब इसे भी क्रांतिकारी बताकर अपनी छवि चमकाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सरकार दोनों तरह से लाभ लेना चाहती है यानी कुछ करके भी और कुछ न करके भी। किसी ने कहा था :-

"इनकी इस पार से भी दोस्ती, उस पार से भी दोस्ती,
अंधियारे से भी दोस्ती, उजियारे से भी दोस्ती।
है अमावस से लड़ाई, युद्ध है अंधियार से,
यह लड़ाई अब लड़ोगे, कौन से हथियार से।।"

यह इनका दोहरा चरित्र है। देश का ओबीसी अब जाग उठा है। 52 फीसदी ओबीसी और गरीब है, जो इस देश की ताकत है, इस देश की प्रतिभा है, इस देश की शक्ति है। जब ओबीसी

और गरीब का खून और पसीना बहता है, तब देश की प्रगति और विकास की आधारशिला रखी जाती है। अब वह समाज जाग उठा है और आपके कारनामे को देख रहा है। इस 52 फीसदी ओबीसी ने आपको जीत का ताज पहनाया है, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए किः

"जिन हाथों में ताकत है तिलक लगाने की,
उन हाथों में ताकत है सरताज भी उतार लेने की।"

यह नहीं भूलना चाहिए। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ओबीसी के प्रति सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं लंबी कहानी नहीं कहना चाहता। अगर इनकी नीयत ठीक होती, वहीं से पहचान लीजिए कि जब मंडल आयोग लागू हुआ था, उस समय कौन सी विचारधारा थी - जो कमंडल के माध्यम से आरक्षण का विरोध कर रहे थे, जातीयता का जहर घोल रहे थे, उससे इनकी विचारधारा की पहचान हो जाती है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, किसी ने ठीक कहा है किः

"यदि लहर-लहर पर कगारों की नजर टेढ़ी हो,
कल के चमन पर बहारों की नजर टेढ़ी हो,
कैसे पहुँचेगी पालकी पिया के देस,
यदि भोली दुल्हन पर कहारों की नजर टेढ़ी हो।"

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने यह सौगंध खाई थी पिछड़े वर्ग के हक और अधिकार की, इस देश की प्रगति और विकास की डोली को मंजिल तक पहुँचाने के लिए इनकी नीयत ठीक नहीं है। पिछड़े वर्ग का भविष्य क्या होगा, यह विचार करने की जरूरत है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस ने दिया था, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा सही तरीके से पैरवी नहीं करने के कारण न्यायालय ने 27 प्रतिशत का आरक्षण खत्म कर दिया। विश्वविद्यालय में, पंचायत सचिवों में, वर्ग 'तीन' की भर्तियों में, कहीं भी कोई आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। छात्रवृत्ति में कटौती कर दी जाती है, ओबीसी का बजट कम कर दिया जाता है और प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाता, इससे सरकार की नीयत उजागर होती है। आज एसटी को 21 परसेंट, एससी को 16 परसेंट, ओबीसी को 27 परसेंट, ईडब्ल्यूएस को 10 परसेंट आरक्षण दिया जाता है। यह 74 फीसदी होता है। आरक्षण की सीमा का कोई संवैधानिक बंधन नहीं है। इसी वजह से तमिलनाडु को 69 परसेंट आरक्षण मिल रहा है। संविधान की मंशा है कि विशेष परिस्थिति में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के आधार पर सरकारों को बहाना मिल गया है और 50 फीसदी आरक्षण के नाम पर 52 फीसदी पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसलिए माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि यह बंधन खत्म होना चाहिए और प्रदेश सरकारों को 50 प्रतिशत से अधिक, 75 प्रतिशत तक आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, रोस्टर में परिवर्तन होना चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की merit को आरक्षित कोटे में करने से 89 प्रतिशत आरक्षित वर्ग को केवल

50 प्रतिशत स्थान मिल पाएगा और 11 फीसदी अनारक्षित वर्ग को 50 फीसदी आरक्षण होगा, जो बहुजनों की हकमारी के अलावा कुछ नहीं है। इस रोस्टर को बदलना चाहिए तथा जो 13/200 का रोस्टर है, उसमें परिवर्तन करना चाहिए और दूसरा रोस्टर लागू करना चाहिए। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब इस देश में कुत्ते, बिल्ली-जानवरों की जाति के आधार पर गिनती हो सकती है, तब पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती जाति के आधार पर क्यों नहीं होती?

जहां पिछड़े वर्ग के हितों का सवाल आता है, न्यायालय कहता है कि अधिकृत आंकड़े दीजिए, लेकिन सरकार जवाब देती है कि हमारे पास अधिकृत आंकड़े ही नहीं हैं। इसलिए शासन की नीतियों का फायदा 52 फीसदी ओबीसी लोगों को नहीं मिल पाता है। महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जाति के आधार पर जनसंख्या की गिनती करानी चाहिए, ताकि शासन की नीतियों का फायदा ओबीसी वर्ग को मिल सके।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि झूठे इन्सान की झूठी आवाज़ सच्चे इन्सान को ख़ामोश कर सकती है, लेकिन सच्चे इन्सान की ख़ामोशी, झूठे इन्सान की बुनियाद हिला सकती है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. *...(Interruptions)...* टाइम हो चुका है।...**(व्यवधान)**... Please conclude.

श्री राजमणि पटेल : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का समय और लूंगा। मैं चाहता हूं कि अगर इस विधेयक को सार्थक करना है, तो निश्चित रूप से 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने का प्रावधान होना चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, 13/200-point roster को बदल कर, binary roster अपनाना चाहिए और creamy layer को समाप्त करने का प्रावधान होना चाहिए।

महोदय, 75 प्रतिशत तक आरक्षण सीमा बढ़ाने का अधिकार राज्य को होना चाहिए और मैरिट में जो पिछड़े वर्ग के बच्चे आते हैं, उन बच्चों को आरक्षित श्रेणी में न गिनकर, उनकी गिनती अनारक्षित श्रेणी में होनी चाहिए, ताकि मैरिट वालों को फायदा मिल सके और पिछड़ों का हक एवं अधिकार खत्म नहीं हो।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. आपका समय समाप्त हो चुका है।...**(व्यवधान)**... Please conclude. *...(Interruptions)...*

श्री राजमणि पटेल : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आरक्षण खत्म हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट क्षेत्र में भी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और प्राइवेट क्षेत्र के साथ-साथ राजनैतिक क्षेत्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए।...**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you, I will have to move on. *...(Interruptions)...* Thank you, Rajmani Patel*ji*. Now, the next speaker. *...(Interruptions)...*

श्री राजमणि पटेल : ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए, ताकि प्रदेश के 52 फीसदी लोगों को उनका हक़ और अधिकार मिल सके, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. माननीय श्री हरनाथ सिंह यादव जी। आपकी पार्टी ने आपको पांच मिनट का समय एलोकेट किया है।

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, एक-दो मिनट का समय और दे दीजिएगा। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं "संविधान (एक सौ सत्ताइसवां संशोधन) विधेयक, 2021" के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी चाहते थे कि राज्यों को अधिकार वापस दिया जाए, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके लिए सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की, परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 28 जून, 2021 को उसे ख़ारिज कर दिया। महोदय, राज्यों को उनका अधिकार वापस मिले, इसके लिए हमारी सरकार यह विधेयक लेकर आई है। यह विधेयक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के लिए एक सशक्त माध्यम बनाएगा।

महोदय, हमारे कांग्रेस के मित्रों के द्वारा और उधर बैठे हुए लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की बातें कही गई हैं, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोषी ठहराया गया है, यानी पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए भाजपा उत्तरदायी है।

महोदय, कांग्रेस ने अनेक ऐतिहासिक भूलें की हैं और इसी प्रकार की भूल इन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय करके भी की है। कांग्रेस की सदैव एक नीति रही है - अटकाओ, लटकाओ और भटकाओ। जनता को गुमराह करना, असत्य बोलना, पाप करना, अपराध करना, यह इनकी नीयत बन गई है।

महोदय, 2014 में इनके कुकृत्यों के कारण, 60-70 साल इन्होंने जो अपराध किए, जनता के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, कमज़ोर तबके के साथ अन्याय किया, चाहे पिछड़ा वर्ग रहा हो, अनुसूचित वर्ग रहा हो या अन्य वर्ग रहे हों। सबके साथ इन्होंने अन्याय किया, धोखा किया। उसका परिणाम यह हुआ कि 2014 में हवा का रुख बदला और देश की जनता ने प्रधान मंत्री, आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी। चुनाव के बाद आदरणीय मोदी जी की सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही एक नये भारत का संकल्प लिया। एक ऐसा भारत, जहां व्यवस्थाओं में अधूरापन और अकर्मण्यता न हो। पहले दिन से ही आदरणीय मोदी जी की सरकार का लक्ष्य था कि सभी देशवासियों के जीवन में सुधार आए और उनकी मुसीबतें दूर हों और समाज में आखिरी पंक्ति में खड़े, दबे, कुचले और वंचित व्यक्ति तक सामाजिक न्याय और सुविधाएं पहुंचें।

महोदय, सभी लोगों को याद होगा कि आदरणीय प्रधान मंत्री जब सबसे पहले संसद में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों, दलितों, पीड़ितों, मज़दूरों, युवाओं और किसानों के लिए समर्पित होगी। मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं और पूरा देश इस चीज को स्वीकार करता है कि आदरणीय मोदी जी ने जो कहा - उन्होंने अपने कृतित्व, चिंतन और व्यवहार

से पूरी तरीके से उसे सिद्ध कर दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना, सामाजिक न्याय के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है।

महोदय, मैं कांग्रेस के कुछ लोगों और अन्य सहयोगी, जो उनके साथ रहे हैं, जिन्होंने 10-12 साल कांग्रेस की सरकार चलाई है, उनके कृत्यों के बारे में बोलना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि कांग्रेस ने तो हमेशा वंचितों के साथ अन्याय किया, प्रो. राम गोपाल यादव जी चले गये, प्रो. मनोज झा भी चले गये - मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव और श्री लालू प्रसाद यादव जी यूपीए सरकार के प्रमुख हिस्सेदार थे, उनके सहयोग के बिना यूपीए सरकार का एक मिनट भी टिकना संभव नहीं था, परन्तु उन्होंने कभी भी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग एक बार भी नहीं की।

उपसभाध्यक्ष (डा.सस्मित पात्रा): माननीय हरनाथ जी, पांच मिनट कम्प्लीट हो गये हैं, आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री हरनाथ सिंह यादव: महोदय, कर्णाटक के कांग्रेस समर्थित एक मुख्य मंत्री ने रोते हुए कहा था कि कांग्रेस गठबंधन का ज़हर पी रहा हूं, वे मुख्य मंत्री पिछड़ी जाति के थे, उनके पिताश्री पूर्व प्रधान मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं। मुझे शर्म आती है, चिंता होती है कि स्व. डा. राममनोहर लोहिया जी ने सदैव कांग्रेस के पापों के खिलाफ संघर्ष किया और उनके शिष्य माननीय मुलायम सिंह यादव जी तथा लालू यादव जी, जिन्होंने कांग्रेस के पापों के खिलाफ 19 माह जेल काटी, आज वे स्वयं उनके अनुयायी तथा कांग्रेस के पापों के हिस्सेदार बने हुए हैं। कांग्रेस की मानसिकता अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग विरोधी है, इन्होंने पिछड़े व दलित वर्ग के नेताओं के साथ हमेशा अपमानित और लज्जित करने का व्यवहार किया है।

उपसभाध्यक्ष (डा.सस्मित पात्रा): माननीय हरनाथ जी, आपका टाइम समाप्त हो रहा है, आप कन्क्लूड करें।

श्री हरनाथ सिंह यादव: महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। मैं इसके कुछ उदाहरण दे रहा हूं - आजाद भारत के बाद सरदार पटेल को पहला प्रधान मंत्री होना चाहिए था, परन्तु वे किसान के बेटे थे, गांव के बेटे थे, इसलिए कांग्रेस ने उनको प्रधान मंत्री नहीं बनने दिया। ...**(व्यवधान)**... आप सुनिये, जरा ध्यान से सुनिये। दिल्ली प्रान्त के प्रथम मुख्य मंत्री और दिग्गज नेता, चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव को राजनैतिक परिदृश्य से हटाने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली राज्य का दर्जा ही समाप्त कर दिया, क्योंकि वे यादव थे और पिछड़े वर्ग के थे।

उपसभाध्यक्ष (डा.सस्मित पात्रा): हरनाथ जी, आपके पांच मिनट खत्म हो चुके हैं, आपकी पार्टी ने आपको पांच मिनट दिये थे, आपकी पार्टी का ही समय जा रहा है।

श्री हरनाथ सिंह यादवः कांग्रेस ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के साथ विश्वासघात किया, उन्हें सदैव उपेक्षित किया, अपमानित किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता, बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया और कांग्रेस ने पूर्व प्रधान मंत्री, श्री चन्द्रशेखर जी को, जो सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे, उनके साथ विश्वासघात किया।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude, Harnath*ji*. I will have to move on. I am sorry. मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, आपका समय समाप्त हो चुका है, आप लास्ट 30 सेकेंडज़ में खत्म कीजिए।

श्री हरनाथ सिंह यादवः केवल चार पंक्तियां कविता की हैं। महोदय, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री सीताराम केसरी को इन्होंने बाहर निकाल कर फेंक दिया।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude in 30 seconds. *...(Interruptions)...*

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA (West Bengal): He is saying nothing on the Bill. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am not allowing you. *...(Interruptions)...*

श्री हरनाथ सिंह यादवः महोदय, मैं नये भारत के रचनाकार...

उपसभाध्यक्ष (डा.सस्मित पात्रा): प्लीज़, आप कन्क्लूड करें।

श्री हरनाथ सिंह यादवः 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रणेता, आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के देश के जाने-माने कवि स्व. सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित पंक्तियां समर्पित करते हुए आह्वान करता हूं।

"गगन उगलता आग हो,
छिड़ा मरण का राग हो,
लहू का अपना फाग हो,
अड़ो वहीं, गड़ो वहीं,
बढ़े चलो, बढ़े चलो।
चलो, नई मिसाल हो,
जलो, नई मशाल हो,
बढ़ो, नया कमाल हो,

झुको नहीं, रुको नहीं,
बढ़े चलो, बढ़े चलो।"

...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: Sir, this time is very precious. We are wasting our time.

श्री हरनाथ सिंह यादवः बस, मान्यवर। अब अन्तिम हैः

"अशेष रक्त तोल दो,
स्वतन्त्रता का मोल दो,
कड़ी युगों की खोल दो,
डरो नहीं, मरो नहीं,
बढ़े चलो, बढ़े चलो।"

...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you, please conclude.

श्री हरनाथ सिंह यादवः

"रुकावटें हज़ार हों,
समय की प्रहार हो,
प्रचण्ड वेग प्रलाप हों, "

...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I have to move on, thank you. The next speaker is Dr. Amar Patnaik, thank you.

श्री हरनाथ सिंह यादवः

"तू खण्ड कर प्रचण्ड को,
हर उस संताप को,
जो रोकता है राह को,
रुको नहीं, डटे रहो,
बढ़े चलो, बढ़े चलो।"

...(व्यवधान)...

महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ, धन्यवाद। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you, the next speaker is Dr. Amar Patnaik.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I rise to support the Bill. This is basically a clarificatory Amendment to let the States identify people belonging to OBCs and SEBCs. But, why are we doing all this? We are doing all this for the welfare of OBCs and Socially and Economically Backward Classes. What does this welfare mean? There are two questions here. Who to give it to, who is the person, who is the OBC, who is the SEBC, to give this particular welfare benefit to? Secondly, how many people have to be given, what is the size of this OBC and SEBC, who has to be given that because any kind of policy planning, particularly in these times, let us say, during Covid, if we had to give ration, if we had to provide facilities, then we have to know as to what the size is. So, there are two questions; who to give it to, and how many people to give it to. Now these two aspects were addressed by our hon. Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, despite the Indra Sawhney case, 1992. Now, let me explain how? First, in 2009, Odisha Act 6 of 2009, Orissa Reservation of Posts and Services (for Socially and Educationally Backward Classes) Act, 2008 was passed enjoining 27 per cent reservation for OBCs in all Government jobs. But what has happened? It went before the High Court of Odisha and got struck down. The result is that currently we have 22.5 per cent for STs, 16.25 per cent for SCs and only 11.25 per cent for SEBCs. So, it is very important to know why this has happened. Now, let me go to the part of the judgement. The part of the judgement in which it was struck down in 2014, it says, "We have gone through the affidavit, and from its perusal it is evident that a specific statement has been made at Paragraph 13 of the affidavit that State-wise data on SEBCs is not available and for better appreciation, the statement made at Paragraph 13 is being reflected here in below". Basically, the data is not there. Now, we have been talking about the Indra Sawhney case. In the Indra Sawhney case, I would once again refer to Paragraph 390 of that judgement.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

DR. AMAR PATNAIK: It says, "The petitioner submits that the report leading to the impugned Government orders is not based on any scientific or objective study of backwardness in the country."

"And any attempt to make reservation on the basis of the data supplied in the Report is irrational, unconstitutional and invalid." In fact, this is the crux of the problem in the separate subsequent judgment in the Nagaraja case. Taking care of this, hon. Chief Minister of Odisha made a recommendation and wrote a letter last year to the Government of India that in the census please have one particular column in which there would be OBCs and SEBCs enumeration. But the Government of India replied that they are not in a position to do so. Therefore, the Government of Orissa on its own has started the OBC enumeration and appointed a Commission.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

DR. AMAR PATNAIK: And from May 1st, the work has already started. Therefore, in this particular Bill, while I support the Bill, I think we should increase envelope, let us increase the ceiling, let us have the caste census then only we will actually be successful in making the benefits reach the people to whom it is intended. Thank you so much.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, I rise to speak on this seminal Bill which will go a long way in establishing an equitable and just society in our country. Sir, it is appropriate now to tell about our leaders Thanthai Periyar, Perarignar Anna, Puratchi Thalaivar MGR, and Puratchi Thalaivi Amma who were consciously cultivating the concept of strengthening democracy through peaceful means bringing economic prosperity by equitable distribution of wealth through education and job openings to the masses. Sir, at this juncture, I must also mention a word of appreciation to our hon. Prime Minster, Narendra Modiji for accepting 27 per cent reservation for the OBCs in the Central pool of medical seats. Sir, this reservation is self-respect for the individual. We are all for self-respect and for that only I want to bring to your notice - what a coincidence, Sir, - that it was in the year 1921 that my political ancestors, namely, the Justice Party, issued the first communal order, G.O., in the Madras Presidency. Odisha was also a part of that Presidency at that time. At that time, reservation had come in Odisha also when Justice Party was there. Sir, if people like you and me and several other hon. Members like us and millions of brothers and sisters are what we are, is it not due to this affirmative action? Shouldn't we be grateful to those who brought us to this level? Sir, it is the spirit of social justice that, I on behalf of my party, AIADMK, welcome this Constitutional Amendment Bill which aims to empower the State Governments and Union Territories to identify, prepare and maintain their own State list and Union Territory List of socially and educationally

backward classes. Sir, at this time, I want to bring to your kind notice that in November 1993 the Tamil Nadu Assembly, Amma Jayalalithaa, Avl had adopted the Tamil Nadu Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Scheduled Tribes Reservation of Seats in Educational Institutions and of Appointment to Posts in the Service Under the State Bill, 1993, known as Tamil Nadu Act of 1994. Sir, already our leader has said that we are giving the Constitutional status. She insisted at that time to include this Act in the Ninth Schedule so that its validity is not challenged. That is why when it was done, we called Amma as "Samooga Neethi Kaatha Veeraganai". This title was given to the Madam because she fought for that. Amma Jayalalithaa, on returning to power in 2011 accepted the recommendation of the State Backward Classes Commission to continue 69 per cent of reservation. Sir, my submission is that in Tamil Nadu 69 per cent reservation is given for all the communities, Backward Classes and Scheduled Castes. It has to be retained. I request the Central Government to take necessary action to give it the effect because there is a rule that reservation cannot cross more than 50 per cent. In that situation, to give 69 per cent, the Central Government may come forward to enable that.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Your time is over, please conclude.

DR. M. THAMBIDURAI: I request Hon'ble Modiji's Government for retaining and enabling 69 percent reservation is very important. Tamil Nadu is for that, as it comprises of socially and economically backward and Scheduled Tribes. With these words, I thank the Government of Shri Narendra Modi, for recognizing the rights of the States to identify OBCs. I am confindent that Modiji will become Samooganidhi Kavalar, valiant defender of social justice, like the way Amma became Samooganidhi Kavalar. He is also going to become Kavalar for Samooganidhi. I appreciate that. Once again, I thank the hon. Prime Minister and the Government for bringing in this Bill and having it passed.

शिक्षा मंत्री; तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने आज इस सदन के सामने जो एक महत्वपूर्ण विधेयक आया है, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया। प्रजातंत्र में चर्चा, आलोचना और criticism is inevitable. यह होना स्वाभाविक भी है। शायद सदियों से प्रजातंत्र की यही हमारी शर्त रही है। हम तो भारत को मूल पीठ प्रजातांत्रिक मानते हैं। आप और हम जिस राज्य से आते हैं, जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ कोई राजा नहीं था। इतिहासकारों ने, लोक कथा के इतिहासकारों के द्वारा जो थोड़ी बहुत स्मृति लिपिबद्ध की गई है, उसके अनुसार कलिंग में

गणराज्य था। इसका अर्थ यह है कि हमारे यहाँ डेमोक्रसी कोई ढाई-तीन हज़ार साल पहले से है। हम कोई Magna Carta से डेमोक्रसी सीखने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए उस परंपरा को आगे ले जाते हुए आज एक उच्चस्तरीय, उच्च कोटि की चर्चा काँग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू की गई। सच में जब अभिषेक मनु सिंघवी जी जैसे एक विद्वान वकील, विद्वान तर्कशास्त्री विषय को रखते हैं, भले ही कुछ विषय मन को न भाए, राजनीतिक पुट तो आएगा ही, यह तो स्वाभाविक है। मैं भी दो शब्द कहूँगा, जो विषय उठे हैं, मुझे उनका उत्तर देना ही पड़ेगा। उस समय भले ही एक-दो विषय, राजनीतिक टीका-टिप्पणी सही न लगे, लेकिन कुछ मूल विषय पर आज सदन ने चर्चा की। कुछ मित्रों ने थोड़ा अत्यधिक उत्साही होकर कहा - कहा जाता है कि new enthusiasm रहता है, उनका जो स्वभाव है। उपसभाध्यक्ष जी, किसी के मूल पिंड को तो बदला नहीं जा सकता है। इस बीच में सदन ने कुछ मित्रों के मूल पिंड को समझ ही लिया है। सदन उनको उतनी ही गंभीरता से लेता है, लेकिन आज अभी तक अच्छी चर्चा हुई है। मैं अभी तक चर्चा में भाग लेने वाले सभी मित्रों का हृदय से आभारी हूँ, मैं सबको सरकार की ओर से धन्यवाद देता हूँ। हमारे मंत्री उसका सविस्तार उत्तर भी देंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, तीन-चार छोटे-छोटे विषय उससे जुड़े हुए हैं। 2018 में जब आप ओबीसी कमीशन को constitutional validity देने के लिए, mandate देने के लिए 102वाँ संविधान संशोधन लाये, तब आपकी language ऐसी क्यों रही? Select Committee, intent of law के बारे में स्पष्ट किया था। मैं सिंघवी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने अपने ही प्रश्न किए और अपने ही उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने उस समय यह कहा था - आज वे, यानी थावरचन्द गहलोत जी कर्णाटक के मान्यवर राज्यपाल बन चुके हैं - उन्होंने कहा था, there will be two lists. उस समय सदन में कुछ साथियों ने प्रश्न उठाया भी था। सेलेक्ट कमेटी से लेकर सदन की चर्चा तक उसमें कोई ambiguity सरकार की तरफ से कभी नहीं थी, न तब थी और न आज है, लेकिन फिर भी एक प्रसंग सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसके बारे में शायद जब-जब कभी एक अवसर आता है, देश का निर्णयकर्ता कौन होगा? हमारी डेमोक्रसी में equal division of power है, कोई यह न समझे कि हम ज्यादा जानते हैं और ज्यादा सोचते हैं। इस सदन ने, प्रजातंत्र ने हमें सदैव यह अधिकार दिया है। In this House, the parliamentary system is supreme. आज हम सब मिल कर उसी का एक बार पुनः संकल्प करेंगे कि भारत की नीति क्या होगी, गरीब कल्याण क्या होगा। उसके बारे में कानून बनाने के लिए सदन सुप्रीम है। इसे एक सही तरीके से कहा गया कि यह एक वास्तविक modification है, यह एक clarificatory amendment है। इसमें किसी नई शब्दावली की आवश्यकता नहीं है। आज हम सब मिलकर इस काम को पूरा करने वाले हैं और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्यों ने अपने कुछ-कुछ मुद्दे रखे हैं, लेकिन सरकार की जो मूल नीति रही है, जो मूल intention रही है कि हम लोग उसे कैसे देखें, कैसे संभालें, इसमें कोई confusion नहीं है।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसका बैकग्राउंड क्या है? उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं 2004 में लोक सभा का सदस्य था। आप संयोग देखिए, मैं आज देश के माननीय प्रधान मंत्री जी के विश्वास के कारण शिक्षा विभाग का काम देख रहा हूँ, तब इस देश के एक बहुत बड़े नेता, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी शिक्षा विभाग का काम देखते थे और मैं लोक सभा में एक युवा सांसद था। उस समय, 2008-09 में ओबीसी आरक्षण, जो 1990 से लागू हुआ था, उसका

केन्द्रीय स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हुआ था, सिर्फ राज्यों ने लागू किया था। सिंघवी जी ने ठीक कहा कि कई राज्य उसे 50 परसेंट से ऊपर ले जा चुके हैं। अभी थंबीदुरई जी और शिवा जी कुछ historic बात कह रहे थे। हमारे राज्य, आप और मेरे राज्य भी उस पुरानी विरासत, ओडिशा-मद्रास presidency का कुछ हिस्सा थे, इसलिए उनकी कुछ परंपराएं हमारे राज्य में भी बनीं। राज्यों ने तो आरक्षण दिया ही था, जबकि केन्द्रीय सूची मंडल कमीशन लागू होने के बाद बनी थी, लेकिन लागू नहीं हुई थी - 2007, 2008, 2009, उन दिनों में लागू हुई। उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर उसका सही मायने में क्रियान्वयन होता, मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, काका कालेलकर कमीशन -- मैं इसे राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता हूँ, हमारी ओर से इस विषय को सुशील जी ने रखा है। कालेलकर कमिटी को किसने बिठाया था? 1980 में रिपोर्ट आने के बाद भी उसे 1990 तक क्यों इंतजार करना पड़ा, 2008 तक क्यों इंतजार करना पड़ा? आगे भविष्य में जब कोई इतिहास का विद्यार्थी रिसर्च करेगा, तो दूध का दूध, पानी का पानी, black and white clear है। इसमें किसी को confusion नहीं होगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की एक पृष्ठभूमि है। हम वे लोग हैं कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए -- यह हमारा आज का कोई knee-jerk reaction -- फलाना आ गया, X, Y, Z आ गया, हम ऐसा सोचने वाले लोग नहीं हैं। प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी आज कुछ निर्णय करते हैं, तो उसमें इस देश में सदियों से जो कुछ विचार हैं कि सबके समान अधिकार हैं, इसलिए हमारी सरकार की नीति रही है, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।' जिसके जो अधिकार हैं, जिसकी जितनी भागीदारी है, जिसकी जितनी संख्या है -- अमूमन हमें कुछ legacy issues मिले हैं, हम उन्हें रातोंरात चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर हम उन विषयों को ध्यान में रखते हुए कुछ काम आगे बढ़ाते हैं, तो हमारी intention पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहूँगा। मैं बहुत पुरानी बात पर नहीं जाऊँगा। Legacy issue तो है ही, उसे ठीक कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें! सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अथॉरिटी पर एक अनावश्यक encroach किया था, उस समय आप भी सदन में थे। मेरी बहन, जो हमारे महाराष्ट्र की सदस्या हैं, थोड़ी कटुता स्वाभाविक है, हम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, उन्हें हमारी intention पर संदेह हुआ। Intention पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम क्लियर हैं। जब मैं शिक्षा विभाग संभाल रहा था -- Sivaji, some friends from DMK came to see me. They raised an important question in front of me. Why in higher educational institutions... Sivaji, I am addressing you. Through the Vice-Chairman, I am addressing you. It is an issue of your party. Some senior Members of your Party from Lok Sabha came to see me and they raised a pertinent question as to why in IITs, in Central universities, there is no reservation for SCs, STs and OBCs.It was news for me. I was handling this department since long. But, somehow, I missed that. It was news for me. मैंने जब उसकी इन्क्वॉयरी की, जब उसकी जानकारी ली, it was a surprise for me. Sir, the provision till 1989 was that there will be reservation, but at the entry level — Asst. Professor level — if the desired candidate is not available, the quota will lapse the subsequent year! Who rectified that? Sir, it is the hon. Prime Minister, in 2018-19, who took a bold step and rectified that

henceforth there is no lapse of quota. आगे चलकर कोई कोटा लैप्स नहीं करेगा। ओबीसी के रिज़र्वेशन का तो विषय ही नहीं था, उसे हमने शुरू किया।

NITs के बारे में, Sivaji, you mentioned that due to court's direction and due to pressure from the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, we were compelled to implement OBC reservation in the Central Pool. Sivaji, you are a very senior and learned Member. I respect your view. In a democracy, I have to concede this much. I respect your view. But, this is not the fact. Sir, Tamil Nadu and your party had gone to the High Court on a different issue. You were asking 27 per cent quota. I welcome that. I am thankful to your Chief Minister. He has welcomed it, though your party had gone to the Madras High Court for 69 per cent quota. But, we, the hon. Prime Minister Modi, took the decision that the quota henceforth will be 27 per cent. So, who prevented you from 1986 to do this?

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): It is not that.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: I am not yielding, my dear friend. I am not yielding. Please hear this much. This is democracy. We have to respect each other. I am respecting the Chief Minister's welcoming approach. So, please listen.

उपसभाध्यक्ष महोदय, सेंट्रल पूल की practice decades old है। सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से राज्यों के मेडिकल कॉलेजेज़ से pool करके सेंट्रल कोटा बनाती है, यह एक पुरानी परम्परा है। उसको अभी तक ओबीसी रिज़र्वेशन देने में कौन लोग जिम्मेवार थे? So, in a democracy, we have to criticize each other. But, at the same time, we have to appreciate each other's point of view. I am welcoming and appreciating the stand taken by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu. You have to show that much of magnanimity to realize the fact that it is we, the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, who has initiated this proposal and implemented this historic decision. We all are committed. We have to implement social justice.

There are two other issues. Sir, previous speaker had elaborately quoted JNVs and KVs. जवाहर नवोदय विद्यालय में, सेंट्रल स्कूल में ओबीसी के लोगों के लिए रिज़र्वेशन को किसने इम्प्लिमेंट किया? आप सभी लोग रहे, सदन के सारे सदस्य रहे। शरद पवार जी जैसे वरिष्ठ सदस्य ने राज्य चलाया और वे केन्द्र में एक प्रमुख भूमिका में रहे। अभी हमारे राम गोपाल जी नहीं हैं, उनके इशारे पर तो दिल्ली की सरकार चलती थी। मैं आभारी हूँ कि मेरे भाषण को आदरणीय देवेगौड़ा साहब सुन रहे हैं। ये देश के प्रधान मंत्री रहे। सेंट्रल स्कूल में ओबीसी विद्यार्थियों को रिज़र्वेशन देने के लिए आपको किसने मना किया था? संजय भाई, आपको तो किसी ने मना नहीं किया था, आप तो बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं। किसी ने मना नहीं किया, हमने इम्प्लिमेंट किया, लेकिन हम उसका कोई ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। यह सत्य है, यह फैक्ट है, इसको आज हम सबको मिलकर स्वीकार करना पड़ेगा।

सर, मैं एक और विषय का उल्लेख करना चाहता हूँ। संयोग से, मैं प्रधान मंत्री जी के विश्वास से पिछले दिनों तक पेट्रोलियम विभाग संभाल रहा था। अभी राम गोपाल जी नहीं हैं। राम गोपाल जी की तो एक विचित्र प्रकार की राजनीति है, डर पैदा करो और राज करो, डर पैदा करो और राज करो। हमने कौन-से यादवों, कौन-से गुर्जरों और कौन-से कुर्मियों के रिज़र्वेशन को तोड़ा है? मैं कुर्मी हूँ, हम तो रिज़र्वेशन देने वाले लोग हैं, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। आपने जो गलती की, उसको हम जोड़ने वाले लोग हैं। आपने क्या किया था? प्रो. राम गोपाल साहब, आप एक और सेक्टर से भी जुड़े हैं। आप कैसे जुड़े हैं, वह मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप जुड़े हुए हैं। मैं पेट्रोलियम विभाग का काम-काज संभाल रहा था। अभी तक इस सदन को यह मालूम होगा कि एलपीजी की जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती थी या जो पेट्रोल पम्प मिलता था, उसमें संवैधानिक अधिकार के नाते एससी, एसटी रिज़र्वेशन था और ऐसा ही अधिकार ओबीसी रिज़र्वेशन के लिए भी था। क्या आपको किसी ने मना किया था? 10 साल तक वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक आपका शासन था। क्या उसको लगाने के लिए किसी ने आपत्ति की थी? राजमणि पटेल साहब, आप तो सामाजिक न्याय के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं। आपके नेता लोग मध्य प्रदेश से आकर दिल्ली के बड़े-बड़े नेताओं के रिमोट चलाते थे। आपने क्यों रिमोट नहीं दबा दिया? ...(**व्यवधान**)... राजमणि जी, मैं आपको सुन रहा था। हम एक ही राज्य से आते हैं, प्रजातंत्र में थोड़ा टीका-टिप्पणी को सुन लीजिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने मोदी जी के निर्णय से वर्ष 2014 से 11,262 एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी, उसमें से एससी/एसटी का जो अधिकार है, उनको दिया, उसके अलावा 2,852 ओबीसी नौजवानों को रोज़गार देने के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी। महोदय, प्रो. राम गोपाल जी आ गए हैं, वे इस तथ्य को सुनकर निश्चित ही मुझे आशीर्वाद देंगे। वे सदन में नहीं बताएंगे, लेकिन वे मुझे आशीर्वाद देते रहे हैं और आगे भी देंगे। हमने पिछले सात सालों में कुल मिलाकर 28,558 पेट्रोल पम्प दिए, उनमें 7,888 पेट्रोल पम्प ओबीसी वर्ग के नौजवानों को दिए। हमसे किसी ने नहीं कहा था। हम सिर्फ कहने वाले लोग नहीं है। नरेन्द्र मोदी जी जो कहते हैं, वह करते हैं। ऐसा ही मेरा नेता है। इसमें intention का जो विषय है, मैं उसको elaborate नहीं करूंगा। Intention के बारे में कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। यह ठीक है कि आपको राजनीतिक टीका-टिप्पणी करनी है, नहीं तो आपका नाम कैसे छपेगा, आपका नाम चर्चा में कैसे होगा। प्रो. साहब, आप जिनके मन में डर पैदा कराना चाहते हैं, यू.पी. में चुनाव भी आ रहा है, इतना तो वाजिब है, मैं आपका सम्मान करता हूं। बाकी दो विषय आप सबने उठाए कि 50 परसेंट की कैपिंग क्या है। मैं सिंघवी साहब को क्वोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा 'यह तो खाली डिब्बा है, यहां अगर राज्यों को अधिकार दे भी दें,' - लिया तो कभी नहीं था, देने का प्रश्न कहां से आता है? लिया कभी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी limited understanding की थी, उसको सदन rectify कर रहा है। इसलिए लेने-देने का विषय नहीं है - पहले अधिकार था और आगे भी रहेगा। दूसरा यह कि 50 परसेंट वाले में क्या है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार, तमिलनाडु, केरल, कर्णाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी आदि अनेक राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि को वे भी क्वोट कर रहे थे और उन्होंने भी कहा कि लगभग 80 परसेंट राज्य 50 परसेंट की capping को जा चुके हैं। वे कैसे गए? क्या अनायास गए? अनायास नहीं गए। अभी अमर पटनायक जी ने ओडिशा के बारे में कहा कि हम तो देते।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कभी-कभी हैरान रहता हूं। सियासत होनी चाहिए, लेकिन तथ्य के आधार पर होनी चाहिए। कुछ राज्यों में 70-80 परसेंट तक चले गए। अभी मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रसन्न आचार्य जी, 90 के दशक में जब मंडल कमीशन लागू होता था, तब वे राज्य के बड़े प्रभावशाली मंत्री थे, कैबिनेट में थे। हमारे स्वर्गीय बीजू बाबू मुख्य मंत्री थे। हम सब उस समय विद्यार्थी थे, शायद वह एक ही राज्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट आया था कि मंडल कमीशन लागू न किया जाए। प्रसन्न आचार्य जी उस कैबिनेट के सदस्य थे। उनकी पार्टी के अभी नए-नए सदस्य, उस समय जो राजनीति में नहीं थे, अधिकारी थे, बड़े ओहदे पर थे, वे जानकारी रखते हैं। अमर पटनायक जी कह रहे थे कि हम तो देने के लिए तैयार हैं, आपने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हम 50 परसेंट के ऊपर कैसे जाएं और लिस्ट कहां है। वे यहां बैठे हैं, उन्हीं के समय में लिस्ट बनने के लिए तय हुई थी। Socio-Economic Caste Census बना था, लेकिन वह वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के अंदर नहीं बना। वर्ष 2011 में आया। जयराम रमेश जी ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। उसको हमने लागू किया। मैं तो बड़े अभिमान के साथ कहता हूं कि 'प्रधान मंत्री आवास योजना' में करोड़ों के घर - उस लिस्ट में सीमा थी, उस लिस्ट में जाति वाले विषय में कई प्रकार की विसंगतियां थी, लेकिन हमने उस लिस्ट को यूज़ किया। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि आपने नहीं किया तो हम उसको लागू नहीं करेंगे। मैंने पेट्रोलियम विभाग का काम संभाला। मैं सदन की ओर से पुरी जी को बधाई देता हूं। उन्होंने कल एक करोड़ नए एल.पी.जी. कनेक्शन देने का फैसला किया। उसके पहले हमने एस.सी., एस.टी. लिस्ट के आधार पर आठ करोड़ कनेक्शंस दिए थे। देश में Caste Census एक revolutionary process है। Caste Census नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अनेक राज्यों ने उसको आधार माना है। अभी शिवा जी और थंबीदुरई जी जस्टिस पार्टी का इतिहास बताते हुए मद्रास प्रोविंस की प्रेसिडेंसी के reservation system को क्वोट कर रहे थे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पिछड़ी जाति का व्यक्ति हूं। मैं आज क्रीमी लेयर में आता हूं। हमारे बांडा साहब जी कह रहे थे क्रीमी लेयर कहां है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्रीमी लेयर में आता हूं। मैं आज अपने आप को ओबीसी कहता हूं। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और मैंने बचपन में अपने पिताजी से सुना था कि उन्होंने बीसी स्कॉलरशिप से, जिसके बारे में मंडल कमीशन में रिकमंडेशन बाद में हुई, उसके पहले वे पढ़े थे, जिसकी कालेलकर कमीशन में, संविधान सभा में चर्चा हुई थी, उसी मद्रास प्रेसिडेंसी की परंपरा से ओडिशा में बीसी स्कॉलरशिप से मेरे पिताजी डॉक्टरी पढ़े, तो मैं आपकी अनुमति से दो शब्द कह पा रहा हूं और मोदी जी के आशीर्वाद से मैं मंत्रिमंडल में हूं। सर, शुरुआत कहां हुई? ऐसे ही सारे विषयों के बारे में कालेलकर कमीशन में कहा गया था और ऐसे ही मंडल कमीशन में कहा गया था, इसलिए यह कहना गैर-ज़िम्मेदाराना होगा -- उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं -- कि हमारे वहां लिस्ट नहीं है। ओडिशा में आज भी लिस्ट है। आपको सुप्रीम कोर्ट में आने से किसने मना किया था? आपको 2014 में यह दिखाना था कि 52 प्रतिशत लोग ओडिशा में पिछड़ी जाति के हैं। आपके मन में क्या है, यह बात प्रभु जगन्नाथ जी को मालूम होगी। आप सांकेतिक रूप में हाई कोर्ट में चले गए। कुछ लोगों को भेज दिया, और यह बात आप ही के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य कहते हैं। राजा स्वैन जी जैसे लोग कहते हैं कि ओडिशा में 27 प्रतिशत रिज़र्वेशन देने के लिए निर्णय किया और फिर पीछे से हाई कोर्ट में किसी को भेज दिया और हाई कोर्ट ने struck down कर दिया। आपको सुप्रीम कोर्ट आने के लिए किसी ने मना नहीं किया था। ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRASANNA ACHARYA: Sir, ... *(Interruptions)*...

श्री धर्मेंद्र प्रधानः सर, यदि मैं गलत हूं, तो मेरे तथ्य को निकाल दीजिएगा। ...(**व्यवधान**)... उपसभाध्यक्ष जी, यदि मेरे तथ्य गलत होंगे, तो expunge कर दीजिएगा। अभी सुशील जी उसका ब्यौरा दे रहे थे। हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने strike down किया, फिर हमने स्पेशल लीव पिटिशन डाली, आठ दिन के अंदर, 2014 में हाई कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद, strike down होने के बाद, आज 2021 है। आपको आश्चर्य होगा, इस सदन को आश्चर्य होगा कि ओडिशा एकमात्र राज्य होगा, जहां एक स्टेट लिस्ट है। ऐसा नहीं है कि स्टेट लिस्ट नहीं है। सारे राज्यों में स्टेट लिस्ट है और मेरे राज्य में भी स्टेट लिस्ट है। उस स्टेट लिस्ट के आधार पर आपका एक ही राज्य, शायद ओडिशा होगा, जहां पिछड़ी जाति के लोगों को रिज़र्वेशन नहीं मिलता है। यह भी है, चलो प्रजातंत्र है, जब समझ में आएगा, तब आप देंगे। गुहार करने के अलावा कोई जगह नहीं है। इंदिरा साहनी ने क्या कहा? इंदिरा साहनी जजमेंट में Venkatachaliah की 9 सदस्य वाली Constitutional Bench ने इसे कभी मना नहीं किया कि विशेष परिस्थिति में राज्य अपना अधिकार ज़ाहिर कर सकते हैं और राज्यों ने किया भी है, इसलिए यह भ्रम फैलाना और केन्द्र के कोर्ट में बॉल फेंक देना कि 50 परसेंट के ऊपर आपके कारण नहीं जा पा रहे हैं या लिस्ट नहीं हैं, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, ये दोनों बातें तथ्य के आधार पर नहीं है। आज एक बौद्धिक चर्चा हुई। देश के वंचित वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आज सदन एकमत है। मैं फिर आप सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। हम संकल्पबद्ध हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज एक शायरी कहना चाहता हूं। आज आपकी अनुमति से मैंने हमारी सरकार की philosophy बताई, लेकिन मैं इरादा भी बताता हूं।

"जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का,
तब देखना फिज़ूल है कद आसमान का।।

धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Shri Abdul Wahab; you have four minutes.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, I appreciate and welcome the move by the Modi Government. I didn't expect that they would bring such a Bill in this Session. The intention has been described here. Shri Dharmendra Pradhanji has already said that it is because of the coming elections. I would not go into those details. We listened to Shri Dharmendra Pradhan's speech. He spoke a lot about petroleum and his erstwhile Department. I am not sure why he was transferred from there to the Ministry of Education. If he has done well, even giving OBC quota, if it is privatized, Dharmendra Pradhanji, to whom would you give this reservation? You are now going

to privatize all the institutions. What would happen to reservation then? Where would it go? Anyway, thank you, Shri Dharmendra Pradhan, for giving me so many insights into this Bill. I would now like to talk about the Mandal Commission Report, what happened then and what the stand of the BJP at that time and how many Upper Caste people had immolated themselves. My colleague sitting here was a journalist. He had reported what happened 30 years ago. I was reading from his report. Now we are together in this House. We remember what the situation was and what happened 30 years ago. It happened in 1990, he has the data and he remembers the date. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Dharmendra Pradhan is the Education Minister. According to the UGC data, JNU, Delhi University, BHU, Allahabad University among others did not have a single Professor under the OBC quota as of 1st January, 2020. Three hundred posts of Professors sanctioned under the OBC quota are lying vacant. Even in Assistant Professorship, more than 950 seats are lying vacant. It has been known that the universities do everything to circumvent OBC reservation. If we take the case of Vice-Chancellors too, most Central Universities hardly have any Vice-Chancellor who belongs to OBC. None of the 22 IITs, including the ones at Delhi, Bombay, Madras and Kharagpur follow reservation in their faculty positions. Seven IITs had ten or less faculty members from the Other Backward Classes. At IIT, Bombay, of the 684 faculty positions, only ten belong to the OBC category, which is just 1.5 per cent. At IIT, Madras, of the 596 faculty members, only 62, that is, 10.4 per cent, belong to the OBC. It is highly suspected that in all these universities and institutions, a number of posts that are reserved for OBC were being filled by people belonging to the General category as OBCs candidates are declared as NFS, that is, 'none found suitable'. Everybody is NFS there. ...*(Interruptions)*... The demand for caste-based census has always been the footwork of backward communities in the country. Recently, the constitutional body, the National Commission for Backward Classes, urged the Government to collect data on the population of OBCs as part of the Census of India for 2021 exercise. Even the Rohini Commission wrote to the Minister of Social Justice and Empowerment, Shri Thaawar Chand Gehlot, on December 12, 2018, requesting an appropriate budget provision for a proposed all India survey for an estimate of caste-wise population of OBCs. In the absence of data on the population of various communities to compare with their representation in jobs and in admission has been the biggest hurdle for the Commission.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

SHRI ABDUL WAHAB: Just one minute, Sir. ...*(Interruptions)*... I would request the Government to consider the long-time demand of conducting a caste-based census of this time. The Government must consider bringing another legislation to cross the current limitation of keeping reservation to 50 per cent. There is empirical evidence in support of the need to cross 50 per cent limitation in reservation. In addition to this, I raise a demand. It is important to remember that the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 says, 'No person who professes a religion different from the Hindu, the Sikh or the Buddhist religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste.' This Order communalises the category of Scheduled Castes. I demand scrapping of para 3 of Constitution SCs Order, 1950 so that *dalit* Muslims and *dalit* Christians are duly included in the SCs List and they are not discriminated on the basis of religion under Article 341 of the Indian Constitution.

4.00 P.M.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I welcome this Constitution (Amendment) Bill that has been introduced in this House. I do not want to take much time, but I can extend my speech one or two minutes with your permission. The reservation system itself in Karnataka was implemented by Maharaja Mysore. It was started in 1918. Today, the present Government, headed by Shri Narendra Modi, has taken some steps to provide the benefits to all the OBCs and other communities. In the last Session, hon. Prime Minister declared 10 per cent reservation, other than the 50 per cent reservation that has been accommodated by the Supreme Court in fixing the cap, for forward communities who are economically backward. That can also be taken into consideration by the State Governments. So, keeping this in view, the cap is going to be fixed at 60 per cent. It is already 69 per cent in the neighbouring State, which I welcome, as approved by Ms. Jayalalitha. Is it going to be left to the States? This is the only question that I would like to ask of the Government. During my short tenure, I moved a Constitution Amendment to give reservation to women. That was approved by this House, if I am correct. In Rajya Sabha, Women Reservation Bill has been approved. I do not know what has happened to it and why it was not brought to Lok Sabha. Let the Government think over and feel that women reservation should also be provided. The other point is, there was some reservation in Karnataka. When we took over, we provided reservation to all the backward classes, SCs and STs, politically as well as economically, in jobs and admission in professional courses. We have provided it. It is not a new thing for us. I will just give the information, through you, to the House.

We provided 23 per cent reservation to OBCs, 15 per cent to SCs, 3 per cent to STs and 9 per cent within that 5 per cent to Vokkaligas which is the major community and 5 per cent to Lingayats. This is the reservation which we have provided. 23 per cent goes to OBCs. In that OBCs reservation, Muslims minorities are also included. There was no opposition during our period as nobody went to Court. Even today, Muslim reservation is still going on.

Now, I am clarifying this issue because we should not think of somebody as attacking the Muslim minorities. The State Government has taken action to arrest them. That is very clear. Everybody is an Indian. One hundred and thirty crore population is there. Irrespective of the States, I can't say as to what is the cap. Many small States are there. There are also some big States like Uttar Pradesh and Bihar. I do not know how the reservation will be done and the cap will be fixed if it is left to the State Governments. I have no objection, but let it be clarified by the Government. I would like to only express my sincere thanks to the hon. Minister and also the hon. Prime Minister who has taken these radical steps and supported by all. The HRD Minister has explained all about these communities and everything. I have heard him very patiently. Lastly, I would like to thank you for the time you have given to me. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri K. Ravindra Kumar. You have four minutes.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I was waiting for the opportunity, but before my name, so many names were called. That is why I lost my time. However, I am permitted to speak.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity. The Bill aims at bringing clarity in Articles 338B, 342A and 366(26A) of the Constitution of India. Our beloved leader, Nandamuri Taraka Rama Rao Garu, who founded the Telugu Desam Party, played a very crucial role in the implementation of the reservations, particularly in the OBC community.

This Bill is a kind of requirement today. It is inevitable. We all know that after the Supreme Court judgment, the Centre is compelled to bring this Bill because the States have their own rights to recognise the underprivileged communities which need that kind of empowerment. When the Mandal Commission Report was released, the percentage of the OBCs in the country was around 52 per cent. The reservation granted to the OBCs is only 27 per cent. Pursuant to the judgment of the apex court, there was an apprehension in the minds of the people that Article 342A of the

Constitution abrogates the States' power to legislate or classify in respect of any backward classes of citizens and it affects the federal structure of the Constitution of India.

Through the Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021, the Government has introduced a new clause (3) to Article 342A of the Constitution of India. It also replaces certain words and also provides an explanation with a view to bring more clarity. This would certainly clear the doubts that had arisen in the minds of the people.

I myself and my Party stand to support this Bill. The emancipation and upliftment of the neglected classes of the society is very close to the heart and soul of the Telugu Desam Party. The hitherto neglected people are taken care by the reservation which is considered as a measure to provide social justice. It has always been there, but because of certain reasons, it did not happen before. But in the year 2021, when the Central Government is taking up the Census today, it is definitely required. We have to know what percentage of population is there in each caste and how each caste stands in the social fabric of the country. Unless we have those kinds of numbers, unless we have the facts and unless we have those figures, we cannot ensure proper policy making in this country. That is what we see when we make any kind of policy. We request the Government that it is very much a necessity today. So, the Government has to ensure caste-based census. In the day, in a reply to a question, it was stated by the Government that the Government is not going to undertake caste census in the current round of population enumeration. In the year 2011, caste census was undertaken, but the data pertaining to it was not released. It is very unfortunate. The demand is to provide more facilities in the form of reservation and other welfare measures for the upliftment of the socially and economically backward communities, and, therefore, it is the need of the hour.

Finally, Sir, I just want to remind the Central Government that the reservation in jobs is yet to be implemented. It is not done as yet. We welcome any step towards the upliftment of the OBCs but still, a lot of things need to be done for the OBCs.

On behalf of Telugu Desam Party and our leader, Shri Chandrababu Naidu, I would say that we are committed to support any step that is taken towards the upliftment of the OBCs and we support the Central Government in this regard.

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): मैं पंजाबी विच्च बोलांगा।...**(व्यवधान)**...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: Sir, there is no interpretation.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Balwinder Singh ji, interpretation is not there. Please speak either in English or in Hindi so that translation can be done. You can add some Punjabi words in between. ...*(Interruptions)*...

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर : उपसभाध्यक्ष जी, मैं पंजाबी में बोलना चाहता हूं, आप मुझे इजाज़त दें।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am told that there is translation available. ...*(Interruptions)*...

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर : मैं मिक्स करके बोलूंगा। पंजाबी लोग अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ाई लड़े हैं। मैं समय ज़ाया नहीं करना चाहता, क्योंकि समय कम है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please continue.

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर: चेयरमैन साहब, यहां पर 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ है, उस पर चर्चा चल रही है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से हम दिलों-जान से इसका समर्थन करते हैं। यह बहुत जरूरी था और जायज़ भी था। इसके Statement of Objects and Reasons में इस संशोधन विधेयक में जहां राज्यों को पावर रिस्टोर की गई है, वहीं एक मेजर ऑब्जेक्टिव भी है कि स्टेट्स को पावर रिस्टोर करके फैडरल सिस्टम को मेनटेन किया गया है। मैं जहां बिल का समर्थन करता हूं, वहीं इस बात का भी स्वागत करता हूं कि पहली बार, 1947 के बाद, देश में केन्द्र द्वारा राज्यों से पावर्स तो ली गई हैं, लेकिन स्टेट्स को सेंटर की तरफ से पावर दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि 1947 के बाद पहली बार सेंटर द्वारा स्टेट्स की पावर रिस्टोर की गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके लिए हमारा शिरोमणि अकाली दल 1960, 1971 और 1978 में एक-एक लाख, दो-लाख लोगों को इकट्ठा करके और resolution पास करके हम डिमांड करता रहा कि स्टेट-सेंटर रिलेशनशिप है, जो फेडरल सिस्टम है, उसमें सही तौर पर राज्यों को अधिकार दिए जाएं और इसे लागू किया जाए। हम लोग इस मांग को लेकर आंदोलन करते रहे और हमारे कई लोग जेलों में भी गए। हमारे नेता प्रकाश सिंह बादल जी ने आजादी के बाद 18 साल जेल में काटे हैं। मैंने खुद ने आजादी के बाद आठ साल जेल काटी है। आपातकाल के समय मैं जेल जा चुका हूं और बतौर एमएलए जेल गया हूं। हमारे साथ तो हमेशा फेडरल पावर के नाम पर धोखा हुआ है और खालिस्तान का नाम लेकर हमें पीटा गया है, पंजाब को लहूलुहान किया गया है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं कि पहली बार यह अच्छी बात हो रही है। मैं इसके मेजर पॉइंट पर कहना चाहता हूं कि गरीब लोग जो ओबीसी के हैं, जो इतने वर्षों से अपने हक से वंचित थे, उनके हक कैसे उन्हें दिए जाएं। इसमें कई तरह की रायें आ रही हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है कि जो भूमिहीन लोग हैं, चूंकि ओबीसी में ही सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग हैं, गरीबी के कारण उनमें पढ़े-लिखे लोग भी कम हैं, आजादी के बाद उन्हें जो शेयर विकास का मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला, इसलिए आज उन्हें उनका हक दिया जा

रहा है, इसका सब दल समर्थन कर रहे हैं और हम भी अपने दल की तरफ से इसका स्वागत करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार सदन में ऐसी अच्छी बात कर रही है तो एक और अच्छी बात भी कर दे, ताकि देश में अमन-शांति हो सके। ज्यादा अधिकार देने के चलते पंजाब का नदियों के जल पर जो हक था, वह छीन लिया गया, जबकि वह स्टेट सब्जेक्ट था, लेकिन हमारे साथ धक्का हुआ। इसके अलावा हमारी कैपिटल चली गई, वह भी हमारे साथ धक्का हुआ। एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन ट्रेडर्स के दबाव में आकर तीन कानून बना दिए, यह भी एक हमारे लिए धक्का है। किसान कौन है? आज किसान सड़कों पर बैठा है, यूथ और गरीब लोग सड़कों पर बैठे हैं। वे frustrated हैं, क्योंकि गरीबी के कारण उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, सर्विस भी नहीं मिल रही, कहीं और काम भी नहीं मिल रहा, मिलिट्री में भी आबादी के हिसाब से कोटा तय किया गया है। हमारे लोगों को गोली खानी पड़ती है। इसलिए पंजाब के लोगों के साथ यह ज्यादती है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो तीन कृषि कानून हैं, अभी भी सरकार के पास मौका है कि केन्द्र सरकार स्टेट्स के अधिकार रिस्टोर करे और इन कानूनों को रिपील करे, जिससे देश में अमन-शांति हो और देश के हालात सुधरें।

मैं कोई ऐसी कड़वी बात नहीं कहना चाहता, मेरे points सुन लीजिए। मैं हमेशा वह बात करता हूँ, जो national interest में है। हम तो जेलों में थे। जब बॉर्डर पर लड़ाई होती है, तो हम सब काम छोड़ कर वहाँ चले जाते हैं। हमारी तो धी-बहन भी वहाँ चली जाती हैं। जब भी अटैक होता है, तो फर्स्ट हम आते हैं। कारगिल की जंग, जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि जीती नहीं जा सकती है, वहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इस खित्ते के लोग थे, जो सबसे ज्यादा शहीद हुए। हम हमेशा nationalism के लिए लड़ते हैं, लेकिन rights भी बराबर हैं। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आपने यह अच्छा काम किया, लेकिन आप यह भी अच्छा काम कर दें कि आप उन black laws को repeal कर दें, ताकि लोग घरों में ठीक काम करें, देश तरक्की करे और देश में अमन, शांति बहाल हो। मैं यह बात कह कर इस बिल का स्वागत करता हूँ।

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस 105वें संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपनी पार्टी की मुखिया, बहन कुमारी मायावती जी का कि उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से मुझे इस बिल पर विचार रखने का अवसर प्रदान किया है।

श्रीमान जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओबीसी के लोग बहुजन समाज का अभिन्न अंग हैं और ओबीसी के मान-सम्मान के लिए, उनकी सामाजिक-आर्थिक बराबरी के लिए बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की। जब आर्टिकल 340 की व्यवस्था के तहत उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने आर्टिकल 340 को लागू नहीं किया, तब बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने उस तत्कालीन सरकार से क्षुब्ध होकर भारत सरकार के प्रथम कानून मंत्री के पद से resign कर दिया। उसके साथ ही बाबा साहेब ने उस वक्त के हमारे जो राष्ट्रपति थे, उनको लैटर लिखा कि देश आजाद हो गया और 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हो गया, लेकिन संविधान के अन्दर ओबीसी के उत्थान के लिए आर्टिकल 340 की जो व्यवस्था की गई है, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। तब राष्ट्रपति जी के interfere करने

की वजह से उस वक्त काका कालेलकर आयोग बनाया गया। जब काका कालेलकर आयोग बना, तो उसकी सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया। उसके बाद मंडल कमीशन बनाया गया। श्रीमान् जी, मंडल कमीशन की सिफारिश को भी लागू नहीं किया गया। आप सब जानते हैं कि उस वक्त माननीय श्री कांशीराम साहब ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने के लिए पूरे देश में धरना-प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि दिल्ली में बोट क्लब पर माननीय श्री कांशीराम साहब और माननीय बहन जी ने कई महीनों तक धरना और प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने नारा भी दिया कि "हम वोट से लेंगे सीएम/पीएम और मंडल से लेंगे एसपी/डीएम"। यह नारा मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने उस वक्त दिया। मान्यवर, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो बिल आया है और हमारी जो सोच है, माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी की जो सोच है, वह हमेशा ओबीसी के उत्थान के लिए है। हम लोग हमेशा ओबीसी के उत्थान के लिए, एससी/एसटी, दबे-कुचलों के उत्थान के लिए काम करते हैं। इसी सोच के परिणामस्वरूप उस वक्त भी जब माननीय वी.पी. सिंह जी की सरकार बनी, तो उनके सामने हमारी पार्टी ने अपनी शर्तों को रखा। उनको हमारे समर्थन की जरूरत थी, तो हमने शर्त रखी कि आप मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू कर दीजिए और बाबा साहेब को भारत रत्न दे दीजिए। उस वक्त वी.पी. सिंह जी ने आवश्यकतानुसार हमारी बातों को माना और इस देश के अन्दर मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया और यहाँ तक कि बाबा साहेब को भारत रत्न भी मिला। इसलिए परिणामस्वरूप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ओबीसी के उत्थान के लिए बहुजन समाज पार्टी इस बिल का पुरजोर समर्थन करती है।

श्रीमान जी, मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, यह छोटी सी बात है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 मार्च, 2019 को विज्ञापन संख्या 49 के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट महाविद्यालय में प्राचार्य के पदों हेतु कुल 290 पदों की vacancy निकली, लेकिन इसमें ओबीसी, एससी और एसटी के लोगों को आरक्षण ही नहीं दिया गया। मैं इस विषय पर चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। अगर आपकी मंशा इन कमजोर, दबे-कुचले लोगों के उत्थान के लिए है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन सुनिश्चित करें; साथ ही, ओबीसी और एससी/एसटी employees को प्रमोशन में भी आरक्षण देने का काम करें, तब तो लगेगा कि आप सही मायने में ओबीसी, दबे-कुचले लोगों का भी उत्थान करना चाहते हैं।

अभी माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी बोल रहे थे, जो हमसे उम्र में काफी बड़े हैं और साथ ही माननीय प्रधान जी बोल रहे थे कि हमने एससी/एसटी के उत्थान के लिए बहुत सारे काम कर दिए हैं। हम उनके सामने आपकी सरकार के कुछ एग्ज़ाम्पल्स देना चाहते हैं। 2008 में एक स्कीम, 'National Scheme of Incentives to Girls for Secondary Education' बनाई गई, जिसमें 3,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। उस वक्त यह कहा गया कि एससी/एसटी के जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जिनकी बच्चियां कक्षा-8 या कक्षा-5 के बाद drop-out कर जाती हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, इसलिए उनकी शिक्षा को कंटीन्यू करने के लिए 18 साल तक उनको इस तरह के incentives दिए जाएंगे, लेकिन उसको आपने लगभग पूरी तरह से बन्द कर दिया है, खत्म कर दिया है। इसके बाद, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहेब की फोटो लगाने से ही दलितों का उत्थान होता, ओबीसी का उत्थान होता, एससी/एसटी

का उत्थान होता, तो श्रीमान् जी, बहुजन समाज पार्टी पार्लियामेंट से लेकर कन्याकुमारी तक बाबा साहेब के फोटो लगा देती। लेकिन ऐसा नहीं होता है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude. माननीय रामजी, प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए।

श्री रामजी : जब तक हम बाबा साहेब की मन्शा के अनुरूप, बाबा साहेब के संविधान के अनुरूप काम नहीं करेंगे, तब तक इन वर्गों का उत्थान नहीं होने वाला है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूं। आज़मगढ़ में एक घटना घटी, वहां दलित समाज का, पारसी बिरादरी का एक प्रधान था। प्रधान एक पदवी है। वह एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति है।...(**व्यवधान**)... मैं बस अपनी बात खत्म ही कर रहा हूं। उस प्रधान का भाई पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर है और उसकी फैमिली उसी गांव में रुकी हुई थी। किन्हीं कारणों से उनका किसी से विवाद हुआ और वहां की सारी पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। उन्होंने उनकी महिलाओं को बेइज्जत किया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। रात में बारह-एक बजे कई थानों के ...(**व्यवधान**)... श्रीमान् जी, मैं तो आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... आप उनसे बात कर सकते हैं।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : कृपया कन्क्लूड करें।

श्री रामजी : वहां कई थानों की पुलिस पहुंची और बुल्डोज़र लेकर उनके मकानों को ध्वस्त किया गया। श्रीमान् जी, वे लोग कोई अपराधी नहीं थे, कोई क्रिमिनल नहीं थे, किसी माफिया के नहीं थे, वे एक साधारण से प्रधान थे, अपने गांव के प्रतिष्ठित लोग थे। उनके मकान के साथ अगल-बगल के पांच और दलित परिवारों के मकान भी ध्वस्त कर दिए गए। श्रीमान् जी, आप इन सब बातों का ध्यान रखिए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूं कि आप एससी/एसटी और ओबीसी के प्रमोशन में रिज़र्वेशन और प्राइवेट सैक्टर में रिज़र्वेशन का बिल लेकर आएं, हम आपका पुरज़ोर समर्थन करेंगे, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय श्री जयप्रकाश निषाद जी। आपके पास पांच मिनट का समय है।

श्री जयप्रकाश निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष अति संक्षिप्त वक्तव्य के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 338ख, 342क और 366 (26ग) के आगे संशोधन करने वाले इस "संविधान (एक सौ सत्ताइसवां संशोधन) विधेयक, 2021" का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं नया सदस्य हूं, लेकिन आप सबकी बात मैं बहुत देर से सुन रहा था। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ माननीय सदस्य अपनी बहुत सारी बातें रख रहे थे।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं एक ऐसे प्रधान मंत्री का समर्थन करता हूं, जिनकी ख्याति पूरे देश में है, देश में ही नहीं, समूचे विश्व में है और जिन्होंने पहली बार पिछड़ा वर्ग के बारे में कुछ अच्छा सोचने का काम किया है।

महोदय, आज सर्वप्रथम मैं अपनी सरकार की तरफ से, अपने समन्वयक राष्ट्रीय नेता, आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। महोदय, पिछड़ा वर्ग के अधिकार को लेकर तमाम वरिष्ठ सदस्यों ने जो बातें यहां कही हैं, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, मैंने अपने सामने देखा है, हर समुदाय को अपना अधिकार मांगने का हक होता है, यह एक संवैधानिक व्यवस्था है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है - "शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो"। आज उनके सपनों को अगर कोई पूरा करने का काम कर रहा है, तो इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अब तक कितने ही लोग वंचित रह गए थे, लेकिन आज सबके लिए NEET की व्यवस्था है। NEET परीक्षा के माध्यम से नवोदय विद्यालय हो या अन्य सरकारी संस्थान हों, उन तमाम जगहों में 27 प्रतिशत का आरक्षण देकर इस समुदाय को, पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने की ओर इस सरकार ने कदम रखा है। यह एक स्वर्णिम कदम है और इससे आने वाला भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा। आज मैं कहना चाहता हूं कि दूसरी सरकारों ने अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दिया। 2015 में एक पिछड़े वर्ग का समुदाय अपना हक़-हुक़ूक़ मांगने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आंदोलन कर रहा था, अभी वह वरिष्ठ सदस्य यहां नहीं हैं! उनकी सरकार में गोरखपुर के कसरवल कांड की बात मैं बताता हूं - वहां जब लोग अपना हक़-हुक़ूक़ मांग रहे थे, तो सरकार उनकी बात सुनने के बजाय उनके ऊपर गोलियां बरसा रही थी, लेकिन माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी उस समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। पटरी पर बैठने वाले, रेहड़ी, खोमचा, ठेला आदि लगाने वाले लोगों के लिए, जिनकी माली हालत बहुत खराब होती है, उनके ऊपर यदि किसी ने निगाह डाली है, उनके लिए यदि किसी ने व्यवस्था करने का काम किया है तो आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आगे बढ़कर यह काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस समुदाय से आता हूं, आज तक किसी ने उस समुदाय के ऊपर उस तरह से निगाह नहीं डाली, लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी जी 'मत्स्य सम्पदा योजना' लाकर हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां लोगों ने लाठियां खाईं, 2015 में कसरवल में जो लोग अपना हक़-हुक़ूक़ मांग रहे थे, अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे थे, उनकी बात सुनने के बजाय, जिन्होंने वहां कोई गलती नहीं की थी, उनके ऊपर भी ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please address the Chair.

श्री जयप्रकाश निषाद: उनको उनके घरों में से उठाकर जेल में ठूंसने का काम किया गया, उनके साथ न्याय नहीं किया गया। महोदय, मैं कहना चाहता हूं..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

श्री जयप्रकाश निषादः मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत 29 जनवरी, 1953 को काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ था, यह विदित है। इस आयोग से यह अपेक्षा की गई थी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस अद्भुत भारत के निर्माण का सपना देखा था, इस आयोग की रिपोर्ट के लागू हो जाने से उस सपने के पूरे होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेगा। इस आयोग ने 30 मार्च, 1955 को अपना प्रतिवेदन सौंपा था। इस रिपोर्ट में 2,399 जातियों को पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखा गया था।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): माननीय सदस्य कन्क्लूड करें।

श्री जयप्रकाश निषादः महोदय, 837 जातियों को काका साहब ने अति पिछड़ा मानते हुए एक पृथक वर्ग के अंतर्गत रखकर वर्गीकृत किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकारों ने ..

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): निषाद जी, आप कन्क्लूड करें, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा।

श्री जयप्रकाश निषादः लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ एक रिपोर्ट बनकर रह गई।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): माननीय निषाद जी, कन्क्लूड करें।

श्री जयप्रकाश निषादः मैं कहना चाहता हूं कि मैंने मेडन स्पीच भी नहीं दी है। आपने मुझे पहली बार बोलने का अवसर दिया है, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): आपकी पार्टी ने आपको पांच मिनट दिये हैं, प्लीज़, कन्क्लूड करें।

श्री जयप्रकाश निषादः मुझे आज तक मेडन स्पीच का भी अवसर नहीं मिला है, इसलिए आज मैं आपके बीच अपनी बात रख रहा हूं। इसके बाद 1979 का वर्ष आया, देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए एक आयोग गठित किया गया। आज हम इसे मंडल आयोग के नाम से पुकारते हैं। इस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1980 को दी थी और इसने पिछड़ी जातियों की संख्या में इज़ाफा करते हुए 3,743 जाति/समुदायों को इस वर्ग में शामिल किया था।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): माननीय निषाद जी, आप कन्क्लूड करें, मैं आपको 30 सेकेंड्ज और देता हूं, इससे आगे नहीं जा पायेंगे, we will have to move.

श्री जयप्रकाश निषाद : महोदय, मैं पिछड़े समाज के, पिछड़े वर्ग के विकास क्रम में इसी_कड़ी में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आज यह जो विधेयक आया है, इस विधेयक के लिए हम सब बहुत खुशहाल हैं। आज जैसे ही हम लोगों ने ज्ञापन सौंप कर माननीय प्रधान मंत्री जी से गुहार लगायी, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने, नेताओं ने, जैसे ही उनसे कहा, पूरे देश में खुशी का माहौल छा गया। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)... Please conclude. *...(Interruptions)...*

श्री जयप्रकाश निषाद: हर पिछड़े वर्ग समुदाय के लोगों को यह महसूस हुआ कि अब कोई गरीब का बेटा प्रधान मंत्री बन कर आया है और वह पिछड़े वर्गों पर ध्यान देगा। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. *...(Interruptions)...*

श्री जयप्रकाश निषाद: मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पूर्ववर्ती सरकार चल रही थी, उस समय ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I will have to move on. *...(Interruptions)...* I am moving on*....(Interruptions)...*Thank you. *...(Interruptions)...* माननीय श्री रामदास अठावले जी। ...(**व्यवधान**)... I have to move on. *...(Interruptions)...* Thank you. *...(Interruptions)...* माननीय श्री रामदास अठावले जी। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयप्रकाश निषाद: मान्यवर, मैं बताता हूँ कि वे सारी सुविधाएँ ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I have to move on. *...(Interruptions)...* Thank you. *...(Interruptions)...* माननीय श्री रामदास अठावले जी। ...(**व्यवधान**)... माननीय श्री रामदास अठावले जी।...(**व्यवधान**)...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : उपसभाध्यक्ष महोदय:

"आज मेरा बहुत ही आनन्दित है मन,
क्योंकि पास हो रहा है एक सौ सत्ताइसवाँ संशोधन।
अब खुश हो जाएँगे, ओबीसी और एसी, बीसी जन,
वह आ गया है नजदीक क्षण।
जो करती है कांग्रेस और विरोधी दलों पर वार,

वह है मोदी सरकार।
मोदी जी के लिए 2024 में खुल जायेगा सत्ता का द्वार

...(व्यवधान)...

2024 में नरेन्द्र मोदी जी के लिए खुल जायेगा सत्ता का द्वार,
मोदी जी हो जायेंगे प्रधान मंत्री पद पर सवार।
कांग्रेस और विरोधी दल वाले रोज़ बोल रहे हैं - हाय, हाय।
लेकिन नरेन्द्र मोदी जी दे रहे हैं सबको सामाजिक न्याय।
2024 में जनता करेगी आपको बाय-बाय,

...(व्यवधान)...

फिर हम करेंगे कांग्रेस की हाय-हाय।
*आप रोज़ करते रहोगे हाउस में**
...(व्यवधान)...

*अगर आप रोज़ करते रहोगे हाउस में**
...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर **...(व्यवधान)...**

श्री रामदास अठावले : संजय जी, मेरी बात सुनिए। **...(व्यवधान)...** संजय जी, मेरी बात सुनिए। **...(व्यवधान)...**

DR. FAUZIA KHAN: Sir, he is.....*(Interruptions)*...

श्रीमती छाया वर्मा: सर **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will examine it. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय सिंह: सर **...(व्यवधान)...**

श्री रामदास अठावले: आप मेरी बात सुनिए। **...(व्यवधान)...**

---

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir,.....*(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will examine it. *...(Interruptions)...* We will examine it. *...(Interruptions)...*

श्री रामदास अठावले : आप क्यों करते हो हाउस में * **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will examine it. *...(Interruptions)...* I have taken note. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* I will examine it. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* Please, he is speaking. *...(Interruptions)...* We will examine it. *...(Interruptions)...* Thank you. *...(Interruptions)...*

श्री रामदास अठावले : भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए। **...(व्यवधान)...** मैंने आपकी बात सुन ली। **...(व्यवधान)...** आपकी बात तो मैंने सुन ली, अब आप मेरी बात सुनिए और मैं जो बोलता हूँ, वह मान लीजिए। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Athawale*ji*, please address the Chair. *...(Interruptions)...*

श्री रामदास अठावले : *"अगर आप रोज करते रहोगे हाउस में**
*तो एक दिन कर देंगे हम आपको**

...(व्यवधान)...

नरेन्द्र मोदी जी से मत लो पंगा।"
...(व्यवधान)...

DR. FAUZIA KHAN: Sir,.....*(Interruptions)...*

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir,.....*(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will examine. *...(Interruptions)...* Point taken. *...(Interruptions)...*

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री रामदास अठावले : "नरेन्द्र मोदी जी से मत लो पंगा।" **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Point taken. *...(Interruptions)...* Athawale*ji*, please conclude. *...(Interruptions)...*

DR. AMEE YAJNIK: Sir, he should leave the House. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, he should*.....(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): मैं अपनी रूलिंग दे रहा हूँ। **...(व्यवधान)...** क्या आप मेरी रूलिंग सुनेंगे? **...(व्यवधान)...** आप मेरी रूलिंग सुनेंगे? **...(व्यवधान)...** माननीय मेम्बर, **...(व्यवधान)...** I am giving*.....(Interruptions)...* Listen to my ruling. *...(Interruptions)...* I am giving my ruling. *...(Interruptions)...* Athawale*ji*. *...(Interruptions)...* One second. *...(Interruptions)...* Athawale*ji,* one second. *...(Interruptions)...* I am giving my ruling. *...(Interruptions)...* Will you listen? *...(Interruptions)...* I am giving my ruling. *...(Interruptions)...* Anything unparliamentary will not go on record, that I will*.....(Interruptions)...* Anything unparliamentary will not go on record. *...(Interruptions)...* Right. *...(Interruptions)...* I have given my ruling. *...(Interruptions)...*Whatever is unparliamentary will be expunged. *...(Interruptions)...* Anything unparliamentary will be expunged. *...(Interruptions)...* It will be, I am giving my ruling. *...(Interruptions)...* I have given my ruling. *...(Interruptions)...*

श्री रामदास अठावले: कृपया शान्त रहिए। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I have given my ruling. *...(Interruptions)...* Yes, whatever is there, I will look into it. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* I have given my ruling. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...*

श्री रामदास अठावले : मैं विरोधी पक्ष से अनुरोध करता हूँ कि **...(व्यवधान)...** संजय जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। **...(व्यवधान)...**

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, he must apologize. *...(Interruptions)...*

DR. AMEE YAJNIK: He should leave the House. ...(Interruptions)

श्री रामदास अठावले: मैं आम आदमी पार्टी का स्वागत करता हूँ। **...(व्यवधान)...** आपने इस बिल के लिए **...(व्यवधान)...** आज आपने इस बिल के लिए **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): It will be.....*(Interruptions)...* Please conclude. *...(Interruptions)...* कम्प्लीट करें। **...(व्यवधान)...**

श्री रामदास अठावले : यह बिल बहुत इम्पॉर्टेंट है। **...(व्यवधान)...** यह 127वाँ संशोधन है। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. *...(Interruptions)...* Sit down please, *...(Interruptions)...* You have completed. *...(Interruptions)...* Thank you, Athawale*ji*. *...(Interruptions)...* माननीय श्री भूपेन्द्र यादव जी। **...(व्यवधान)...** माननीय श्री भूपेन्द्र यादव जी। **...(व्यवधान)...**You have completed. *...(Interruptions)...* Thank you, Athawale*ji*. *...(Interruptions)...* माननीय श्री भूपेन्द्र यादव जी। **...(व्यवधान)...** I have given my ruling. *...(Interruptions)...* I have given my ruling. *...(Interruptions)...* Anything unparliamentary will not go on record. *...(Interruptions)...* Please sit down. Yes, Shri Bhupender Yadav. *...(Interruptions)...* माननीय श्री भूपेन्द्र यादव जी। **...(व्यवधान)...** Please sit down. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* माननीय श्री भूपेन्द्र यादव जी। **...(व्यवधान)...** Please. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* Nothing is going on record. *...(Interruptions)...* Whatever you are saying is not going on record. *...(Interruptions)...*

SHRI RAMDAS ATHAWALE: *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri Bhupender Yadav*ji*. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* I am requesting you to please sit down. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Please go back to your seats. *...(Interruptions)...* Please go back to your seats. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Athawale*ji*, I am directing you to please sit

* Not recorded.

down. ...*(Interruptions)*... I am directing you to please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAMDAS ATHAWALE: *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): माननीय श्री भूपेन्द्र यादव जी। ...**(व्यवधान)**... Athawale*ji,* nothing, whatever you said towards the end goes on record. ...*(Interruptions)*... माननीय श्री भूपेन्द्र यादव जी। ...**(व्यवधान)**...

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): सम्माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज सुबह से सदन में इस संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर सभी दलों में एक सर्वानुमति का वातावरण भी बना है। जब इस चर्चा की शुरुआत हुई थी, तब कांग्रेस की तरफ से डा.अभिषेक मनु सिंघवी जी के द्वारा एक विषय उठाया गया था और उन्होंने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और उसकी जो व्याख्या है, वह गलत है और उन्होंने पार्लियामेंटरी इंटेन्ट को सही तरीके से प्रतिपादित नहीं किया। यह सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो स्प्लिट जजमेंट आया, उसमें दो जजों ने इस संविधान के संशोधन में संसद की भावना को स्वीकार करते हुए कहा "We, thus, hold that Article 342A was brought by Constitution 102nd Amendment to give constitutional status to National Backward Classes Commission and for publication of list by the President of socially and educationally backward classes which was to be Central List for governing employment under Government of India and the organisations under it." निश्चित रूप से हम जो संशोधन लाये थे वह केवल केन्द्रीय सूची के संबंध में था और इंदिरा साहनी का जब जजमेंट आया था, तब इंदिरा साहनी के जजमेंट में कहा गया था, क्योंकि देश में एक ऐसी परिस्थिति बनी थी कि काका कालेलकर कमीशन के बाद मंडल आयोग आया और मंडल आयोग आने के बाद इस पूरे लंबे शासनकाल में जो कांग्रेस का लंबा शासनकाल रहा, उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि जो socially और educationally backward classes हैं उनके इन्क्लूज़न के लिए कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन हो सके और इसके लिए केन्द्र और सभी राज्यों में Backward Classes Commission बनाया गया। लेकिन जब Backward Classes Commission भी बनाया गया तो लगातार ओ.बी.सी. के सांसदों के द्वारा यह मांग की गई कि Backward Classes Commission तो बनायें पर कमीशन के पास यह पावर होनी चाहिए कि वह कोई भी सरकारी संस्थान, पीएसयूज़ या सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में कम से कम इतनी पावर तो रखें कि वह विषयों को प्राप्त कर सके और विषयों का संज्ञान ले सकें और एक तरीके से quasi-judicial authority, constitutional authority होनी चाहिए और उस constitutional authority को बनाने के लिए हमने संविधान का संशोधन करके socially और educationally Backward Classes कमीशन को Constitutional Status दिया।

* Not recorded.

लंबे समय से ओ.बी.सी. का जो आरक्षण था, उसको लागू न करके जिन्होंने गलती की थी, उन्होंने तो बड़ी गलती की ही थी, लेकिन सन् 1990 में जब यह ओ.बी.सी. का निर्णय लागू भी हुआ, उसके बाद जब वर्ष 1993 में कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से इसे लटकाकर रखा। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने क्रीमी लेयर के नाम पर दो बार, वर्ष 1993 में और उसके बाद वर्ष 2004 में हमारा शासन जाने के बाद, दोनों बार क्रीमी लेयर के संबंध में जो घोषणाएं लेकर आए, उनके कारण सबसे ज्यादा देश में अगर suffer किया, तो ओ.बी.सी. समाज ने किया। मैं यह तथ्य के साथ कहना चाहता हूं कि जब 1993 में कोर्ट ने जजमेंट दिया, तब आपके वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बहुत जल्दबाजी में क्रीमी लेयर को लागू किया और उन मिनट्स के अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो आश्चर्य होगा, जो कि 05.09.1993 का नोट है! डिपार्टमेंट का नोट, किसी ने आर.टी.आई. में लिया और मुझे दिया। उसमें ऐसा लिखा है, "The issue was discussed by the Welfare Minister with the Secretary, Welfare and me today, on 5th September, 1993. He mentioned that the issue was figured at the meeting of High-Powered Committee constituted by the Congress President.... while by and large endorsing the recommendation of the Expert Committee." मतलब यह कि जो एक्सपर्ट कमेटी 1993 में भी बनी थी, उसमें आपके अध्यक्ष ने interfere करके न केवल creamy layer को उलझाने का काम किया, बल्कि उसके बाद भी आपने creamy layer को उलझाया। जब सन् 2000 में अटल जी सरकार थी, तब Ministry of Personnel से 26 अप्रैल, 2002 को एक लैटर इश्यू हुआ। उसमें हमने पहली बार यह क्लीयर किया कि accordingly, the employees in Government Departments, Public Sector Undertakings, Banks, Insurance Organizations and Universities, etc, will not fall under the category of 'Creamy Layer' unless income from other sources alone (without clubbing the income from salaries or agricultural land... 1993 में भी यह रिज़र्वेशन लागू होने के बाद काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई और लागू भी हो गई, तो उसको किस तरीके से ओएम के द्वारा लटकाया जाए - यह काम कॉंग्रेस पार्टी ने किया, जिसके लिए उनको कम से कम खेद व्यक्त करना चाहिए। हमने 2002 में इस विषय को क्लीयर किया। 2002 में यह विषय क्लीयर करने के बाद फिर देश में सबसे ज्यादा जिनको सफर करना पड़ा है, मैं रिकॉर्ड पर रखता हूँ, मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा, अक्टूबर, 2004 में आपने पूरा equivalence का विषय लाकर ओबीसी के सारे बच्चों को लटकाने का काम किया। आपने हमेशा लटकाने का काम किया। उसको भी, यानी equivalence को 2017 में हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया। राम गोपाल जी कह रहे थे, लिस्ट गिना रहे थे कि इतने प्रोफेसर भर्ती नहीं हुए। राम गोपाल जी, प्रोफेसर कहाँ से भर्ती होते, यह roster system तो इधर से लागू किया गया था, जिनको आपने समर्थन दिया था। आपने इनकी सरकार चलवाई थी। उसके लिए अगर Central educational institutions में रिज़र्वेशन लाकर उसको न्याय देने का काम किया, तो यह मोदी जी की सरकार ने किया। राम गोपाल जी, मैं एक विषय कहना चाहता हूँ, आप बड़े सम्माननीय हैं, हम जानते हैं कि आप कई बार विषयों को बहुत सोच-समझ कर कहते हैं, पर आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने इस सदन में जो कहा कि यह सरकार गुर्जरों, यादवों, कुर्मियों का रिज़र्वेशन समाप्त कर देगी - यह एकदम गलत है, गलत तथ्यों के आधार पर आधारित है। इस सदन में कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।

प्रो. राम गोपाल यादव : श्रीमन्, माननीय मंत्री भूपेन्द्र यादव जी ने हमारी यह बात कही, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप या Central Government कोई आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है, बल्कि मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जब नई सूची बनाएगी, तब वह इन जातियों को उससे निकाल देगी। उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि इन जातियों को उससे निकाल दिया जाएगा। I am not talking about Central Government at all.

श्री भूपेन्द्र यादव : राम गोपाल जी, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि हम इस सदन में चर्चा के आधार पर कोई बात नहीं कह सकते। इस देश का संविधान किसी को यह अधिकार नहीं देता है। जब हमने inclusion और exclusion की सीधी-सीधी power Commission को दी है, तो यह किसी सरकार का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय का विषय है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

हमारी पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं आज रिकॉर्ड पर यह कहना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनसंघ का पहला अधिवेशन 21 अक्टूबर, 1951 को हुआ था, उसमें हमने लिखा था, "जनसंघ का सिद्धांत होगा सबके लिए समान अवसर, पिछड़े हुए लोगों को आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराना।" यह हमारी 1951 की घोषणा है।...**(व्यवधान)**... इसके बाद 1968 के इंदौर के resolution को देखिए।...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please. *...(Interruptions)...*

श्री भूपेन्द्र यादव : भारतीय जनता पार्टी ने भी 1966 में अपने घोषणा पत्र में दोहराया था, "भाजपा आरक्षण के माध्यम से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, दोनों को ही सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो हम 1951 में थे, वही हम 2021 में हैं। हम उन्हीं लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please. *...(Interruptions)...*

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड) : जब मंडल कमीशन लागू हुआ था,...**(व्यवधान)**... तब क्या हुआ था?...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): The Minister is not yielding. *...(Interruptions)...* माननीय टम्टा जी...**(व्यवधान)**... The Minister is not yielding. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* The Minister is not yielding. *...(Interruptions)...* माननीय टम्टा जी, the Minister is not yielding. *...(Interruptions)...* It will not go on record. *...(Interruptions)...* Hon. Minister, please continue. *...(Interruptions)...* माननीय टम्टा जी, please. The Minister is not yielding. आपकी बात

रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)... आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री जी।

श्री प्रदीप टम्टा : *

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी का विचार रख रहा हूँ। मैंने अपनी पार्टी के 1951, 1968, 1996 के resolutions रखे हैं। काँग्रेस के नेता खड़े हों, तो अपना 1950 से 1990 तक का resolution बता दें। पता लग जाएगा कि काँग्रेस सामाजिक न्याय में कहाँ साथ थी और हम सामाजिक न्याय में कहाँ थे। ...(**व्यवधान**)... मैं चाहता हूँ कि यह डिबेट होनी चाहिए, देश में पता होना चाहिए कि सामाजिक न्याय की बात असल में किसने की है? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please, माननीय टम्टा जी, it's not going on record. *...(Interruptions)...* Only the Minister's statement is going on record. *...(Interruptions)...* The Minister is not yielding. *...(Interruptions)...* माननीय टम्टा जी, the Minister is not yielding. *...(Interruptions)...* माननीय मंत्री जी, please continue. *...(Interruptions)...* माननीय टम्टा जी, please, it's not going on record.

श्री प्रदीप टम्टा: *

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन में सुबह से एक लंबी चर्चा हुई है ...(**व्यवधान**)... और लंबी चर्चा होने के बाद कुछ विषयों के बारे में इस प्रकार से कहा गया है, ...(**व्यवधान**)... जैसे एक विषय सुबह अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि हम यह जो constitutional amendment लेकर आए हैं, अपने आप में अधूरा रहेगा, क्योंकि बीच के तीन साल, 2018 से 2021 का क्या होगा? मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, जो कि majority judgment भी था, उस majority judgment ने भी लिखा था - "Till the publication of notification mentioned in direction 6, the existing list operation in all States and Union Territories and for the purpose of the Central Government and Central institutions continue to operate." This direction is issued under Article 142 of the Constitution of India. यह अपने आप में स्पष्ट है कि अगर 2018 से 2021 तक भी लागू रही, तो लागू ही रहेगी, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 142 में दिया गया आदेश है। जब हम इस बिल को लेकर आए, जब हमने Constitution को amend करके यह राष्ट्रीय आयोग बनाया, तब हमारा purpose सीधा-सीधा यह था कि निश्चित रूप से, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें चिन्हित करके न्याय मिले। यहाँ पर जो प्रतिपक्ष के

* Not recorded.

नेता हैं, जो लंबे समय से वोट बैंक की राजनीति भी करते रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि OBC reservation to the class है। क्लास में दोनों चीज़ें आती हैं, it belongs to the occupation as well as the caste also. हिन्दू समाज के पास रिजर्वेशन कास्ट के बेस पर है, लेकिन minority और muslims में रिजर्वेशन because of occupation है, इसलिए जुलाहा को रिजर्वेशन है, इसलिए रंगरेज को रिजर्वेशन है, इसलिए सुनार को रिजर्वेशन है, इसलिए मनिहार को रिजर्वेशन है, इसलिए कुरैशी को रिजर्वेशन है, इसलिए तरखान को रिजर्वेशन है, लेकिन आप उन्हें समझाना ही नहीं चाहते हैं। आपको तो उन्हें केवल एक कुएं में रखकर पसमांदा समाज को भी डुबो देना है। चूँकि हमारी राजनीति 'सबका साथ, सबका विकास' की है, हमारी राजनीति बिना किसी भेदभाव के है, हमारी राजनीति उन्हें एक सामाजिक स्टेटस देने की है, ...(**व्यवधान**)... इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने अपने पूरे शासन के संकल्प में यह कहा कि हम अपने शासन के माध्यम से सामाज में परिवर्तन करना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please be silent.

श्री भूपेन्द्र यादव : इस सरकार की कोई भी योजना रही हो, गरीबों को 'उज्ज्वला' पहुंचाने से लेकर हर गाँव तक बिजली पहुंचाने तक, इस देश की कोई भी योजना रही हो, वह last mile तक रही है। ...(**व्यवधान**)... सर, last mile का अर्थ क्या होता है, कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर हैं, वे शहरों में रहते हैं, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिले। मोदी जी ने सेंट्रल स्कूल्स में, जहाँ हर साल 14 लाख बच्चों का एडमिशन होता है, वहाँ ओबीसी रिजर्वेशन देकर हर साल चार लाख गाँवों और दूर-दराज क्षेत्रों के बच्चों को रिजर्वेशन का फायदा पहुंचाया है। आठ साल में 32 लाख बच्चे, करोड़ों परिवारों को aspirational भारत बनाने की शिक्षा का मुकाम देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं, हम लोग टेक्निकल शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परिवर्तन लेकर आए हैं, उनमें हमने इन्हें रिजर्वेशन देने का काम किया है। महोदय, लंबे समय से पीएसयू के कर्मचारियों के बच्चों को equivalence के कारण अवसर नहीं मिलता था, हमारी सरकार ने उसे करने का काम किया है, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो आरक्षण है, यह स्टेट का affirmative action है। स्टेट के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं निश्चित रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। उनको बराबरी का हक़ मिलना चाहिए, उनके बच्चों के लिए अवसर होने चाहिए, उनके सामाजिक उत्थान के सारे संकल्प पूरे होने चाहिए और उस संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए, अपनी इंटेशन लेकर जिस प्रकार से हम आगे बढ़े थे, उसमें हम ओबीसी का कमीशन लाए थे। हमने कमिटी के सामने भी वही कहा, हमने कोर्ट के सामने भी वही कहा और कोर्ट का निर्णय आने के बाद आज हम पुनः अपनी प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं कि देश में सामाजिक न्याय देकर हम 'सबका साथ, सबका विकास' की संकल्पना को पूरा करेंगे। सब लोग सर्वानुमति के साथ जो इस बिल को समर्थन दे रहे हैं, यह भारत के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के परिवर्तन का जो संकल्प किया गया है, उसको आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से मददगार होगा, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय एलओपी, श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI (NOMINATED): Sir, my great grandfather, Chhatrapati Shahu Ji Maharaj had given first reservation in India in Kolhapur State for SCs, STs and OBCs. Do I not deserve two minutes to speak, Sir?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Your request was brought here. It has been given to hon. Chairman; the Chairman has not allowed it.

SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI: Sir, it is unjustifiable. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I cannot allow it till the hon. Chairman allows it. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र) : सर, ये शिवाजी महाराज के वंशज हैं, इनको बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am putting it on record. ...*(Interruptions)*... Listen to me, listen to me. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय राउत : सर, इनको बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**..

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : संजय जी, आप मेरी बात सुनें। ...**(व्यवधान)**... I am allowing him. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय राउत : सर, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : संजय जी, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत : सर, इनको बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : संजय जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**...आप जो कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... I am not disputing you. मैं यह कह रहा हूँ कि चूंकि माननीय चेयरमैन ने allow नहीं किया है, फिर भी, feeling that there are Members who would like to listen to him, I am allowing him two minutes to speak. Please be brief; just two minutes. It was not allowed, still I allow you.

SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI: Sir, I will take only two minutes. I sincerely thank the Government that they have taken the necessary steps to restore the powers of States by bringing a suitable Amendment. I remember with pride, it was my great grandfather, Chhatrapati Shahu Ji Maharaj who gave the first reservation in India in Kolhapur State. He had given 50 per cent reservation for SCs, STs and OBCs. It was imbibed by Dr. Baba Saheb Ambedkar in the Constitution. Sir, I will be to the point, Sir. While I welcome the move for restoring the powers back to the States, the path ahead for granting reservations to Marathas and to various communities that are categorized as SEBCs is not easy and it is a very tough path. A few concerns come to my mind. For example, if the State declares the Maratha or any other community as SEBC, but, at the same time, the 50 per cent quota is already consumed by the State, then what will happen? According to the Indra Sawhney judgement, you cannot exceed above 50 per cent, unless the State has an extraordinary situation like for far-flung corners and the remote areas. Sir, I have two suggestions, if we have to solve this problem. The first is under exceptional conditions and circumstances, the State shall refer the classification done to the Central Government to increase the limit of 50 per cent so that it can be enjoyed by SEBC class at large across India. My second and very important suggestion is, which I will finish in just ten seconds, as certain States may not have far-flung and remote areas, that is considered as an extraordinary situation in Indra Sawhney judgement to cross 50 per cent, yet some of the population may be left out of the mainstream because of exceptional reasons, the State should be allowed to consider this criteria as extraordinary. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी के अन्य नेता बोल चुके हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही बढ़िया बिल है और इससे इस देश के कम से कम 65 परसेंट लोगों को लाभ मिलने की हम अपेक्षा करते हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बिल पर चर्चा कम हो गई, यादव जी हमेशा बड़ी खामोशी के साथ, शांत रीति से बात करते हैं, लेकिन उनका अटैक सिर्फ काँग्रेस पार्टी पर रहता है कि आपने क्या किया, हमने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया - वे केवल इस पर ही बात करते हैं। मैंने कल भी उनका भाषण बहुत गम्भीरता से सुना, जो निचले सदन में वे कह रहे थे। वे defense में आ गए। मैं समझता हूं कि प्रचार के लिए शायद भूपेन्द्र यादव जी और धर्मेंद्र प्रधान जी - क्योंकि यू.पी., पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के इलैक्शन आ रहे हैं, शायद इसीलिए इनको आगे करके कहा जाता है कि काँग्रेस को जितनी हो सकें, उतनी गालियां दो और

उनके खिलाफ बोलते रहो। इसीलिए * मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 60-70 साल से ...(**व्यवधान**)...

श्री पीयूष गोयल : माननीय सदस्यों के लिए * इस तरह के शब्द यूज़ मत कीजिए। मेम्बर्स की भी थोड़ी इज्ज़त कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : ठीक है, अगर गलत है तो कार्यवाही से निकाल दीजिए। मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं जब पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में चेयरमैन था, तो यादव साहब आते थे। हम वहां पर किस ढंग से समिति को चलाते थे, उनको मालूम है। मुझे दूसरों के certificates की ज़रूरत नहीं है, शायद वे सर्टिफिकेट देंगे। मैं यही चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लास का एक moment सिर्फ एक स्टेट में नहीं चला। अभी देवेगौड़ा जी ने कहा कि उनके पास है - हमारे एरिया में नहीं है, उनके एरिया में है। 8 जिलों में मिल्लर कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर मैसूर के महाराजा ने रिज़र्वेशन दिया। Mysore Maharaja had given reservation based on Miller Commission and that was implemented in the Madras Presidency, mostly Karnataka, South Karnataka, Madras area and other Provinces and not in my State, that is, Hyderabad State. वहां पर तो रिज़र्वेशन का सवाल ही नहीं आता था। उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको implement करना चाहते हैं, तो एक तो 50 परसेंट कैप आपको निकालना होगा। इंदिरा साहनी केस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए आप कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग चाहते थे, जहां commitment था या commitment है, उन लोगों में, उन स्टेट्स में implement किया, लेकिन जिस जगह commitment नहीं होता, उनको कभी जबरन कराना पड़ता है। इसीलिए कानून की आवश्यकता होती है। हम यही कह रहे हैं कि इसमें एक प्रावधान कर दीजिए कि 50 परसेंट के ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अगर आपने यह किया तो कोई बाधा नहीं आएगी। नहीं तो कोई मराठा रिज़र्वेशन पूछेगा, कोई रेड्डी रिज़र्वेशन पूछेगा, कोई लिंगायत रिज़र्वेशन पूछेगा, फिर आप कहेंगे कि यादवों को संख्या के बल पर पूरा ही दो। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यह मेरा संशय है। मैंने बहुत से सर्कुलर्स देखे हैं, बहुत सारी बातें सुनी हैं, सेमिनार्स आदि देखे हैं और मैं बचपन से ही सभी के भाषण सुनता था। जब मैं कक्षा 9-10 में पढ़ता था, तब से सुनता आ रहा हूं। जब लोहिया जी गुलबर्गा आते थे, हैदराबाद में चौखम्भा पेपर चलता था, जिसे बद्रीविशाल पित्ती जी चलाते थे, वे कभी-कभी गुलबर्गा से गुज़रते थे। अगर 10 लोग होते थे, तो भी टेबल पर बैठकर भाषण करते थे। इंडिया की इकोनॉमी की क्या स्थिति है, सोशल स्टेटस क्या है या सामाजिक न्याय की क्या स्थिति है, हम सभी यह सुनते आए हैं, हमें इसके बारे में शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। आपसे मेरी एक ही विनती है कि अगर आप दिल से चाहते हैं, आपके मोदी जी अगर दिल से चाहते हैं, जैसे कि अभी हमारे बिहार के मोदी जी ने भी कहा - भाई, इसमें क्या जाने वाला है - आप इसमें एक sentence जोड़ दीजिए कि स्टेट्स 50 परसेंट से ज्यादा रिज़र्वेशन दे सकते हैं।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

5.00 P.M.

अगर आप इतना कर देते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि आप पब्लिक सेक्टर्स को एक के बाद एक करके खत्म कर रहे हैं, not only insurance, उसमें बैंक्स हैं, रेलवे है और बाकी भी हैं। फिर आप उठकर बोलेंगे कि आप ही 1991 में लाए। मुझे मालूम है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि जब न्याय की आवश्यकता होती है, जब जस्टिस देना होता है, तब क्या आप जस्टिस नहीं करेंगे! आप पूरा denationalize कर रहे हैं, दो बेचने वाले हैं और दो खरीदने वाले हैं। आप समझ रहे हैं, जो बेच रहे हैं और जो खरीद रहे हैं, चारों एक ही स्टेट के हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : ऑनरेबल एलओपी...(**व्यवधान**)...माननीय खरगे जी ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मेरा एक निवेदन यह है कि आप प्राइवेट सेक्टर में रिज़र्वेशन की तैयारी कीजिए। शेड्यूल्ड कास्ट्स, बैकवर्ड या economically backwards को आपने 10 परसेंट रिज़र्वेशन दिया है, इसलिए आज यह करना जरूरी है। पहले बहुत पब्लिक सैक्टर्स थे। रेलवेज़ से लेकर सभी जगह पर लाखों employment मिलते थे आज नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर को रिज़र्वेशन के अंदर लाना जरूरी है। इसके लिए हम आपका साथ देंगे। जैसे आज ओ.बी.सी. बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, unanimously कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, वैसे ही हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। आप ज़रा मोदी जी से कहिएगा कि केवल इतना करना है। दूसरा, मैं backlog vacancies के बारे में कहना चाहता हूं। जितनी भी backlog vacancies हैं, उनको fill up कर दीजिए। आप भी बोले, फिर हमारे राम गोपाल यादव जी ने आंकड़े दिए, हो सकता है कि universities में हैं, लेकिन बहुत-सी non-gazatted posts खाली हैं। जितनी भी backlog vacancies हैं, उनको fill up कीजिए।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय खरगे जी, आपको कन्क्लूड करना पड़ेगा।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, मैं कन्क्लूड करता हूं। अब हमारे यादव जी, प्रधान जी ने बहुत बातें बोली हैं, कम-से-कम उनको दो-चार सलाह देनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के कल्याण कार्यक्रम या जो भी वेलफेयर स्कीम्स आती हैं, हर जगह कहीं न कहीं उसमें रुकावट आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसको implement करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए एक commitment होना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। 'मैंने किया, मैंने किया' करना छोड़ दीजिए, फिर आप बाद में बोलेंगे कि आज़ादी भी हमने ही दिलाई है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में यही कहूंगा कि यह लोगों के कल्याण का बिल है और इसको implement करना जरूरी है। इसके लिए आपको जो भी व्यवस्था करनी है, वह कीजिए। मैं एक शेर कहना चाहूंगा।

"मंज़िल बहुत दूर है,
रास्ता बड़ा कठिन है,
फिर भी हमें पहुंचना है।
दिल मिले या न मिले,
कम-से-कम हाथ मिलाते चलना है।"

श्री भूपेन्द्र यादव : सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। खरगे जी, हमारे सम्माननीय विपक्ष के नेता हैं। मैं उन्हें यह कहना चाहूंगा कि जब अभिषेक जी बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई।" अब आपने लम्हा-लम्हा करके जो ख़ता की थी और 70 साल से हमने जो झेला है, कम-से-कम उसके बारे में आपको बताएंगे कि ओ.बी.सी. समाज ने क्या झेला है और कितने लंबे समय तक झेला है। दूसरे विषय के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि कम-से-कम यह सरकार ओ.बी.सी. की योजनाओं को implement करने के लिए एक constitutional mechanism लेकर आई है, उसका आपको स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद।

डा. वीरेंद्र कुमारः उपसभाध्यक्ष महोदय, आज के इस संविधान संशोधन विधेयक पर पूरे सदन ने जिस तरह से एकमत हो कर समर्थन किया है, उसके लिए मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे दल अलग-अलग हो सकते हैं, हमारी विचारधाराएं भी अलग-अलग हो सकती हैं, हमारी प्रतिबद्धता भी अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इन सबके बावजूद भी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि पिछले पूरे सत्र में अनेक दिनों से व्यवधान के चलते हुए भी आज जब ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने के लिए बिल सदन में लाया गया और इस सदन के सभी सदस्यों ने अपनी प्रतिबद्धताओं के हिसाब से अपने-अपने दल की विचारधाराओं की बातें यहां पर रखीं, लेकिन बिल का जिस तरह से समर्थन किया गया है, वह वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है। यह एक ऐतिहासिक दिन है। मैंने सभी माननीय सदस्यों को सुना। विचारों के प्रवाह के समय कहीं माधुर्य भी होता है, कहीं कटुता भी आती है। पिछले संविधान संशोधन 102 का उल्लेख किया गया। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार के द्वारा ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए जिस तरह से कदम उठाए गए, मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, आदरणीय भूपेन्द्र यादव जी को, हमारे अन्य साथियों को और हमारे विपक्ष के साथियों को भी सुन रहा था। धर्मेंद्र जी ने सूक्ष्मता से और भूपेन्द्र यादव जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से लेकर आज तक उसमें हमारी प्रतिबद्धता और हमारे द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, बहुत अच्छे ढंग से सारी बातों को यहां पर रखा। हमारे विपक्ष के साथियों ने भी अपनी बातें रखीं और इसके साथ ही साथ कुछ बिंदु सामूहिक रूप से निकलकर आए, चाहे 50 परसेंट आरक्षण की बात हो या जातिगत आरक्षण की बात हो या जातिगत जनगणना की बात हो या क्रीमी लेयर की बात हो। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह शुरुआत होती है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो मराठा समुदाय को आरक्षण दिया गया और उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसके संबंध

में हमारी सरकार ने समय-समय पर कदम उठाए हैं। 9 सितम्बर, 2020 को इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का पहला आदेश आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने पर रोक लगा दी और साथ ही मामले को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को सौंप दिया। 5 मई, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा आदेश आया और महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मराठा समुदाय को दिया गया आरक्षण रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में संविधान (102वां संशोधन) अधिनियम 2018 की संविधानात्मक व्यवस्था को भी बरकरार रखते हुए कहा कि यह संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे या संघीय संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पिछड़े वर्गों की पहचान संबंधी कार्य में राष्ट्रपति 338 (बी) के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह से काम करेगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी की श्रेणी में आने वाले किसी भी समुदाय की पहचान करने के अधिकार से सभी राज्यों को वंचित कर दिया, हालांकि आरक्षण की मात्रा, प्रकार आदि को तय करने की राज्यों की शक्ति यथावत रखी। सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग ने 13 मई, 2021 को रिव्यू पिटिशन दायर किया। उसमें सर्वोच्च न्यायालय को उपर्युक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा। विभाग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में राज्यों की ओबीसी सूची के रख-रखाव की शक्तियों का समर्थन किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1 जुलाई, 2021 को रिट पिटिशन को रद्द कर दिया गया था।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अन्य ओबीसी समुदाय को दिए जा रहे आरक्षण को निरस्त नहीं किया। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 105वां संविधान संशोधन विधेयक लाने का निश्चय किया। आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे इस वर्ग के जो बंधु हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए निर्णय लिया। सरकार ने जो मेडिकल कोटे का निर्णय लिया, डेंटल कोटे का निर्णय लिया, उस निर्णय के कारण आज ओबीसी वर्ग के छात्रों के बीच में बहुत उत्साह का, उमंग का वातावरण है। वे इस निर्णय से बड़े प्रसन्न हैं। कल मेरे पास ओबीसी वर्ग के छात्रों का समूह आया था और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार लोक सभा में इस बिल को लेकर आई और वह बिल लोक सभा से पारित हो गया। वे बोले कि अब यह बिल राज्य सभा में जाने वाला है और हमारी ओर से राज्य सभा के सभी राजनीतिक दलों के माननीय नेताओं से, माननीय सदस्यों से इस बात का अनुरोध करना कि ओबीसी के छात्रों को न्याय मिले और राज्य सभा इस बिल को सर्व-सम्मति से पास करे।

जब मैं छात्रों से बात कर रहा था, उस समय छात्रों के मन में यह विश्वास आ रहा था कि अगर नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने यह निर्णय लिया है, तो यह निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। बात केवल मेडिकल कोटे में आरक्षण की नहीं है, बल्कि बाकी योजनाओं की भी है, इसमें चाहे फेलोशिप की बात हो, चाहे विदेश में अध्ययन करने की बात हो, चाहे उनको प्रशिक्षण देकर रोजगार देने की बात हो। हमारा जो यह बिल आया है, इस बिल से राज्य सरकारों को जो सूची बनाने की शक्ति है - उसके कारण से राज्यों को चाहे शिक्षा में, चाहे नौकरियों में, चाहे शासन की जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल सकेगा। आज का नौजवान बहुत आगे की सोचता है, वह बहुत आगे जाकर सोचता है। हमारे कई आदरणीय मित्रों ने इस बात को रखा है। उन्होंने 50 परसेंट आरक्षण की सीमा के संबंध में बात कही है, उसमें से बहुत सारे विचार निकलकर आए हैं। सरकार इस बात को समझती है, लोगों की

भावनाओं को भी समझती है, इसलिए 50 परसेंट आरक्षण की सीमा पर विचार होना चाहिए। विशेष रूप से इसलिए होना चाहिए, क्योंकि 50 परसेंट आरक्षण की सीमा 30 साल पहले लगाई गई थी। इंदिरा साहनी के मामले का हमारे बहुत सारे मित्रों ने उल्लेख किया है।

यहां पर जनगणना की बात कही गई। 2011 में जो जनगणना हुई थी। वह जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा हुई थी। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया, जिसमें जाति संबंधी प्रश्न भी पूछे गए थे, लेकिन यह सर्वे ओबीसी के संबंध में नहीं था। सामाजिक और आर्थिक जनगणना के 2011 में जो आंकड़े आये, वे आंकड़े बहुत ज्यादा जटिलताओं से भरे थे, लेकिन आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार, जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आवास योजना में, उनको उज्ज्वला योजना में, उनको आयुष्मान भारत योजना में लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ी है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, जो आदरणीय भूपेन्द्र यादव जी ने और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने कही हैं। उन्होंने सारे बिंदुओं के बारे में विस्तृत रूप से यहां पर उल्लेख किया है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे एक माननीय सदस्य द्वारा कुछ कहा गया था। जब उन्होंने ओबीसी के बारे में उल्लेख किया था, तो अपने राज्य के पेरियार जी का और ज्योतिबा फुले जी का भी उन्होंने उल्लेख किया था। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार सबके कल्याण के लिए काम करती है। पेरियार जी, ज्योतिबा फुले जी, डा. भीमराव अम्बेडकर जी, डा. राममनोहर लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन सभी की यह सोच थी कि समाज की सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के कल्याण के लिए सोचना होगा। जब तक वह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से विकास की दौड़ में आगे नहीं आता, तब तक हमारा विकास अधूरा है। हमारे इन महापुरुषों के द्वारा जिस लक्ष्य को निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पर देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा यह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, मैं आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पास किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I shall now put the motion for consideration of the Bill to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok sabha, be taken into consideration."

The House divided

...(Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Division has been called. *...(Interruptions)...* Please stay in your places. *...(Interruptions)...* I will not allow.

I am sorry; I will not allow. *...(Interruptions)...* Division has been called. *..(Interruptions)..* There is a procedure of the rules. *...(Interruptions)...* Let the division be completed. We have already called for the division. *...(Interruptions)...* I am not allowing. As per rules, I cannot allow. *...(Interruptions)...* You know the division has been called. *...(Interruptions)...* I need silence in the Chamber now. Chidambaram*ji,* you have made your point. I cannot allow you at the moment, during the division. But, thereafter, we will see how we can take it up. *...(Interruptions)...* It will come in normal course. *...(Interruptions)...* You know the rules. *...(Interruptions)...*

Ayes : 187
Noes : Nil

Ayes – 187

Abdul Wahab, Shri
Acharya, Shri Prasanna
Agrawal, Dr. Anil
Akbar, Shri M. J.
Alphons, Shri K.J.
Amin, Shri Narhari
Anand Sharma, Shri
Anavadiya, Shri Dineshchandra Jemalbhai
Antony, Shri A.K.
Athawale, Shri Ramdas
Baidya, Shrimati Jharna Das
Bajpai, Dr. Ashok
Bajwa, Shri Partap Singh
Balasubramoniyan, Shri S.R.
Baluni, Shri Anil
Banda Prakash, Dr.
Bansal, Shri Naresh
Bara, Shrimati Ramilaben Becharbhai
Bharathi, Shri R.S.
Bhattacharya, Shri P.
Bhunder, Sardar Balwinder Singh
Biswas, Shri Abir Ranjan
Bora, Shri Ripun
Brijlal, Shri

Brittas, Shri John
Chandrasegharan, Shri N.
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chandrashekhar, Shri G.C.
Chaturvedi, Shrimati Priyanka
Chavan, Shrimati Vandana
Chhatrapati, Shri Sambhaji
Chhetri, Shrimati Shanta
Chidambaram, Shri P.
Dangi, Shri Neeraj
Dasgupta, Shri Swapan
Desai, Shri Anil
Devegowda, Shri H.D.
Dubey, Shri Hardwar
Dubey, Shri Satish Chandra
Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh
Dwivedi, Shrimati Seema
Elango, Shri N.R.
Elangovan, Shri T.K.S.
Ganguly, Shrimati Roopa
Gautam, Shri Dushyant
Geeta alias Chandraprabha, Shrimati
Gehlot, Shri Rajendra
Ghosh, Ms. Arpita
Gohil, Shri Shaktisinh
Goswami, Ms. Indu Bala
Goyal, Shri Piyush
Gupta, Shri Prem Chand
Hanumanthaiah, Dr. L.
Hooda, Shri Deepender Singh
Hussain, Shri Syed Nasir
Islam, Shri Syed Zafar
Jadhav, Dr. Narendra
Jain, Dr. Anil
Jaishankar, Shri S.
Jangra, Shri Ram Chander
Javadekar, Shri Prakash

Jethmalani, Shri Mahesh
Jha, Prof. Manoj Kumar
Kadadi, Shri Iranna
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri
Karad, Dr. Bhagwat
Kardam, Shrimati Kanta
Kareem, Shri Elamaram
Karim, Shri Ahmad Ashfaque
Ketkar, Shri Kumar
Khan, Dr. Fauzia
Khan, Shri Muzibulla
Kharge, Shri Mallikarjun
Koragappa, Shri Narayana
Kumar, Shri Sujeet
Leishemba, Shri Maharaja Sanajaoba
Lokhandwala, Shri Jugalsinh
Mahatme, Dr. Vikas
Malik, Shri Shwait
Mandaviya, Shri Mansukh
Mansingh, Dr. Sonal
Mathur, Shri Om Prakash
Meena, Dr. Kirodi Lal
Modi, Shri Sushil Kumar
Mokariya, Shri Rambhai Harjibhai
Mopidevi, Shri Venkataramana Rao
Muraleedharan, Shri V.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Nagar, Shri Surendra Singh
Nanda, Shri Prashanta
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Narah, Shrimati Ranee
Navaneethakrishnan, Shri A.
Nekkanti, Shri Bhaskar Rao
Netam, Shri Ram Vichar
Netam, Shrimati Phulo Devi
Nirmala Sitharaman, Shrimati

Nishad, Shri Jaiprakash
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
Noor, Shrimati Mausam
O' Brien, Shri Derek
Oraon, Shri Samir
Pandey, Ms. Saroj
Patel, Shri Praful
Patel, Shri Rajmani
Patnaik, Dr. Amar
Pawar, Shri Sharad
Pilli, Shri Subhas Chandra Bose
Poddar, Shri Mahesh
Prabhu, Shri Suresh
Pradhan, Shri Dharmendra
Prakash, Shri Deepak
Puri, Shri Hardeep Singh
Rajbhar, Shri Sakaldeep
Ram Shakal, Shri
Ramamurthy, Shri K.C.
Ramesh, Dr. C.M.
Ramesh, Shri Jairam
Ramji, Shri
Rane, Shri Narayan
Rao, Shri G.V.L. Narasimha
Rathwa, Shri Naranbhai J.
Raut, Shri Sanjay
Ray, Shri Sukhendu Sekhar
Reddy, Shri Ayodhya Rami
Reddy, Shri K.R. Suresh
Reddy, Shri V. Vijayasai
Rupala, Shri Parshottam
Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.
Scindia, Shri Jyotiraditya M.
Selvarasu, Shri Anthiyur P.
Sen, Ms. Dola
Seth, Shri Sanjay
Shanmugam, Shri M.

Shekhar, Shri Neeraj
Shreyams Kumar, Shri M.V.
Shukla, Shri Shiv Pratap
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shri Ajay Pratap
Singh, Shri Akhilesh Prasad
Singh, Shri Arun
Singh, Shri Digvijaya
Singh, Shri Gopal Narayan
Singh, Shri Ram Chandra Prasad
Singh, Shri Rewati Raman
Singh, Shri Sanjay
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Sinha, Shri Rakesh
Sircar, Shri Jawhar
Siva, Shri Tiruchi
Sivadasan, Dr. V.
Solanki, Dr. Sumer Singh
Somaprasad, Shri K.
Soni, Shri Kailash
Soni, Shrimati Ambika
Subhash Chandra, Dr.
Suresh Gopi, Shri
Swamy, Dr. Subramanian
Tamta, Shri Pradeep
Tankha, Shri Vivek K.
Tasa, Shri Kamakhya Prasad
Tendulkar, Shri Vinay Dinu
Thakur, Shri Ram Nath
Thakur, Shri Vivek
Thambidurai, Dr. M.
Tomar, Shri Vijay Pal Singh
Trivedi, Dr. Sudhanshu
Uikey, Shrimati Sampatiya
Vaishnaw, Shri Ashwini
Vasan, Shri G.K.
Vats (Retd.), Lt.Gen. (Dr.) D. P.

Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy
Venkatesh, Shri T.G.
Venugopal, Shri K.C.
Verma, Shri B.L.
Verma, Shri Ramkumar
Verma, Shrimati Chhaya
Vijayakumar, Shri A.
Viswam, Shri Binoy
Wilson, Shri P.
Yadav, Ch. Sukhram Singh
Yadav, Shri B. Lingaiah
Yadav, Shri Bhupender
Yadav, Shri Harnath Singh
Yadav, Shri Ram Gopal
Yajnik, Dr. Amee

Noes- Nil

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. The question is:

"That Clause 2 stands part of the Bill."

The House divided

Ayes : 186
Noes : Nil

Ayes – 186

Abdul Wahab, Shri
Acharya, Shri Prasanna
Agrawal, Dr. Anil
Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K.J.
Amin, Shri Narhari
Anand Sharma, Shri
Anavadiya, Shri Dineshchandra Jemalbhai
Antony, Shri A.K.
Athawale, Shri Ramdas
Baidya, Shrimati Jharna Das
Bajpai, Dr. Ashok
Bajwa, Shri Partap Singh
Balasubramoniyan, Shri S.R.
Baluni, Shri Anil
Banda Prakash, Dr.
Bansal, Shri Naresh
Bara, Shrimati Ramilaben Becharbhai
Bharathi, Shri R.S.
Bhattacharya, Shri P.
Bhunder, Sardar Balwinder Singh
Biswas, Shri Abir Ranjan
Bora, Shri Ripun
Brijlal, Shri
Brittas, Shri John
Chandrasegharan, Shri N.
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chandrashekhar, Shri G.C.
Chaturvedi, Shrimati Priyanka
Chavan, Shrimati Vandana
Chhatrapati, Shri Sambhaji
Chhetri, Shrimati Shanta
Chidambaram, Shri P.
Dangi, Shri Neeraj
Dasgupta, Shri Swapan
Desai, Shri Anil
Devegowda, Shri H.D.
Dubey, Shri Hardwar
Dubey, Shri Satish Chandra
Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh
Dwivedi, Shrimati Seema

Elango, Shri N.R.
Elangovan, Shri T.K.S.
Ganguly, Shrimati Roopa
Gautam, Shri Dushyant
Geeta alias Chandraprabha, Shrimati
Gehlot, Shri Rajendra
Ghosh, Ms. Arpita
Gohil, Shri Shaktisinh
Goswami, Ms. Indu Bala
Goyal, Shri Piyush
Gupta, Shri Prem Chand
Hanumanthaiah, Dr. L.
Hooda, Shri Deepender Singh
Hussain, Shri Syed Nasir
Islam, Shri Syed Zafar
Jadhav, Dr. Narendra
Jain, Dr. Anil
Jaishankar, Shri S.
Jangra, Shri Ram Chander
Javadekar, Shri Prakash
Jethmalani, Shri Mahesh
Jha, Prof. Manoj Kumar
Kadadi, Shri Iranna
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri
Karad, Dr. Bhagwat
Kardam, Shrimati Kanta
Kareem, Shri Elamaram
Karim, Shri Ahmad Ashfaque
Ketkar, Shri Kumar
Khan, Dr. Fauzia
Khan, Shri Muzibulla
Kharge, Shri Mallikarjun
Koragappa, Shri Narayana
Kumar, Shri Sujeet
Leishemba, Shri Maharaja Sanajaoba
Lokhandwala, Shri Jugalsinh

Mahatme, Dr. Vikas
Malik, Shri Shwait
Mandaviya, Shri Mansukh
Mansingh, Dr. Sonal
Mathur, Shri Om Prakash
Meena, Dr. Kirodi Lal
Modi, Shri Sushil Kumar
Mokariya, Shri Rambhai Harjibhai
Mopidevi, Shri Venkataramana Rao
Muraleedharan, Shri V.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Nagar, Shri Surendra Singh
Nanda, Shri Prashanta
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Narah, Shrimati Ranee
Navaneethakrishnan, Shri A.
Nekkanti, Shri Bhaskar Rao
Netam, Shrimati Phulo Devi
Nirmala Sitharaman, Shrimati
Nishad, Shri Jaiprakash
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
Noor, Shrimati Mausam
O' Brien, Shri Derek
Oraon, Shri Samir
Pandey, Ms. Saroj
Patel, Shri Praful
Patel, Shri Rajmani
Patnaik, Dr. Amar
Pawar, Shri Sharad
Pilli, Shri Subhas Chandra Bose
Poddar, Shri Mahesh
Prabhu, Shri Suresh
Pradhan, Shri Dharmendra
Prakash, Shri Deepak
Puri, Shri Hardeep Singh
Rajbhar, Shri Sakaldeep
Ram Shakal, Shri

Ramamurthy, Shri K.C.
Ramesh, Dr. C.M.
Ramesh, Shri Jairam
Ramji, Shri
Rane, Shri Narayan
Rao, Shri G.V.L. Narasimha
Rathwa, Shri Naranbhai J.
Raut, Shri Sanjay
Ray, Shri Sukhendu Sekhar
Reddy, Shri Ayodhya Rami
Reddy, Shri K.R. Suresh
Reddy, Shri V. Vijayasai
Rupala, Shri Parshottam
Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.
Scindia, Shri Jyotiraditya M.
Selvarasu, Shri Anthiyur P.
Sen, Ms. Dola
Seth, Shri Sanjay
Shanmugam, Shri M.
Shekhar, Shri Neeraj
Shreyams Kumar, Shri M.V.
Shukla, Shri Shiv Pratap
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shri Ajay Pratap
Singh, Shri Akhilesh Prasad
Singh, Shri Arun
Singh, Shri Digvijaya
Singh, Shri Gopal Narayan
Singh, Shri Ram Chandra Prasad
Singh, Shri Rewati Raman
Singh, Shri Sanjay
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Sinha, Shri Rakesh
Sircar, Shri Jawhar
Siva, Shri Tiruchi
Sivadasan, Dr. V.
Solanki, Dr. Sumer Singh

Somaprasad, Shri K.
Soni, Shri Kailash
Soni, Shrimati Ambika
Subhash Chandra, Dr.
Suresh Gopi, Shri
Swamy, Dr. Subramanian
Tamta, Shri Pradeep
Tankha, Shri Vivek K.
Tasa, Shri Kamakhya Prasad
Tendulkar, Shri Vinay Dinu
Thakur, Shri Ram Nath
Thakur, Shri Vivek
Thambidurai, Dr. M.
Tomar, Shri Vijay Pal Singh
Trivedi, Dr. Sudhanshu
Uikey, Shrimati Sampatiya
Vaishnaw, Shri Ashwini
Vasan, Shri G.K.
Vats (Retd.), Lt.Gen. (Dr.) D. P.
Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy
Venkatesh, Shri T.G.
Venugopal, Shri K.C.
Verma, Shri B.L.
Verma, Shri Ramkumar
Verma, Shrimati Chhaya
Vijayakumar, Shri A.
Viswam, Shri Binoy
Wilson, Shri P.
Yadav, Ch. Sukhram Singh
Yadav, Shri B. Lingaiah
Yadav, Shri Bhupender
Yadav, Shri Harnath Singh
Yadav, Shri Ram Gopal
Yajnik, Dr. Amee

Noes- Nil

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 2 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): In Clause 3, there are four Amendments; Amendment (No.1) by Shri Syed Nasir Hussain and Shrimati Chhaya Verma; Amendment (No.2) by Shri Vishambhar Prasad Nishad and Ch. Sukhram Singh Yadav; Amendment (No.3) by Shri Sambhaji Chhatrapati; and Amendment (No.4) by Shri Sanjay Raut and Shri Anil Desai.

Now, Amendment (No.1) by Shri Syed Nasir Hussain and Shrimati Chhaya Verma. Are you moving the Amendment?

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Yes, Sir, I am moving the Amendment.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं एक मिनट के लिए कुछ बोलना चाहती हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Either of you can take a minute.

श्रीमती छाया वर्मा : सर, मैं यह संशोधन चाहती हूं कि सभी राज्यों को 50 परसेन्ट से अधिक आरक्षण की छूट मिले।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Are you moving the Amendment?

CLAUSE 3 - AMENDMENT OF ARTICLE 342A

श्रीमती छाया वर्मा: महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:-

(1) कि पृष्ठ 2, पंक्ति 21 **के पश्चात्** निम्नलिखित परंतुक को **अंत:स्थापित** किया जाए, अर्थात्:-

"परंतु यह कि प्रत्येक राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र भी संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा तैयार की गई और अनुरक्षित की जाने वाली सूची में अंतर्विष्ट वर्गों को प्रदान किए जाने वाले आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण कर सकेंगे, जिसके कारण आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक हो सकता है।"

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Amendment (No.2) by Shri Vishambhar Prasad Nishad and Ch. Sukhram Singh Yadav. Are you moving the Amendment?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, जिस तरह से ओबीसी का यह बिल आया है, हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि पूरे देश में स्टेटवाइज़ जातियों में विसंगतियां हैं - जिस तरह से पिछड़े वर्गों में हैं, उसी तरह से अनुसूचित जातियों में हैं। हम लोग मझवार, बेलदार, तुरेहा, खरवार, शिल्पकार, तरमाली, गोंड आदि 17 पिछड़ी जातियों को परिभाषित करने की मांग करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Okay, we have to move on. Are you moving the Amendment?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

(2) कि पृष्ठ 2, पंक्ति 10 के **पश्चात्,** निम्नलिखित परंतुक **अंत:स्थापित** किया जाए, अर्थात:-

"परंतु यह कि राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त राज्य की विधान सभा या विधान मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र द्वारा इससे संबंधित कोई संकल्प स्वीकृत नहीं कर लिया जाता और उसे केंद्रीय सरकार को अग्रेषित नहीं कर दिया जाता।"

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Amendment (No.3) by Shri Sambhaji Chhatrapati. Are you moving the Amendment?

SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI : Sir, I am not moving the Amendment. I am supporting the Bill also. Without insisting on the division of votes, I still submit that the States may refer to the Central Government to increase 50 per cent limit under exceptional circumstances and that far-flung and remote areas should not be the only criterion for such an increase in limit. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, Amendment (No.4) by Shri Sanjay Raut and Shri Anil Desai. Are you moving the Amendment?

SHRI ANIL DESAI (Maharasthra): Sir, our Amendment is regarding awarding the State Government the power to increase reservation beyond 50 per cent so that they can identify and specify the castes under the SEBCs.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Are you moving the Amendment?

SHRI ANIL DESAI: Sir, I move:

(4) That at page 2, ***after*** line 17, the following be ***inserted***, namely:-

"*Explanation*. - For the removal of doubts, it is hereby clarified that nothing in this section shall apply for the purpose of determining by a State Government, the percentage of reservation that the State may make for the socially and economically backward classes included in the list prepared and maintained by that State."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I shall now put the Amendment (No.1) by Shri Syed Nasir Hussain and Shrimati Chhaya Verma to vote.

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I shall now put the Amendment (No.2) by Shri Vishambhar Prasad Nishad and Ch. Sukhram Singh Yadav to vote.

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I shall now put the Amendment (No.4) by Shri Sanjay Raut and Shri Anil Desai to vote.

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I shall now put Clause 3 to vote. The question is:

That Clause 3 stand part of the Bill.

The House divided

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA):

Ayes : 187
Noes : NIL

Ayes — 187

Abdul Wahab, Shri
Acharya, Shri Prasanna
Agrawal, Dr. Anil
Akbar, Shri M. J.
Alphons, Shri K.J.
Amin, Shri Narhari
Anand Sharma, Shri
Anavadiya, Shri Dineshchandra Jemalbhai
Antony, Shri A.K.
Athawale, Shri Ramdas
Baidya, Shrimati Jharna Das
Bajpai, Dr. Ashok
Bajwa, Shri Partap Singh
Balasubramoniyan, Shri S.R.
Baluni, Shri Anil
Banda Prakash, Dr.
Bansal, Shri Naresh
Bara, Shrimati Ramilaben Becharbhai
Bharathi, Shri R.S.
Bhattacharya, Shri P.
Bhunder, Sardar Balwinder Singh
Biswas, Shri Abir Ranjan
Bora, Shri Ripun
Brijlal, Shri
Brittas, Shri John
Chandrasegharan, Shri N.
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chandrashekhar, Shri G.C.
Chaturvedi, Shrimati Priyanka
Chavan, Shrimati Vandana
Chhatrapati, Shri Sambhaji
Chhetri, Shrimati Shanta
Chidambaram, Shri P.
Dangi, Shri Neeraj
Dasgupta, Shri Swapan

Desai, Shri Anil
Devegowda, Shri H.D.
Dubey, Shri Hardwar
Dubey, Shri Satish Chandra
Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh
Dwivedi, Shrimati Seema
Elango, Shri N.R.
Elangovan, Shri T.K.S.
Ganguly, Shrimati Roopa
Gautam, Shri Dushyant
Geeta alias Chandraprabha, Shrimati
Gehlot, Shri Rajendra
Ghosh, Ms. Arpita
Gohil, Shri Shaktisinh
Goswami, Ms. Indu Bala
Goyal, Shri Piyush
Gupta, Shri Prem Chand
Hanumanthaiah, Dr. L.
Hooda, Shri Deepender Singh
Hussain, Shri Syed Nasir
Islam, Shri Syed Zafar
Jadhav, Dr. Narendra
Jain, Dr. Anil
Jaishankar, Shri S.
Jangra, Shri Ram Chander
Javadekar, Shri Prakash
Jethmalani, Shri Mahesh
Jha, Prof. Manoj Kumar
Kadadi, Shri Iranna
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri
Karad, Dr. Bhagwat
Kardam, Shrimati Kanta
Kareem, Shri Elamaram
Karim, Shri Ahmad Ashfaque
Ketkar, Shri Kumar
Khan, Dr. Fauzia

Khan, Shri Muzibulla
Kharge, Shri Mallikarjun
Koragappa, Shri Narayana
Kumar, Shri Sujeet
Leishemba, Shri Maharaja Sanajaoba
Lokhandwala, Shri Jugalsinh
Mahatme, Dr. Vikas
Malik, Shri Shwait
Mandaviya, Shri Mansukh
Mansingh, Dr. Sonal
Mathur, Shri Om Prakash
Meena, Dr. Kirodi Lal
Modi, Shri Sushil Kumar
Mokariya, Shri Rambhai Harjibhai
Mopidevi, Shri Venkataramana Rao
Muraleedharan, Shri V.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Nagar, Shri Surendra Singh
Nanda, Shri Prashanta
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Narah, Shrimati Ranee
Navaneethakrishnan, Shri A.
Nekkanti, Shri Bhaskar Rao
Netam, Shri Ram Vichar
Netam, Shrimati Phulo Devi
Nirmala Sitharaman, Shrimati
Nishad, Shri Jaiprakash
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
Noor, Shrimati Mausam
O' Brien, Shri Derek
Oraon, Shri Samir
Pandey, Ms. Saroj
Patel, Shri Praful
Patel, Shri Rajmani
Patnaik, Dr. Amar
Pawar, Shri Sharad
Pilli, Shri Subhas Chandra Bose

Poddar, Shri Mahesh
Prabhu, Shri Suresh
Pradhan, Shri Dharmendra
Prakash, Shri Deepak
Puri, Shri Hardeep Singh
Rajbhar, Shri Sakaldeep
Ram Shakal, Shri
Ramamurthy, Shri K.C.
Ramesh, Dr. C.M.
Ramesh, Shri Jairam
Ramji, Shri
Rane, Shri Narayan
Rao, Shri G.V.L. Narasimha
Rathwa, Shri Naranbhai J.
Raut, Shri Sanjay
Ray, Shri Sukhendu Sekhar
Reddy, Shri Ayodhya Rami
Reddy, Shri K.R. Suresh
Reddy, Shri V. Vijayasai
Rupala, Shri Parshottam
Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.
Scindia, Shri Jyotiraditya M.
Selvarasu, Shri Anthiyur P.
Sen, Ms. Dola
Seth, Shri Sanjay
Shanmugam, Shri M.
Shekhar, Shri Neeraj
Shreyams Kumar, Shri M.V.
Shukla, Shri Shiv Pratap
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shri Ajay Pratap
Singh, Shri Akhilesh Prasad
Singh, Shri Arun
Singh, Shri Digvijaya
Singh, Shri Gopal Narayan
Singh, Shri Ram Chandra Prasad
Singh, Shri Rewati Raman

Singh, Shri Sanjay
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Sinha, Shri Rakesh
Sircar, Shri Jawhar
Siva, Shri Tiruchi
Sivadasan, Dr. V.
Solanki, Dr. Sumer Singh
Somaprasad, Shri K.
Soni, Shri Kailash
Soni, Shrimati Ambika
Subhash Chandra, Dr.
Suresh Gopi, Shri
Swamy, Dr. Subramanian
Tamta, Shri Pradeep
Tankha, Shri Vivek K.
Tasa, Shri Kamakhya Prasad
Tendulkar, Shri Vinay Dinu
Thakur, Shri Ram Nath
Thakur, Shri Vivek
Thambidurai, Dr. M.
Tomar, Shri Vijay Pal Singh
Trivedi, Dr. Sudhanshu
Uikey, Shrimati Sampatiya
Vaishnaw, Shri Ashwini
Vasan, Shri G.K.
Vats (Retd.), Lt.Gen. (Dr.) D. P.
Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy
Venkatesh, Shri T.G.
Venugopal, Shri K.C.
Verma, Shri B.L.
Verma, Shri Ramkumar
Verma, Shrimati Chhaya
Vijayakumar, Shri A.
Viswam, Shri Binoy
Wilson, Shri P.
Yadav, Ch. Sukhram Singh
Yadav, Shri B. Lingaiah

Yadav, Shri Bhupender
Yadav, Shri Harnath Singh
Yadav, Shri Ram Gopal
Yajnik, Dr. Amee

Noes- Nil

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 3 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We shall now take up Clause 4 of the Bill. The question is:

That Clause 4 stands part of the Bill.

The House divided

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA):

Ayes : 187
Noes : Nil

Ayes – 187

Abdul Wahab, Shri
Acharya, Shri Prasanna
Agrawal, Dr. Anil
Akbar, Shri M. J.
Alphons, Shri K.J.
Amin, Shri Narhari
Anand Sharma, Shri
Anavadiya, Shri Dineshchandra Jemalbhai
Antony, Shri A.K.
Athawale, Shri Ramdas
Baidya, Shrimati Jharna Das
Bajpai, Dr. Ashok

Bajwa, Shri Partap Singh
Balasubramoniyan, Shri S.R.
Baluni, Shri Anil
Banda Prakash, Dr.
Bansal, Shri Naresh
Bara, Shrimati Ramilaben Becharbhai
Bharathi, Shri R.S.
Bhattacharya, Shri P.
Bhunder, Sardar Balwinder Singh
Biswas, Shri Abir Ranjan
Bora, Shri Ripun
Brijlal, Shri
Brittas, Shri John
Chandrasegharan, Shri N.
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chandrashekhar, Shri G.C.
Chaturvedi, Shrimati Priyanka
Chavan, Shrimati Vandana
Chhatrapati, Shri Sambhaji
Chhetri, Shrimati Shanta
Chidambaram, Shri P.
Dangi, Shri Neeraj
Dasgupta, Shri Swapan
Desai, Shri Anil
Devegowda, Shri H.D.
Dubey, Shri Hardwar
Dubey, Shri Satish Chandra
Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh
Dwivedi, Shrimati Seema
Elango, Shri N.R.
Elangovan, Shri T.K.S.
Ganguly, Shrimati Roopa
Gautam, Shri Dushyant
Geeta alias Chandraprabha, Shrimati
Gehlot, Shri Rajendra
Ghosh, Ms. Arpita
Gohil, Shri Shaktisinh

Goswami, Ms. Indu Bala
Goyal, Shri Piyush
Gupta, Shri Prem Chand
Hanumanthaiah, Dr. L.
Hooda, Shri Deepender Singh
Hussain, Shri Syed Nasir
Islam, Shri Syed Zafar
Jadhav, Dr. Narendra
Jain, Dr. Anil
Jaishankar, Shri S.
Jangra, Shri Ram Chander
Javadekar, Shri Prakash
Jethmalani, Shri Mahesh
Jha, Prof. Manoj Kumar
Kadadi, Shri Iranna
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri
Karad, Dr. Bhagwat
Kardam, Shrimati Kanta
Kareem, Shri Elamaram
Karim, Shri Ahmad Ashfaque
Ketkar, Shri Kumar
Khan, Dr. Fauzia
Khan, Shri Muzibulla
Kharge, Shri Mallikarjun
Koragappa, Shri Narayana
Kumar, Shri Sujeet
Leishemba, Shri Maharaja Sanajaoba
Lokhandwala, Shri Jugalsinh
Mahatme, Dr. Vikas
Malik, Shri Shwait
Mandaviya, Shri Mansukh
Mansingh, Dr. Sonal
Mathur, Shri Om Prakash
Meena, Dr. Kirodi Lal
Modi, Shri Sushil Kumar
Mokariya, Shri Rambhai Harjibhai

Mopidevi, Shri Venkataramana Rao
Muraleedharan, Shri V.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Nagar, Shri Surendra Singh
Nanda, Shri Prashanta
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Narah, Shrimati Ranee
Navaneethakrishnan, Shri A.
Nekkanti, Shri Bhaskar Rao
Netam, Shri Ram Vichar
Netam, Shrimati Phulo Devi
Nirmala Sitharaman, Shrimati
Nishad, Shri Jaiprakash
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
Noor, Shrimati Mausam
O' Brien, Shri Derek
Oraon, Shri Samir
Pandey, Ms. Saroj
Patel, Shri Praful
Patel, Shri Rajmani
Patnaik, Dr. Amar
Pawar, Shri Sharad
Pilli, Shri Subhas Chandra Bose
Poddar, Shri Mahesh
Prabhu, Shri Suresh
Pradhan, Shri Dharmendra
Prakash, Shri Deepak
Puri, Shri Hardeep Singh
Rajbhar, Shri Sakaldeep
Ram Shakal, Shri
Ramamurthy, Shri K.C.
Ramesh, Dr. C.M.
Ramesh, Shri Jairam
Ramji, Shri
Rane, Shri Narayan
Rao, Shri G.V.L. Narasimha
Rathwa, Shri Naranbhai J.

Raut, Shri Sanjay
Ray, Shri Sukhendu Sekhar
Reddy, Shri Ayodhya Rami
Reddy, Shri K.R. Suresh
Reddy, Shri V. Vijayasai
Rupala, Shri Parshottam
Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.
Scindia, Shri Jyotiraditya M.
Selvarasu, Shri Anthiyur P.
Sen, Ms. Dola
Seth, Shri Sanjay
Shanmugam, Shri M.
Shekhar, Shri Neeraj
Shreyams Kumar, Shri M.V.
Shukla, Shri Shiv Pratap
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shri Ajay Pratap
Singh, Shri Akhilesh Prasad
Singh, Shri Arun
Singh, Shri Digvijaya
Singh, Shri Gopal Narayan
Singh, Shri Ram Chandra Prasad
Singh, Shri Rewati Raman
Singh, Shri Sanjay
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Sinha, Shri Rakesh
Sircar, Shri Jawhar
Siva, Shri Tiruchi
Sivadasan, Dr. V.
Solanki, Dr. Sumer Singh
Somaprasad, Shri K.
Soni, Shri Kailash
Soni, Shrimati Ambika
Subhash Chandra, Dr.
Suresh Gopi, Shri
Swamy, Dr. Subramanian
Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.
Tasa, Shri Kamakhya Prasad
Tendulkar, Shri Vinay Dinu
Thakur, Shri Ram Nath
Thakur, Shri Vivek
Thambidurai, Dr. M.
Tomar, Shri Vijay Pal Singh
Trivedi, Dr. Sudhanshu
Uikey, Shrimati Sampatiya
Vaishnaw, Shri Ashwini
Vasan, Shri G.K.
Vats (Retd.), Lt.Gen. (Dr.) D. P.
Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy
Venkatesh, Shri T.G.
Venugopal, Shri K.C.
Verma, Shri B.L.
Verma, Shri Ramkumar
Verma, Shrimati Chhaya
Vijayakumar, Shri A.
Viswam, Shri Binoy
Wilson, Shri P.
Yadav, Ch. Sukhram Singh
Yadav, Shri B. Lingaiah
Yadav, Shri Bhupender
Yadav, Shri Harnath Singh
Yadav, Shri Ram Gopal
Yajnik, Dr. Amee

Noes- Nil

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 4 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We shall now take up Clause 1, the Enacting Formula and the Title of the Bill. The question is:

That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill.

The House divided

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA):

Ayes: 187
Noes: Nil

Ayes – 187

Abdul Wahab, Shri
Acharya, Shri Prasanna
Agrawal, Dr. Anil
Akbar, Shri M. J.
Alphons, Shri K.J.
Amin, Shri Narhari
Anand Sharma, Shri
Anavadiya, Shri Dineshchandra Jemalbhai
Antony, Shri A.K.
Athawale, Shri Ramdas
Baidya, Shrimati Jharna Das
Bajpai, Dr. Ashok
Bajwa, Shri Partap Singh
Balasubramoniyan, Shri S.R.
Baluni, Shri Anil
Banda Prakash, Dr.
Bansal, Shri Naresh
Bara, Shrimati Ramilaben Becharbhai
Bharathi, Shri R.S.
Bhattacharya, Shri P.
Bhunder, Sardar Balwinder Singh
Biswas, Shri Abir Ranjan
Bora, Shri Ripun
Brijlal, Shri
Brittas, Shri John

Chandrasegharan, Shri N.
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chandrashekhar, Shri G.C.
Chaturvedi, Shrimati Priyanka
Chavan, Shrimati Vandana
Chhatrapati, Shri Sambhaji
Chhetri, Shrimati Shanta
Chidambaram, Shri P.
Dangi, Shri Neeraj
Dasgupta, Shri Swapan
Desai, Shri Anil
Devegowda, Shri H.D.
Dubey, Shri Hardwar
Dubey, Shri Satish Chandra
Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh
Dwivedi, Shrimati Seema
Elango, Shri N.R.
Elangovan, Shri T.K.S.
Ganguly, Shrimati Roopa
Gautam, Shri Dushyant
Geeta alias Chandraprabha, Shrimati
Gehlot, Shri Rajendra
Ghosh, Ms. Arpita
Gohil, Shri Shaktisinh
Goswami, Ms. Indu Bala
Goyal, Shri Piyush
Gupta, Shri Prem Chand
Hanumanthaiah, Dr. L.
Hooda, Shri Deepender Singh
Hussain, Shri Syed Nasir
Islam, Shri Syed Zafar
Jadhav, Dr. Narendra
Jain, Dr. Anil
Jaishankar, Shri S.
Jangra, Shri Ram Chander
Javadekar, Shri Prakash
Jethmalani, Shri Mahesh

Jha, Prof. Manoj Kumar
Kadadi, Shri Iranna
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri
Karad, Dr. Bhagwat
Kardam, Shrimati Kanta
Kareem, Shri Elamaram
Karim, Shri Ahmad Ashfaque
Ketkar, Shri Kumar
Khan, Dr. Fauzia
Khan, Shri Muzibulla
Kharge, Shri Mallikarjun
Koragappa, Shri Narayana
Kumar, Shri Sujeet
Leishemba, Shri Maharaja Sanajaoba
Lokhandwala, Shri Jugalsinh
Mahatme, Dr. Vikas
Malik, Shri Shwait
Mandaviya, Shri Mansukh
Mansingh, Dr. Sonal
Mathur, Shri Om Prakash
Meena, Dr. Kirodi Lal
Modi, Shri Sushil Kumar
Mokariya, Shri Rambhai Harjibhai
Mopidevi, Shri Venkataramana Rao
Muraleedharan, Shri V.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Nagar, Shri Surendra Singh
Nanda, Shri Prashanta
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Narah, Shrimati Ranee
Navaneethakrishnan, Shri A.
Nekkanti, Shri Bhaskar Rao
Netam, Shri Ram Vichar
Netam, Shrimati Phulo Devi
Nirmala Sitharaman, Shrimati
Nishad, Shri Jaiprakash

Nishad, Shri Vishambhar Prasad
Noor, Shrimati Mausam
O' Brien, Shri Derek
Oraon, Shri Samir
Pandey, Ms. Saroj
Patel, Shri Praful
Patel, Shri Rajmani
Patnaik, Dr. Amar
Pawar, Shri Sharad
Pilli, Shri Subhas Chandra Bose
Poddar, Shri Mahesh
Prabhu, Shri Suresh
Pradhan, Shri Dharmendra
Prakash, Shri Deepak
Puri, Shri Hardeep Singh
Rajbhar, Shri Sakaldeep
Ram Shakal, Shri
Ramamurthy, Shri K.C.
Ramesh, Dr. C.M.
Ramesh, Shri Jairam
Ramji, Shri
Rane, Shri Narayan
Rao, Shri G.V.L. Narasimha
Rathwa, Shri Naranbhai J.
Raut, Shri Sanjay
Ray, Shri Sukhendu Sekhar
Reddy, Shri Ayodhya Rami
Reddy, Shri K.R. Suresh
Reddy, Shri V. Vijayasai
Rupala, Shri Parshottam
Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.
Scindia, Shri Jyotiraditya M.
Selvarasu, Shri Anthiyur P.
Sen, Ms. Dola
Seth, Shri Sanjay
Shanmugam, Shri M.
Shekhar, Shri Neeraj

Shreyams Kumar, Shri M.V.
Shukla, Shri Shiv Pratap
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shri Ajay Pratap
Singh, Shri Akhilesh Prasad
Singh, Shri Arun
Singh, Shri Digvijaya
Singh, Shri Gopal Narayan
Singh, Shri Ram Chandra Prasad
Singh, Shri Rewati Raman
Singh, Shri Sanjay
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Sinha, Shri Rakesh
Sircar, Shri Jawhar
Siva, Shri Tiruchi
Sivadasan, Dr. V.
Solanki, Dr. Sumer Singh
Somaprasad, Shri K.
Soni, Shri Kailash
Soni, Shrimati Ambika
Subhash Chandra, Dr.
Suresh Gopi, Shri
Swamy, Dr. Subramanian
Tamta, Shri Pradeep
Tankha, Shri Vivek K.
Tasa, Shri Kamakhya Prasad
Tendulkar, Shri Vinay Dinu
Thakur, Shri Ram Nath
Thakur, Shri Vivek
Thambidurai, Dr. M.
Tomar, Shri Vijay Pal Singh
Trivedi, Dr. Sudhanshu
Uikey, Shrimati Sampatiya
Vaishnaw, Shri Ashwini
Vasan, Shri G.K.
Vats (Retd.), Lt.Gen. (Dr.) D. P.
Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy

Venkatesh, Shri T.G.
Venugopal, Shri K.C.
Verma, Shri B.L.
Verma, Shri Ramkumar
Verma, Shrimati Chhaya
Vijayakumar, Shri A.
Viswam, Shri Binoy
Wilson, Shri P.
Yadav, Ch. Sukhram Singh
Yadav, Shri B. Lingaiah
Yadav, Shri Bhupender
Yadav, Shri Harnath Singh
Yadav, Shri Ram Gopal
Yajnik, Dr. Amee

Noes- Nil

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Minister, Dr. Virendra Kumar, to move that the Bill be passed.

डा. वीरेंद्र कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

The House divided

6.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA):

Ayes: 187
Noes: Nil

Ayes — 187

Abdul Wahab, Shri
Acharya, Shri Prasanna
Agrawal, Dr. Anil
Akbar, Shri M. J.
Alphons, Shri K.J.
Amin, Shri Narhari
Anand Sharma, Shri
Anavadiya, Shri Dineshchandra Jemalbhai
Antony, Shri A.K.
Athawale, Shri Ramdas
Baidya, Shrimati Jharna Das
Bajpai, Dr. Ashok
Bajwa, Shri Partap Singh
Balasubramoniyan, Shri S.R.
Baluni, Shri Anil
Banda Prakash, Dr.
Bansal, Shri Naresh
Bara, Shrimati Ramilaben Becharbhai
Bharathi, Shri R.S.
Bhattacharya, Shri P.
Bhunder, Sardar Balwinder Singh
Biswas, Shri Abir Ranjan
Bora, Shri Ripun
Brijlal, Shri
Brittas, Shri John
Chandrasegharan, Shri N.
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chandrashekhar, Shri G.C.
Chaturvedi, Shrimati Priyanka
Chavan, Shrimati Vandana
Chhatrapati, Shri Sambhaji
Chhetri, Shrimati Shanta
Chidambaram, Shri P.
Dangi, Shri Neeraj
Dasgupta, Shri Swapan

Desai, Shri Anil
Devegowda, Shri H.D.
Dubey, Shri Hardwar
Dubey, Shri Satish Chandra
Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh
Dwivedi, Shrimati Seema
Elango, Shri N.R.
Elangovan, Shri T.K.S.
Ganguly, Shrimati Roopa
Gautam, Shri Dushyant
Geeta alias Chandraprabha, Shrimati
Gehlot, Shri Rajendra
Ghosh, Ms. Arpita
Gohil, Shri Shaktisinh
Goswami, Ms. Indu Bala
Goyal, Shri Piyush
Gupta, Shri Prem Chand
Hanumanthaiah, Dr. L.
Hooda, Shri Deepender Singh
Hussain, Shri Syed Nasir
Islam, Shri Syed Zafar
Jadhav, Dr. Narendra
Jain, Dr. Anil
Jaishankar, Shri S.
Jangra, Shri Ram Chander
Javadekar, Shri Prakash
Jethmalani, Shri Mahesh
Jha, Prof. Manoj Kumar
Kadadi, Shri Iranna
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri
Karad, Dr. Bhagwat
Kardam, Shrimati Kanta
Kareem, Shri Elamaram
Karim, Shri Ahmad Ashfaque
Ketkar, Shri Kumar
Khan, Dr. Fauzia

Khan, Shri Muzibulla
Kharge, Shri Mallikarjun
Koragappa, Shri Narayana
Kumar, Shri Sujeet
Leishemba, Shri Maharaja Sanajaoba
Lokhandwala, Shri Jugalsinh
Mahatme, Dr. Vikas
Malik, Shri Shwait
Mandaviya, Shri Mansukh
Mansingh, Dr. Sonal
Mathur, Shri Om Prakash
Meena, Dr. Kirodi Lal
Modi, Shri Sushil Kumar
Mokariya, Shri Rambhai Harjibhai
Mopidevi, Shri Venkataramana Rao
Muraleedharan, Shri V.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Nagar, Shri Surendra Singh
Nanda, Shri Prashanta
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Narah, Shrimati Ranee
Navaneethakrishnan, Shri A.
Nekkanti, Shri Bhaskar Rao
Netam, Shri Ram Vichar
Netam, Shrimati Phulo Devi
Nirmala Sitharaman, Shrimati
Nishad, Shri Jaiprakash
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
Noor, Shrimati Mausam
O' Brien, Shri Derek
Oraon, Shri Samir
Pandey, Ms. Saroj
Patel, Shri Praful
Patel, Shri Rajmani
Patnaik, Dr. Amar
Pawar, Shri Sharad
Pilli, Shri Subhas Chandra Bose

Poddar, Shri Mahesh
Prabhu, Shri Suresh
Pradhan, Shri Dharmendra
Prakash, Shri Deepak
Puri, Shri Hardeep Singh
Rajbhar, Shri Sakaldeep
Ram Shakal, Shri
Ramamurthy, Shri K.C.
Ramesh, Dr. C.M.
Ramesh, Shri Jairam
Ramji, Shri
Rane, Shri Narayan
Rao, Shri G.V.L. Narasimha
Rathwa, Shri Naranbhai J.
Raut, Shri Sanjay
Ray, Shri Sukhendu Sekhar
Reddy, Shri Ayodhya Rami
Reddy, Shri K.R. Suresh
Reddy, Shri V. Vijayasai
Rupala, Shri Parshottam
Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.
Scindia, Shri Jyotiraditya M.
Selvarasu, Shri Anthiyur P.
Sen, Ms. Dola
Seth, Shri Sanjay
Shanmugam, Shri M.
Shekhar, Shri Neeraj
Shreyams Kumar, Shri M.V.
Shukla, Shri Shiv Pratap
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shri Ajay Pratap
Singh, Shri Akhilesh Prasad
Singh, Shri Arun
Singh, Shri Digvijaya
Singh, Shri Gopal Narayan
Singh, Shri Ram Chandra Prasad
Singh, Shri Rewati Raman

Singh, Shri Sanjay
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Sinha, Shri Rakesh
Sircar, Shri Jawhar
Siva, Shri Tiruchi
Sivadasan, Dr. V.
Solanki, Dr. Sumer Singh
Somaprasad, Shri K.
Soni, Shri Kailash
Soni, Shrimati Ambika
Subhash Chandra, Dr.
Suresh Gopi, Shri
Swamy, Dr. Subramanian
Tamta, Shri Pradeep
Tankha, Shri Vivek K.
Tasa, Shri Kamakhya Prasad
Tendulkar, Shri Vinay Dinu
Thakur, Shri Ram Nath
Thakur, Shri Vivek
Thambidurai, Dr. M.
Tomar, Shri Vijay Pal Singh
Trivedi, Dr. Sudhanshu
Uikey, Shrimati Sampatiya
Vaishnaw, Shri Ashwini
Vasan, Shri G.K.
Vats (Retd.), Lt.Gen. (Dr.) D. P.
Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy
Venkatesh, Shri T.G.
Venugopal, Shri K.C.
Verma, Shri B.L.
Verma, Shri Ramkumar
Verma, Shrimati Chhaya
Vijayakumar, Shri A.
Viswam, Shri Binoy
Wilson, Shri P.
Yadav, Ch. Sukhram Singh
Yadav, Shri B. Lingaiah

Yadav, Shri Bhupender
Yadav, Shri Harnath Singh
Yadav, Shri Ram Gopal
Yajnik, Dr. Amee

Noes- Nil

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Lobbies be opened. Now, the General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2021. ...*(Interruptions)*... Hon. Leader of the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Leader of the House first. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: I would like to make an earnest appeal to all my colleagues in the Parliament. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I will come to you. ...*(Interruptions)*... Just let him finish. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: While I do appreciate some of you are of this sentiment that we should do it tomorrow when a very large section of the House is desirous that we complete the Business of the House... ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I will allow you. ...*(Interruptions)*... Just a second. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: The Lok Sabha, the other House, has already adjourned *sine die.* ...*(Interruptions)*... It gives us also an opportunity.....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): The Leader of the House has got a point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: It will also give us an opportunity to adjourn the House. ...*(Interruptions)*... And I think it is in the interest, it is a very large section which wants to complete the Business of the House and get an opportunity to adjourn *sine die*. ...*(Interruptions)*... I appeal to all my Members, I appeal to my friends that let us close the Business of the House today itself. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*... The sense of the House has to be taken. ...*(Interruptions)*... The Chair must take the sense of the House whether we want to continue. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Absolutely. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, on the 23rd of July.....*(Interruptions)*... It has been reported in the Bulletin on the 23rd of July that in the BAC that was held, it was discussed and decided that whenever it is necessary the House can sit for long.....*(Interruptions)*... And look at this side, this is the whole sense of the House. ...*(Interruptions)*... The sense of the House is in favour of passing the Bills. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let me read out. ...*(Interruptions)*... Firstly, let me read out what has been already mentioned in the Bulletin. ...*(Interruptions)*... Let me read out. ...*(Interruptions)*... It says: "The Committee also recommended that the House may sit beyond 6.00 p.m. as and when necessary for the transaction of Government Legislative and other Business." ...*(Interruptions)*... So, this has already been mentioned in the Bulletin. Based on that, this Bill is being brought in. ...*(Interruptions)*... Now, the General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2021. ...*(Interruptions)*... Shrimati Nirmala Sitharaman to move a motion for consideration of the General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2021. ...*(Interruptions)*... Hon. Minister. ...*(Interruptions)*...